भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में 1992 का 73वाँ संविधान संशोधन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे स्थानीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस दिशा में बिहार ने वर्ष 2006 में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस निर्णय ने लाखों महिलाओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया। लेकिन लगभग दो दशकों बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रतिनिधित्व वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण में बदल पाया है, या फिर यह अब भी केवल संवैधानिक दस्तावेजों और सरकारी फाइलों तक सीमित है।

लेखक परिचय
रवि कुमार
शोधार्थी (राजनीति वैज्ञानिक), राजनीतिक शास्त्र, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।

बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के आँकड़े ग्रामीण लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने के बाद स्थानीय शासन में उनकी उपस्थिति पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। संख्या के आधार पर यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि यह प्रतिनिधित्व वास्तविक सशक्तिकरण में कितना बदल पा रहा है। सबसे पहले ग्राम पंचायत के मुखिया पद की बात करें तो बिहार में कुल लगभग 8,072 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया चुना जाता है। इस प्रकार मुखिया पद की कुल सीटें भी लगभग 8,072 हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इनमें से लगभग 44% से 50% तक महिलाएँ मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं। यह स्थिति ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। इसी प्रकार ग्राम कचहरी के सरपंच पद की कुल संख्या भी लगभग 8,072 से 8,300 के बीच है, जो ग्राम पंचायतों की संख्या के लगभग बराबर है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार लगभग 3,772 महिलाएँ सरपंच पद पर निर्वाचित हुई हैं, जो कुल संख्या का लगभग 45% से 50% के बीच बैठता है। कई रिपोर्टों में यह प्रतिशत 50 से 54 प्रतिशत तक भी बताया गया है।

यदि जिला परिषद स्तर की बात करें तो बिहार में कुल 1,159 जिला परिषद सदस्य हैं। इनमें से 654 महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं। इस प्रकार जिला परिषद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 56.43% है, जो यह दर्शाती है कि स्थानीय शासन के उच्च स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो रही है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य ग्रामीण प्रशासन का सबसे व्यापक और आधारभूत स्तर हैं। पंचायत चुनाव 2021 के अनुसार बिहार में कुल 1,13,307 वार्ड सदस्य पद हैं। 50% आरक्षण के कारण इनमें से लगभग 56,000 पदों पर महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं, जो लगभग 50% के बराबर है। इसी तरह ग्राम कचहरी के पंच पद की स्थिति भी लगभग समान है। पंचायत चुनाव 2021 के अनुसार बिहार में कुल पंच पद लगभग 1,13,307 हैं। इनमें से लगभग 56,000 से अधिक महिलाएँ पंच के रूप में निर्वाचित हुई हैं, जो कुल संख्या का लगभग 50% है। यह दर्शाता है कि ग्राम न्याय प्रणाली में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यदि समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार में पंचायत व्यवस्था के विभिन्न पदों–मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच पर महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ-साथ महिलाओं को स्थानीय शासन में व्यापक अवसर मिल रहे हैं। फिर भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या यह प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक (Numerical Representation) तक सीमित है या यह वास्तव में सशक्तिकरण (Empowerment) में भी परिवर्तित हो रहा है।

ग्रामीण बिहार का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य इस प्रश्न को और जटिल बना देता है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और संसाधन प्रदान करने की भी बात कही जाती है। सरकार सशक्त, समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन की स्थापना का दावा करती है। किंतु इन पहलों का प्रभाव ग्रामीण समाज के वास्तविक जीवन में उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव अभी भी कई सीमाओं से घिरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक संरचना और पितृसत्तात्मक मानसिकता है। अनेक पंचायतों में आज भी "मुखिया पति" या "सरपंच पति" की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं। कई मामलों में महिलाएँ केवल औपचारिक प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं, जबकि प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की वह भावना, जिसमें महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित की जानी थी, कई स्थानों पर कमजोर पड़ती दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की राजनीतिक प्रभावशीलता को सीमित करने वाले अन्य कारक भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का निम्न स्तर, राजनीतिक प्रक्रियाओं की सीमित समझ, प्रशासनिक तंत्र से अपरिचितता और सामाजिक दबाव उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दल भी महिला प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन और नेतृत्व विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराते। परिणामस्वरूप कई महिलाएँ आरक्षण के माध्यम से पद तक तो पहुँच जाती हैं, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उनकी स्वतंत्र भूमिका विकसित नहीं हो पाती।

स्थिति को और गंभीर बनाती हैं वे घटनाएँ जिनमें महिला जनप्रतिनिधियों को हिंसा, धमकी और सामाजिक अपमान का सामना करना

पड़ता है। बिहार के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले, धमकी और हत्या के प्रयास जैसी घटनाएँ सामने आई हैं। ऐसी घटनाएँ न केवल महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ और व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। नीतियों और दस्तावेजों में महिला नेतृत्व को मजबूत करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परंतु वास्तविकता यह है कि इन प्रयासों का प्रभाव ग्रामीण समाज के धरातल पर उतना संगठित और सशक्त रूप में दिखाई नहीं देता। "महिला अबला नहीं, सबला है" जैसे प्रेरक नारे आज व्यापक रूप से सुनाई देते हैं, किंतु कई स्थानों पर यह सशक्तिकरण अभी भी प्रतीकात्मक ही प्रतीत होता है। कागजों और सरकारी अभिलेखों में महिला प्रतिनिधित्व सशक्त दिखाई देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारों और आरक्षण की वास्तविक शक्ति उतनी ठोस और प्रभावी नहीं दिखती।

यही वह बिंदु है जहाँ एक मूलभूत प्रश्न सामने आता है–क्या पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती संख्या वास्तव में उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो पाई है, या फिर यह व्यवस्था अब भी केवल संवैधानिक प्रावधानों और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह गई है? सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक व्यवस्थाएँ और नीतिगत पहलें की गई हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों के स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर अपेक्षित रूप में दिखाई नहीं देता। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ महिला प्रतिनिधित्व के अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से उतनी ठोस और प्रभावशाली नहीं दिखती जितनी वह कागजों और नीतियों में प्रतीत होती है। हालाँकि यह भी सत्य है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार बिहार में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जैसे पदों पर 52 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ निर्वाचित हैं। यह आँकड़ा स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है, परंतु चुनौती यह है कि इस संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक निर्णय–शक्ति और प्रभावी नेतृत्व में कैसे परिवर्तित किया जाए।

शोध–लेखन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मैंने पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों–मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य तथा पंच से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए मैंने बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट तथा राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दूरभाष नंबरों के आधार पर कई प्रतिनिधियों से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। हालाँकि, इस प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आईं। अधिकांश दूरभाष नंबर या तो बंद मिले या फिर उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। जिन कुछ नंबरों पर बातचीत संभव हो पाई, वहाँ भी एक अलग ही स्थिति देखने को मिली। कई स्थानों पर फोन किसी महिला निर्वाचित प्रतिनिधि ने नहीं, बल्कि उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य ने उठाया। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वास्तविक कार्य–संचालन में पुरुषों का वर्चस्व अधिक है।

कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, "सारा काम तो हम ही करते हैं। अगर हम मुखिया जी का काम नहीं करेंगे तो हमारे छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा और घर का काम कौन संभालेगा? आप बताइए आपको क्या काम है, हम ही कर देंगे।" इस प्रकार के उत्तर यह संकेत देते हैं कि कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका सीमित होकर रह जाती है, जबकि प्रशासनिक और निर्णयात्मक कार्य उनके परिजन ही संचालित करते हैं। इतना ही नहीं, कई अन्य वार्तालापों में यह भी बताया गया कि "वे (मुखिया जी) घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं, बाहर का सारा काम हम ही देखते हैं।" यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि मुखिया का आधिकारिक स्टाम्प (मुहर) उनकी गाड़ी की डिक्की में रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं उसका उपयोग कर देते हैं। हस्ताक्षर के विषय में भी कहा गया कि वे मुखिया जी के हस्ताक्षर से मिलाकर काम कर देते हैं। इस प्रकार की बातचीत के दौरान मुखिया के पति, भाई तथा अन्य रिश्तेदारों से कई ऐसी बातें सुनने को मिलीं, जो पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती हैं। इन अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि कागजों पर महिलाओं की भागीदारी और जमीनी स्तर पर उनकी वास्तविक भूमिका के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर मौजूद है।

यह अनुभव केवल एक शोध प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि ग्रामीण सत्ता–संरचना की उस वास्तविकता को उजागर करता है जहाँ औपचारिक रूप से महिला प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया गया है, लेकिन व्यवहार में निर्णय–सत्ता कई बार पुरुषों के हाथों में ही केंद्रित रहती है। ग्रामीण बिहार में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण मिलने से उनकी भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की आर्थिक मदद और ठोस नीतियाँ जरूरी हैं। सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजनाएँ, आसान ऋण सुविधा और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराए, ताकि वे छोटे–छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। स्वयं सहायता समूह (SHG) "Self Help Group" को मजबूत बनाकर महिलाओं को बिना जमानत के ऋण, अनुदान और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही कृषि, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों में महिलाओं को सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। पंचायत स्तर पर महिला उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ प्रशिक्षण, वित्तीय मार्गदर्शन और उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई–कॉमर्स से जोड़कर भी महिलाओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि सरकार योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करे और महिलाओं तक सीधे आर्थिक सहायता पहुँचाए, तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। आर्थिक मजबूती ही उन्हें पंचायतों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देगी और तभी ग्रामीण बिहार में महिला प्रतिनिधित्व वास्तव में सशक्त और प्रभावी बने। हालाँकि यह भी सत्य है कि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। बिहार की कई पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों ने सक्रिय नेतृत्व का परिचय दिया है। उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर उल्लेखनीय पहल की है। स्वयं सहायता समूहों और सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने भी कुछ महिलाओं को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान की है। ये उदाहरण इस बात का संकेत देते हैं कि यदि उचित अवसर और समर्थन मिले तो महिलाएँ स्थानीय शासन में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए समाधान केवल आरक्षण प्रदान करने तक सीमित नहीं रह सकता। आवश्यक है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को नियमित प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी, डिजिटल साक्षरता और कानूनी जागरूकता प्रदान की जाए। पंचायत स्तर पर उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों और प्रशासन को महिला नेतृत्व को गंभीरता से स्वीकार करते हुए उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका देने की आवश्यकता है।

अंततः महिला प्रतिनिधित्व केवल संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का माध्यम है। यदि ग्रामीण बिहार में महिलाओं को वास्तविक अधिकार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता, तो आरक्षण की व्यवस्था केवल कागजी उपलब्धि बनकर रह जाएगी। समय की मांग है कि संवैधानिक अधिकारों को व्यवहारिक सशक्तिकरण में बदला जाए, ताकि ग्रामीण लोकतंत्र वास्तव में समावेशी, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बन सके।●

गलत अतिक्रमण केस में भू-धारकों को नहीं करे परेशान : पटना हाईकोर्ट

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राज कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमे अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी रिकॉर्ड फटे, अपठनीय या गायब होने का हवाला देकर नागरिक को सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अंचल में भ्रष्टाचार सिस्टम को दीमक की तरह खा गया है। कोई भी आम जनता का कार्य बिना पैसा दिए नहीं होता है। अदालत ने कहा कि सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखना राज्य की जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड संभालकर रखने में हुई अपनी विफलता का लाभ राज्य नागरिक को सूचना देने से इंकार करने के लिए नहीं उठा सकता। जरूरत पड़ने पर पुराने अभिलेखों का पुनर्निर्माण कर सूचना उपलब्ध करानी होगी। न्यायमूर्ति राज कुमार की एकलपीठ ने सीवान के मोहम्मद रिजवान की अर्जी पर यह आदेश दिया। रिजवान ने सीवान सदर अंचल से बखड़ा रजिस्टर और रजिस्टर-2 की प्रमाणित प्रति मांगी थी। अधिकारियों ने सूचना देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मौजूद प्रतिलिपि फटी एवं अपठनीय है। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया। अगर थाना, प्रखंड और अंचल में अधिकारियों द्वारा अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया जाए तब आम जनता की बहुत समस्याओं का हल हो जाएगा और उन्हें अदालतों में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकारियों की कर्तव्यहीनता के चलते ही कोर्ट में केसों का अंबार लगा हुआ हैं। अदालत ने अधिकारियों के तर्क को विरोधाभासी माना। न्यायमूर्ति राज कुमार ने कहा कि एक तरफ मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ उसकी फोटोकॉपी मौजूद होने की बात भी सामने आ रही है रही है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि बखड़ा सार्वजनिक दस्तावेज है। इसे सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। कोर्ट ने संबंधित कार्यालय को चार सप्ताह के भीतर सीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता और जिला अभिलेखागार को बखड़ा रजिस्टर की भौतिक तलाश करने का आदेश दिया।

रैयती जमीन को सरकारी बताकर भू-धारकों को अतिक्रमण के मुकदमे में फंसाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। माननीय न्यायाधीश राज कुमार की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही कलेक्टर या अंचल अधिकारी बिना राजस्व अभिलेखों की गहन जांच किए संबंधित भू-धारक को नोटिस जारी नहीं कर सकते। पहले जमाबंदी, खतियान, रजिस्टर-2 और जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेजों का मिलान कर यह तय करना होगा कि जमीन वास्तव में सार्वजनिक है या रैयती। अशर्फी यादव की याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने मधुबनी के अंचल अधिकारी और कलेक्टर के अतिक्रमण संबंधी आदेश निरस्त कर दिए। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी और पुराने बंदोबस्त को महज राजस्व रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण की कार्यवाही के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। पटना हाईकोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े एक अहम मामले में निबंधन विभाग की कार्रवाई को कड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री के समय निर्धारित स्टॉप शुल्क जमा कराकर दस्तावेज स्वीकार किये जाने के बाद कानून में तय प्रक्रिया का पालन किये बिना बाद में अतिरिक्त स्टांप शुल्क की मांग नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति राज कुमार की एकलपीठ ने शशि भूषण सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, तिरहुत प्रमंडल, मुजपफरपुर द्वारा 14 जुलाई 2015 को जारी आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के जरिए याचिकाकर्ता पर 10, 13, 400 रुपये की अतिरिक्त स्टॉप ड्यूटी और रु. 1,01,340 जुर्माना लगाया गया था। पूरी राशि जमा करने के बाद भी रोक दी गयी डीड। मामला मुजफ्फरपुर में 14 कट्ठा जमीन के बिक्री विलेख के निबंधन से जुड़ा था। यह सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई के तहत तैयार हुआ था। जिला अवर निबंधक ने जमीन की प्रकृति और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्टांप ड्यूटी एवं अन्य शुल्क तय किए थे। याचिकाकर्त्ता ने तय पूरी राशि जमा कर दी। इसके बाद 12 दिसंबर, 2014 को बिक्री विलेख रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार किया गया तथा रसीद और टोकन भी जारी हुआ पर दस्तावेज नही सौंपा गया। साढ़े साढ़े चार महीने बाद अपर डिविजनल क्लर्क की रिपोर्ट पर जमीन को व्यावसायिक प्रकृति का बताया गया। इसी आधार पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क मांगा गया। ●

राज कुमार
न्यायमूर्ति, पटना हाईकोर्ट

राघव दयाल की गठित एसआईटी ने दस दिनों के भीतर किया हत्या मामले का उद्भेदन

प्रेम संबंध में गई शिक्षिका लक्ष्मी की जान

शैलजा
सिटी एसपी (पूर्वी), पटना

लक्ष्मी
मृतका शिक्षिका

राघव दयाल
एसडीपीओ-01, मसौढ़ी

● **अमित कुमार/श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

बीते दिनों 2 सितम्बर को मसौढ़ी थानाक्षेत्र अंतर्गत कैलूचक ग्राम में एक महिला शिक्षिका, जिसका नाम लक्ष्मी कुमारी, उम्र 46 वर्ष है वह मृत अवस्था में अपने घर के कमरे में पाई गई थी। आस पड़ोस की भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस हरकत में आयी और तत्काल हत्या के सबूत जुटाने में जुट गयी। गौरतलब है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने तत्काल एसआईटी का गठन किया और जांच में जुट गये। बता दें कि घटना के महज 10 दिनों के भीतर सारी बातें खुलकर सामने आ गई और अपराधी पकड़ा गया। विदित हो कि पटना के मसौढ़ी थाना अंतर्गत सरकारी शिक्षिका हत्याकांड में पटना पुलिस ने सफल उद्भेदन का दावा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में पटना के सिटी एसपी ने चौकाने वाले कई सच सामने लाए हैं। आपको बताते चलें कि सरकारी स्कूल की शिक्षिका का कहीं ना कहीं अवैध संबंध था और इसी को लेकर उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर डाली। गिरफ्तार अभियुक्त मंटू कुमार के द्वारा अपराध की घटना को स्वीकार किया गया है और इसमें पूर्व में मंटू द्वारा प्रेम प्रसंग की बात बताई गई है, उसी के प्रतिशोध में यह घटना कारित करने की बात को स्वीकारा गया। दिगर बात है कि अपराधी मंटू के पकड़े जाने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सिटी एसपी (पूर्वी) शैलजा ने बताया कि

य ह दिनांक 2/9/2026 को मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैलूचक में एक महिला शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी, उम्र 46 वर्ष, मृत अवस्था में अपने घर के कमरे में पाई गई थी। उनके शरीर पर जख्म के निशान पाए गए थे। इस संबंध में मसौढ़ी थाना कांड संख्या 818/26 दर्ज की गई थी और इस कांड का उद्भेदन हेतु एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम में थाना मसौढ़ी एवं डीआईयू द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें नामजद अभियुक्त मंटू सिंह उर्फ मंटू कुमार, उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता श्याम मोहन, थाना कादिरगंज को 10/9/2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मंटू कुमार के द्वारा अपराध की घटना को स्वीकार किया गया है एवं इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए लोहा के खंती, मोबाइल, काला रंग का छाता, घटना के दिन पहना हुआ उजला शर्ट बरामद किया गया है। इसमें पूर्व में अभियुक्त ब्रजेश कुमार, थाना पिपरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष लोगों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें पूर्व में मंटू द्वारा प्रेम प्रसंग की बात बताई गई है। उसी के प्रतिशोध में यह घटना कारित करने की बात स्वीकारी गई है। वही मृतका के पति द्वारा ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। बस इनके द्वारा इन लोगों को नामजद किया गया था और बताया गया था पूर्व में भी ये घर पर आते-जाते थे, तो इनके द्वारा इन पर संदेह जाहिर किया गया था। इस संबंध में लगातार टीम द्वारा उन पर छापेमारी करते हुए फिर उनको पकड़ के उनके द्वारा सारा इंट्रोगेशन किया गया। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि कि मृतिका और

अभियुक्त की कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, कितने साल से ये लोग सम्पर्क में थे पर एसपी शैलजा ने बताया कि दो साल पहले ये दोनों एक दूसरे से संबंध में आए थे। उसके बाद में इन लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क बना के रखे हुए थे। वही मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने इस घटना के बारे में बताया कि सरकारी शिक्षिका शादीशुदा थी और उसके पति जो हैं गया जिले में जेई के पद पर कार्यरत थे और वह गया में रहते थे। इसी दरम्यान कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षिका का मंटू से प्रेम हुआ और उसके बाद लगभग प्रेम जो है दो सालों तक चला और कई बार उनके घर पर इन लोगों का आना-जाना था और इसी का फायदा उठाकर जब प्रेमी को पता चला कि कहीं ना कहीं शिक्षिका जो है किसी और के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर रही है। उसके बाद उसने खौफनाक योजना बनाई और शिक्षिका के घर पहुंचकर रात भर रुका और देर रात जो है बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने साक्ष्य जो है वो संकलन किया और दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और पुलिस का दावा है कि तमाम बिंदुओं पर जांच जो है वो की जा रही है और चूंकि अभी तक के जांच में जो आया है कहीं ना कहीं अवैध संबंध के कारण जो है शिक्षिका की जान गई है।●

मसौढ़ी के रौनिया में नए पुलिस ओपी का शुभारंभ

● **अमित कुमार/श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

मसौढ़ी के रौनिया में नए पुलिस ओपी का शुभारंभ किया गया। इस नए पुलिस ओपी का एसडीएम मसौढ़ी धनराज कुमार एवं मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर ओपी का उद्घाटन किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रौनिया ओपी का गठन किया गया है। मसौढ़ी प्रखंड के इस क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने, आम लोगों आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीणों को पुलिस की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रौनिया में नए ओपी का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मसौढ़ी के एसडीपीओ-1 राघव दयाल, भगवानगंज थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहित दर्जनों पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मसौढ़ी एसडीएम धनराज कुमार ने कहा कि नए ओपी के माध्यम से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। जनता का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने स्थानीय लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए ओपी के माध्यम से क्षेत्र में पुलिस की निगरानी और गश्ती व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे अपराधियों पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई किया जाए। यह ओपी भगवानगंज थाना क्षेत्र के पूर्वी हिस्से से अलग कर बनायी गई है। इसके अंतर्गत भरतपुरा पंचायत और दौलतपुर पंचायत के गाँव आएंगे। इन दो पंचायतों में विधि व्यवस्था का नियंत्रण अब रौनिया ओपी से होगा। रौनिया ओपी की कमान पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार को सौंपी गई है। मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल ने अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बेहतर समन्वय और संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया।●

अनिल कुमार शर्मा क्यों हुए उपेक्षित?

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

'माँ तारा उत्सव पैलेस" गोविन्दपुर फतुहा में 20 के आसपास भाजपा की बैठकों के लिए शादी की बुकिंग तक रद्द की, आज छोटी-छोटी मुश्किलों में भी संगठन का साथ नहीं मिला? भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए वर्षों तक अपना समुचे परिवार समय, संसाधन और निजी प्रतिष्ठान तक समर्पित करने वाले फतुहा प्रखंड भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा आज संगठन के भीतर उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। यह सवाल केवल अनिल कुमार शर्मा का नहीं, बल्कि उन तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं का है जो पार्टी के लिए अपना सर्वस्व लगाने के बाद यह सोचने को मजबूर होते हैं कि संगठन को कार्यकर्ता की जरूरत है या केवल चुनाव के समय कार्यकर्ता की याद आती है? गोविंदपुर स्थित "माँ तारा उत्सव पैलेस" अनिल कुमार शर्मा का प्रतिष्ठान है। यहां शादी-विवाह के लिए महीनों पहले बुकिंग होती थी। लेकिन जब भी उन्हें पता चलता कि भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है और स्थान की जरूरत है, तो उन्होंने कई बार अपनी निजी आर्थिक हानि की परवाह नहीं की। बताया जाता है कि करीब 20 बार तक शादी-विवाह की बुकिंग रद्द कराकर पैसा वापस किया गया, ताकि भाजपा की बैठक आराम से हो सके। यह त्याग केवल भवन देने तक सीमित नहीं था। बैठक में आने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करना, उनके लिए व्यवस्था करना और संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। जिसने संगठन के लिए अपनी कमाई छोड़ी, उसे संगठन ने क्या दिया? राजनीति में अक्सर मंच से कहा जाता है, "कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है।" लेकिन सवाल यह है कि जब वही कार्यकर्ता किसी कठिन परिस्थिति में पड़ता है, तब पार्टी की रीढ़ उसके साथ कितनी मजबूती से खड़ी होती है? अनिल कुमार शर्मा का दर्द इसी सवाल के आसपास घूमता है। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने में अपनी क्षमता के अनुसार कोई कसर नहीं छोड़ी बल्कि पुरे परिवार के साथ लगे रहना। चुनाव के समय भी वे सक्रिय रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब से सांसद रहे रविशंकर प्रसाद के चुनाव के दौरान वृद्ध महिलाओं को बूथ तक पहुंचाने में सहयोग करने की बात भी सामने आती है। संगठन के कार्यक्रम हों या चुनावी गतिविधियां, उन्होंने अपनी निजी

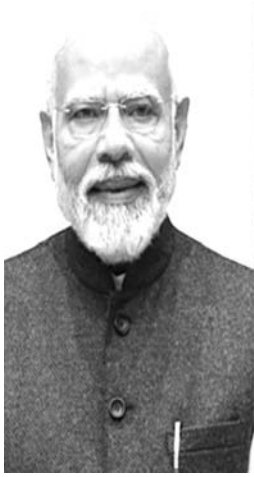

व्यस्तताओं से ऊपर पार्टी को रखा। लेकिन आज वही कार्यकर्ता यह कहने को मजबूर हैं कि जब उन्हें छोटी-छोटी परेशानियों और संकटों में संगठन के सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तब अपेक्षित साथ नहीं मिला।

☞ **क्या भाजपा में समर्पण की कोई कीमत नहीं? :-** यह प्रश्न फतुहा भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए और उन लोगों से भी, जो संगठन में बड़े-बड़े पदों पर बैठकर कार्यकर्ताओं को अनुशासन और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता ने वर्षों तक पार्टी के लिए अपना समय दिया, अपनी आमदनी का नुकसान सहा, अपना प्रतिष्ठान संगठन को उपलब्ध कराया, नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा की और चुनाव में मेहनत की तो उसके संकट के समय संगठन की जिम्मेदारी क्या केवल औपचारिक रह जाती है?

☞ **अनिल कुमार शर्मा का मामला भाजपा के लिए आईना है :-**

राजनीतिक दल केवल झंडे, पोस्टर, नारों और चुनावी सभाओं से मजबूत नहीं होते। दल मजबूत होते हैं उन कार्यकर्ताओं से, जो बिना किसी पद या लाभ की अपेक्षा के वर्षों तक संगठन की नींव मजबूत करते हैं। "बैठक के लिए साटा कैंसल कर दिया, लेकिन संकट में मेरा कौन?" अनिल कुमार शर्मा की स्थिति को इसी एक सवाल में समेटा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने भाजपा की बैठक के लिए अपना आर्थिक नुकसान स्वीकार किया, क्या भाजपा के पास उसके लिए कुछ समय नहीं था? जिसने भाजपाइयों का स्वागत करना अपनी दिनचर्या बना लिया, क्या संगठन के पास उसके सम्मान और समस्याओं को सुनने का समय नहीं था? जिसने चुनाव में वृद्ध महिलाओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई, क्या उसके अपने संकट में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था? अगर इन सवालों का जवाब 'नहीं' है, तो यह केवल अनिल कुमार शर्मा की उपेक्षा नहीं, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की उस पूरी संस्कृति की उपेक्षा है, जिसके बल पर भाजपा जैसे विशाल संगठन का निर्माण हुआ है।

अनिल ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन स्थानीय भाजपा से दिल जरूर तोड़ लिया! सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वर्षों तक भाजपा के लिए जी-जान लगाने वाले अनिल कुमार शर्मा ने किसी राजनीतिक विरोधी का दामन नहीं थामा। उनका दर्द संगठन के भीतर से पैदा हुआ है। उन्होंने स्थानीय भाजपा से अपना दिल त्यागने की बात कही है। यह वाक्य मामूली नहीं है। किसी कार्यकर्ता का पार्टी से नाराज होना और किसी समर्पित कार्यकर्ता का संगठन से भावनात्मक दूरी बना लेनाख़्दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। भाजपा नेतृत्व को इस घटना को शिकायत समझकर फाइल में बंद नहीं करना चाहिए। इसे चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जिस दिन समर्पित कार्यकर्ता यह मानने लगेंगे कि "पार्टी को मेरी जरूरत केवल चुनाव के समय है", उस दिन संगठन की सबसे मजबूत नींव कमजोर होने लगेगी। सवाल अनिल कुमार शर्मा का नहीं, भाजपा की कार्यकर्ता संस्कृति का है।

☞ **फतुहा भाजपा को आत्ममंथन करना होगा :-** क्या संगठन में कार्यकर्ताओं का सम्मान केवल मंच पर माला पहनाने तक सीमित है? क्या वर्षों तक पार्टी के लिए त्याग करने वालों की पहचान केवल चुनावी आंकड़ों में रह जाएगी? क्या संगठनात्मक बैठकों में कार्यकर्ता की जरूरत है, लेकिन उसके निजी संकट में नहीं? भाजपा

अगर वास्तव में "कार्यकर्ता आधारित पार्टी" होने पर गर्व करती है, तो अनिल कुमार शर्मा जैसे कार्यकर्ता की पीड़ा को सुनना ही होगा। क्योंकि माँ तारा उत्सव पैलेस में रद्द की गई बीस के आसपास बुकिंग केवल आर्थिक नुकसान की कहानी नहीं हैं, वे उस समर्पण की गवाही हैं, जिसे किसी कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए स्वीकार किया था। और आज वही गवाही भाजपा से पूछ रही है, "जिस कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए अपना घर-द्वार और कमाई तक दांव पर लगा दी, क्या पार्टी उसके लिए थोड़ा-सा समय, सम्मान और साथ नहीं दे सकती।●

फतुहा क्रांतिकारियों की धरती, लेकिन क्या हमने उनके बलिदान को भुला दिया?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

जिस फतुहा की धरती ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, आज उसी फतुहा को अपने गौरवशाली इतिहास की पहचान के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? फतुहा केवल एक शहर, रेलवे स्टेशन या गंगा किनारे बसा हुआ इलाका नहीं है। फतुहा की मिट्टी में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, साहस और बलिदान की कहानी दफन है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहां के अनेक वीरों ने आवाज बुलंद की, जेल की यातनाएं सहीं और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। पुराने दस्तावेजों और प्रकाशित सामग्री में फतुहा के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों एवं आंदोलनकारियों के नाम दर्ज हैं। 1921, 1932 और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के दौरान फतुहा क्षेत्र में आंदोलन की गतिविधियां तेज थीं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह, गिरफ्तारी और जेल यात्राओं का दौर चला। लेकिन सवाल आज यह है कि जिन लोगों ने अपना वर्तमान कुर्बान करके हमारी आजादी का भविष्य बनाया, उनके इतिहास को हमने वर्तमान की राजनीति और प्रशासनिक उदासीनता के बीच क्यों खो जाने दिया?

☞ **फतुहा के क्रांतिकारियों का इतिहास केवल किताब के पन्नों तक सीमित क्यों? :-** एक प्रकाशित सामग्री में फतुहा के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें बिहारी तिवारी 'महंथ', त्रिभुवन नारायण दुबे, बिंदा ठठेरा, मुरत दुबे, प्यारे दुबे, झोपड़ी दुबे, अमृत दुबे सहित अनेक आंदोलनकारियों का उल्लेख है। कहीं पांच वर्ष के कारावास की चर्चा है तो कहीं 1921 और 1932 के आंदोलनों में गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची मिलती है। 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन में भी फतुहा क्षेत्र के आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी का उल्लेख मिलता है। यह केवल नामों की सूची नहीं है। हर नाम के पीछे एक परिवार की कहानी है। हर गिरफ्तारी के पीछे अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने का साहस है। हर जेल यात्रा के पीछे भारत माता की आजादी का सपना है।

☞ **आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी, राजनीति करने वालों से सवाल-शहीदों के नाम पर भाषण कब तक? :-** आज राजनीतिक मंचों पर देशभक्ति के नारे खूब लगते हैं। चुनाव के समय राष्ट्रवाद, आजादी, तिरंगा और स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या स्वतंत्रता सेनानियों को केवल चुनावी भाषणों और माल्यार्पण तक सीमित कर देना ही हमारा राष्ट्रधर्म है? अगर फतुहा के क्रांतिकारियों का इतिहास इतना गौरवशाली है तो यहां स्वतंत्रता सेनानी स्मारक क्यों नहीं? उनके नाम पर संग्रहालय या इतिहास दीर्घा क्यों नहीं?

स्कूलों में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके नाम पर प्रमुख सड़क, चौक या संस्थान क्यों नहीं? फतुहा के ऐतिहासिक आंदोलन का दस्तावेजीकरण क्यों नहीं? नई पीढ़ी को उनके बलिदान से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम क्यों नहीं? राजनीति केवल कुर्सी पाने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। राजनीति का सबसे बड़ा दायित्व समाज को उसकी जड़ों से जोड़ना भी है।

☞ **फतुहा रेलवे स्टेशन गवाह है इतिहास का :-** फतुहा का रेलवे स्टेशन भी इस क्षेत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अंग्रेजी शासन के समय रेलवे केवल आवागमन का साधन नहीं था, बल्कि शासन और प्रशासन की गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। आज जिस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, क्या उनमें से कितने जानते हैं कि इसी फतुहा की धरती पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले लोग सक्रिय थे? इतिहास की यही विडंबना है, जिस स्थान को हमारे पूर्वजों ने संघर्ष से पहचान दी, नई पीढ़ी उसी पहचान से अनजान होती जा रही है।

☞ **अब समय है राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने का :-** फतुहा के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर पहल करनी चाहिए। फतुहा के स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तृत इतिहास तैयार कराया जाए। पुराने सरकारी अभिलेख, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के दस्तावेज, जेल रिकॉर्ड, पुराने समाचार पत्र और स्थानीय लोगों की स्मृतियों को एकत्र किया जाए। प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी की प्रमाणित जीवनी तैयार हो। फतुहा में एक "स्वतंत्रता आंदोलन स्मृति केंद्र" स्थापित किया जाए, जहां आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए क्या-क्या सहा था। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को इन स्थलों की यात्रा कराई जाए। प्रत्येक वर्ष फतुहा स्वतंत्रता सेनानी स्मृति दिवस आयोजित हो। सवाल केवल इतिहास का नहीं, हमारी राजनीतिक ईमानदारी का है। हम मंदिर, सड़क, भवन और चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन पर लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर सकते? जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान से वंचित कर देता है। फतुहा को केवल राजनीतिक नक्शे पर एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। आज जरूरत किसी एक पार्टी के झंडे की नहीं, बल्कि तिरंगे के नीचे एकजुट होकर अपने क्रांतिकारियों को सम्मान देने की है। फतुहा पूछ रहा है-जिन वीरों ने देश को आजादी दिलाई, क्या हम उन्हें उनका इतिहास भी नहीं दे सकते? क्रांतिकारियों को केवल याद मत कीजिए उनका इतिहास बचाइए। जय हिंद! वंदे मातरम्!●

राजनीति के शोर से दूर सनातन संस्कृति और मानव सेवा की मशाल जला रहे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

'सत्ता की कुर्सी के लिए राजनीति बहुत हुई, अब समाज को सेवा और संस्कार की राजनीति चाहिए"। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा-भारत की धरती संतों, महापुरुषों और त्यागियों की धरती रही है। इस देश में ऐसे महापुरुष समय-समय पर पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा को छोड़कर सनातन संस्कृति, समाज और मानव सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। आज के दौर में जब राजनीति का बड़ा हिस्सा आरोप-प्रत्यारोप, स्वार्थ और सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है, वहीं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन संस्कृति के प्रचार के साथ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य एक अलग संदेश देते हैं। डॉ. पटेल ने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या समाजसेवा? यह सवाल आज हर राजनीतिक दल और हर जनप्रतिनिधि को अपने आप से पूछना चाहिए। चुनाव आते ही जनता के बीच जाने, बड़े-बड़े वादे करने और विकास का ढोल पीटने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कितने नेता वास्तव में गरीब, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के बीच खड़े दिखाई देते हैं, यह जनता से छिपा नहीं है।

☞ **सनातन को केवल भाषण नहीं, जमीन पर उतारने की जरूरत** :- उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की ताकत केवल मंदिरों और धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। सनातन का मूल मंत्र सेवा, संस्कार, त्याग, करुणा और मानव कल्याण है। यदि किसी धार्मिक या सामाजिक प्रयास से गरीब परिवार की बेटी के विवाह में सहायता मिलती है, किसी जरूरतमंद को इलाज की सुविधा मिलती है, किसी बच्चे को संस्कारयुक्त शिक्षा मिलती है और किसी पीड़ित व्यक्ति को जीवन की नई उम्मीद मिलती है, तो यही सनातन की वास्तविक भावना है। डॉ. पटेल ने कहा कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े गुरुकुल और कैंसर अस्पताल जैसी योजनाओं को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक ओर भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने की पहल और दूसरी ओर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए अस्पताल की योजना यह बताती है कि धर्म और सेवा को अलग-अलग खानों में बांटने की आवश्यकता नहीं है।

☞ **राजनीति करने वालों के लिए बड़ा सवाल, जनता को भाषण चाहिए या सेवा?** :- भाजपा मीडिया प्रभारी ने राजनीतिक दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज देश की जनता को केवल मंच से भाषण नहीं चाहिए। जनता पूछ रही है कि गरीब के इलाज के लिए कौन खड़ा होगा? बेरोजगार युवक के भविष्य की चिंता कौन करेगा? बेटियों की शिक्षा और विवाह में कौन सहयोग करेगा? भारतीय संस्कारों और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक कौन पहुंचाएगा?

उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के समय जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने वालों को यह समझना होगा कि जनता अब भाषण से आगे बढ़कर काम का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संत या सामाजिक संस्था अपने संसाधनों से शिक्षा, चिकित्सा और गरीबों की सहायता के लिए आगे आती है तो उस कार्य को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय मानवता के चश्मे से देखने की जरूरत है।

☞ **"संत समाज को जोड़ रहे हैं, राजनेता समाज को बांटने में लगे हैं, तो सवाल तो उठेगा ही"** :- डॉ. पटेल ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि समाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और समाज को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जातीय समीकरणों और वोट बैंक की गणित है, दूसरी तरफ सेवा और संस्कार का संदेश है। जनता को तय करना है कि वह किस रास्ते को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हजारों-लाखों लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने के साथ जरूरतमंदों की सहायता और चिकित्सा जैसी योजनाओं की ओर कदम बढ़ाता है तो उसके कार्यों पर चर्चा होनी स्वाभाविक है। राजनीति में बैठे लोगों को भी यह समझना होगा कि समाजसेवा का प्रमाण केवल प्रेस विज्ञप्ति नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला काम है।

☞ **गुरुकुल केवल भवन नहीं, भारतीय भविष्य की प्रयोगशाला बन सकता है** :- डॉ. पटेल ने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों का समन्वय आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि गुरुकुल की परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर बच्चों को संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभावना दी जाती है तो यह आने वाली पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के युग में बच्चे दुनिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। जिस समाज की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाती है, वह धीरे-धीरे अपनी पहचान खोने लगती है।

☞ **कैंसर अस्पताल की योजना पर बोले, "बीमारी के सामने अमीर-गरीब का भेद नहीं होना चाहिए"** :- डॉ. पटेल ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। महंगे इलाज के कारण गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में यदि किसी सामाजिक-धार्मिक प्रयास के माध्यम से कैंसर अस्पताल जैसी सुविधा विकसित करने की पहल होती है तो यह मानव सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां गरीब मरीज को सम्मान, उचित चिकित्सा और मानवीय व्यवहार मिले, तभी ऐसी परियोजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।

☞ **"आज राजनीति को भी संतों से सेवा का पाठ सीखने की जरूरत"** :-डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि आज राजनीति में 'मैंने क्या किया' से ज्यादा 'मैंने क्या कहा' का दौर दिखाई देता है। लेकिन भारत की जनता को अब भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को यह याद रखना चाहिए कि कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन समाज के लिए किया गया काम इतिहास में दर्ज रहता है। महापुरुषों और संतों ने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीवन लगाया। राजनीति करने वालों को भी इसी भावना से काम करना चाहिए। ●

सांसदों और मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि देश में राजनीति के अपराधीकरण पर केवल चिंता व्यक्त करने और बयान देने से काम नहीं चलेगा। अब ऐसी कठोर और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिससे अपराध में संलिप्त व्यक्ति के लिए राजनीति का रास्ता आसान न रहे। उन्होंने कहा कि प्रकाशित रिपोर्ट में 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामलों का उल्लेख लोकतंत्र के लिए झकझोर देने वाला विषय है। जब कानून बनाने वाले ही आपराधिक मामलों के घेरे में दिखाई दें, तब आम जनता यह सवाल पूछने को मजबूर है कि कानून बनाने की जिम्मेदारी निभाने वालों के लिए कानून कितना कठोर है?

☞ **"सरकारी नौकरी में एक दिन जेल बड़ी बाधा, फिर राजनीति में इतनी छूट क्यों?"** :- डॉ. पटेल ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के मामले में किसी व्यक्ति के चरित्र और आपराधिक पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच होती है, तो जनप्रतिनिधि बनने के मामले में इससे कहीं अधिक कठोर मापदंड क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने मांग की कि संसद को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा कानून बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए

कि गंभीर अपराध में अदालत से दोषसिद्ध होकर जेल जाने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य न रहे। उन्होंने इसे राजनीति को अपराधमुक्त करने की दिशा में आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा, "जनता का प्रतिनिधि बनने वाला व्यक्ति कानून बनाने की कुर्सी पर बैठता है। इसलिए उसके लिए नैतिक और कानूनी मापदंड आम नागरिक से कम नहीं, बल्कि अधिक कठोर होने चाहिए।"

☞ **"जेल का दरवाजा और संसद का दरवाजा एक साथ कैसे खुल सकता है?"** :- डॉ. पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि संसद और विधानसभा जनता की आवाज हैं, अपराधियों का सुरक्षित राजनीतिक ठिकाना नहीं। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में अदालत से दोषी ठहराया जाता है और जेल जाता है, तो उसके लिए चुनावी राजनीति में लौटने का रास्ता क्यों खुला रहना चाहिए? "जेल की सजा समाज के लिए चेतावनी है, फिर वही व्यक्ति जनता का कानून बनाने वाला प्रतिनिधि कैसे बने, इस पर देश को गंभीरता से सोचना होगा।" उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रवेश का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके कानून और व्यवस्था से बच निकलना।

☞ **"कानून ऐसा हो कि टिकट देने से पहले दल भी सौ बार सोचें"** :- डॉ. पटेल ने कहा कि केवल उम्मीदवार को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं बनाता। लोकतंत्र में बहुमत सम्मान देता है, लेकिन कानून से छूट नहीं। उन्होंने मांग की कि गंभीर आपराधिक मामलों के लिए समयबद्ध न्याय, त्वरित सुनवाई और दोष सिद्ध होने पर कठोर चुनावी अयोग्यता की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो।

☞ **"जनता नेता चुनती है, आरोपी नहीं"** :- डॉ. पटेल ने कहा कि देश की जनता अब केवल सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की बात नहीं कर रही है; वह यह भी चाहती है कि राजनीति की सफाई कब होगी?●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि आज चिकित्सा व्यवस्था का एक बड़ा संकट यह है कि मरीज बीमारी से कम और अनावश्यक जांच, दवाइयों तथा इलाज के बढ़ते खर्च से ज्यादा परेशान दिखाई देता है। गरीब परिवार में किसी सदस्य के बीमार पड़ते ही घर का बजट बिगड़ जाता है और कई बार इलाज के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हर मरीज को अधिक से अधिक जांच और अधिक से अधिक दवा लिख देना बेहतर चिकित्सा का प्रमाण नहीं हो सकता। चिकित्सक का पहला धर्म मरीज की वास्तविक बीमारी को समझना, आवश्यक जांच कराना और जरूरत के अनुसार ही दवा देना है। अनावश्यक जांच और दवाइयां मरीज के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर डाल सकती हैं।

☞ **इलाज चाहिए, जांचों की लंबी सूची नहीं :-** डॉ. पटेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से कहा है कि आम आदमी डॉक्टर के पास इसलिए जाता है कि उसकी बीमारी का सही निदान हो और कम से कम खर्च में उचित उपचार मिले। लेकिन यदि हर बीमारी के नाम पर जांचों की लंबी सूची और दवाइयों का बोझ बढ़ता जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य सेवा मरीज-केंद्रित है या बाजार-केंद्रित? उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकारी और निजी अस्पतालों में अनावश्यक जांच तथा दवाइयों की शिकायतों की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। मरीज को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन-सी जांच क्यों लिखी गई और कौन-सी दवा क्यों दी जा रही है।

☞ **गरीब की बीमारी, परिवार की तबाही न बने :-** उन्होंने कहा कि बीमारी केवल शरीर को कमजोर नहीं करती, बल्कि गरीब परिवार की आर्थिक कमर भी तोड़ देती है। दवा, जांच, अस्पताल, आने-जाने और अन्य खर्च मिलाकर इलाज कई परिवारों के लिए भारी पड़ता है। ऐसे में सरकार को केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इलाज को सस्ता, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए।

☞ **सरकार बताए, मरीज के हित में है पूरी व्यवस्था या कमाई के लिए? :-** डॉ. पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। डॉक्टर, अस्पताल, जांच केंद्र और दवा कंपनियों के बीच किसी भी प्रकार के अनुचित आर्थिक हित की संभावना पर कठोर निगरानी होनी चाहिए। मरीज को ग्राहक नहीं, इंसान समझना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यदि वास्तव में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करती है तो उसे अनावश्यक जांच, महंगी दवाइयों, अस्पतालों की मनमानी फीस और इलाज के नाम पर होने वाले आर्थिक शोषण पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। "बीमारी का इलाज दवा से होना चाहिए, मरीज की मजबूरी का इलाज उसकी जेब खाली करके नहीं। स्वास्थ्य सेवा को सेवा ही रहने दिया जाए, उसे व्यापार का अखाड़ा न बनाया जाए।"●

कब्ज का होमियोपैथी में है कारगर दवा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

एक रोज अन्तर से मल त्यागना	दवा का नाम कोलोफाइलम 30	एक बूंद तीन बार रोज
भेड़ के लेड़ी के तरह	चेलीडोनियम 30	एक बूंद तीन बार रोज
अड़ा, टूकड़े-टुकड़े होने वाले दवा का नाम	अमोनियम म्यूर 30	एक बूंद तीन बार रोज
मल मिट्टी के रंग जैसा	दवा का नाम एकोनाइट नेपेलस 30	एक बूंद तीन बार रोज
माँ का दूध पीने वाले बच्चों को कब्ज	दवा का नाम एलुमिना 30	एक बूंद तीन बार रोज
वृद्धजन को	दवा का नाम एन्टिम क्रुड 30	एक बूंद तीन बार रोज
दुर्बलता का कारण	दवा का नाम काली बाईक्रोमिक 30	एक बूंद तीन बार रोज
पीठ में दर्द के साथ कब्ज	लैकेसीस 30	एक बूंद तीन बार रोज
कई दिनों के बाद मल त्यागना	दवा का नाम सल्फर 30, कोनियम 30	एक बूंद तीन बार रोज
समुद्री यात्रा के साथ	दवा का नाम प्लैटिना 30	एक बूंद तीन बार रोज
हठी कब्ज	थुजा 30	एक बूंद तीन बार रोज

कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से इस्तेमाल करे।

गंगाजल परियोजना के खिलाफ किसान महापंचायत

जलाशय के नाम पर गांव उजाड़ने और फसल रौंदने का आरोप

● मिथिलेश कुमार

नारदीगंज (नवादा)। गंगाजल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और किसानों के साथ कथित अन्याय के विरोध में गुरुवार को नारदीगंज प्रखंड के मधुवन गांव के खेल मैदान में किसान महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के साथ कई प्रमुख किसान नेताओं ने हिस्सा लिया और भूमि अधिग्रहण, मुआवजा तथा तैयार फसल को नुकसान पहुंचाए जाने के मुद्दे पर सरकार की नीतियों को जमकर घेरा। कार्यक्रम का संचालन रोटी बैंक नवादा के संचालक दीपक कुमार ने किया। महापंचायत में बक्सर सांसद सह राजद किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर सिंह, जल पुरुष राजेंद्र सिंह, बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक प्रसाद सिंह, बिहार-झारखंड प्रभारी एवं भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेता दिनेश कुमार, पूर्व मंत्री अखलाक अहमद तथा गोविंदपुर के पूर्व विधायक कामरान सहित कई नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।

☞ **"स्मार्ट सिटी के नाम पर गांव उजाड़ने की कोशिश" :-** बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि "स्मार्ट सिटी के नाम पर गांव को उजाड़ा जा रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि मधुवन और मोतनाजे गांव में जिस जलाशय की बात कही जा रही है, उसका वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के नाम पर जमीन लेने की कोशिश हो रही है और किसानों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन को लेकर सजग रहें और किसी भी निर्णय से पहले कानूनी प्रावधानों एवं मुआवजे की स्थिति स्पष्ट कराएं। सांसद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए किसानों से संगठित होकर अपनी आवाज उठाने की अपील की।

☞ **"जमीन को पैसे से नहीं तौला जा सकता" :-** बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि खेती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन को लेकर साजिश रची जा रही है। जमीन का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि खेती भी एक उद्योग है और किसानों की जमीन चली गई तो उनकी आजीविका का आधार ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने किसानों से अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ आवाज उठाने की अपील की।

☞ **"जेसीबी-पोकलेन से रौंदी गई लहलहाती फसल" :-** भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बिहार-झारखंड प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा कि वे दो दिन पहले भी गांव में पहुंचे थे और किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना था। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की लहलहाती धान की फसल को जेसीबी और पोकलेन मशीन से रौंद दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन जरूरी है। आप लड़ेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं

लड़ेगा," कहते हुए उन्होंने किसानों से संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने परियोजना में काम कर रही कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए।

☞ **968 एकड़ भूमि अधिग्रहण का दावा, मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश :-** किसान सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य कपिल यादव, रविंद्र यादव, विंदा पहलवान, मनोज यादव, धनंजय कुमार, पवन कुमार, धीरेंद्र कुमार, सचिन कुमार, राजीव यादव और संजय यादव समेत अन्य किसानों ने कहा कि जलाशय के नाम पर मधुवन और मोतनाजे गांव के लोगों को विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है। किसानों के अनुसार, मधुवन में करीब 484 एकड़ और मोतनाजे में करीब 484 एकड़ भूमि, यानी कुल करीब 968 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से प्रभावित है। किसानों का आरोप है कि अब तक मुआवजे की राशि तय नहीं हुई है और भुगतान भी नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों एवं किसानों के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन कई मामलों में लिखित सहमति नहीं हुई है। विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए स्थान भी अब तक चिन्हित नहीं किए जाने का आरोप किसानों ने लगाया। किसानों का कहना है कि दूसरी ओर सरकार और संबंधित कंपनी के स्तर से कार्य लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

☞ **धान की फसल रौंदे जाने का आरोप :-** ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2 सितंबर 2026 को अधिग्रहित करीब 151 एकड़ भूमि पर लगी धान की तैयार फसल को प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी और पोकलेन मशीन से रौंद दिया गया। इस कार्रवाई का ग्रामीणों और महिलाओं ने विरोध भी किया था। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भले ही सरकारी रिकॉर्ड में पूरी बताई जा रही हो, लेकिन उन्हें अब तक उचित एवं न्यायसंगत मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में मेहनत से तैयार फसल को नष्ट किए जाने से किसानों को दोहरी क्षति हुई है।

☞ **गंगाजल परियोजना के तहत चल रहा जलाशय निर्माण :-** उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी गंगाजल आपूर्ति योजना के फेज-2, पार्ट-1के तहत क्षेत्र में जलाशय निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना को लेकर जहां सरकार इसे जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़कर देख रही है, वहीं प्रभावित किसान भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और फसल क्षति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। महापंचायत में वक्ताओं ने सरकार से किसानों की समस्याओं का समाधान करने, उचित मुआवजा देने, फसल क्षति का भुगतान करने तथा पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही किसानों के हितों की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई। मौके पर जिला पार्षद देवानंद चौहान, जेसीओ धीरेंद्र कुमार धीरज, अर्जुन यादव, कैलाश प्रसाद यादव, मिथिलेश कुमार सुमन, दीपक कुमार बालाजी, राजेश यादव, रंजीत कुमार उर्फ बबुआ जी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं किसान मौजूद थे।●

मगही भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राज्यपाल के मुख्य सचिव को सौंपा गया ज्ञापन

● अमित कुमार सिंह/अनीता सिंह

मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल राजभवन पहुँच कर महामहिम राज्यपाल सय्यद अता हसनैन जी के मुख्य सचिव दिपक कुमार सिंह को मगही भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल करने सहित पांच सुत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मुख्य सचिव दिपक कुमार सिंह जो बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है उनहोंने बहुत ही गम्भीरता से ज्ञापन को पढ़ा और हमलोगों की बात को सुना उनहोंने कहा मगही मगध नागरिक संघ की मांग जायज और उचित मांग है । मै इसे मननीय राज्यपाल जी के तरफ से केन्द्र सरकार को पत्र के माध्यम से अनुशंसा कर दूंगा । क्योंकि इस मांग को केन्द्र सरकार ही पुरा कर सकता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस सिंह ने कहा करीब आधे घंटे कि मिटींग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्य सचिव के साथ हुआ जिससे हमलोगों की उम्मीद जगी है कि राज्यपाल महोदय के आनुशंसा से मगही आन्दोलन को मजबूती मिलेगा और आनेवाले दिनो में मगध के स्वाभिमान के प्रतीक मगही भाषा के लिये कुछ अच्छा होगा। श्री सिंह ने आगे कहा मगही भाषा के सम्मान के लिये

चरण वध तरीका से जो भी करना होगा हम लोग करेंगे जब तक मगही को सम्मान नहीं मिलता है तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। प्रतिनिधि मंडल में संघ के उपदेष्टा डॉ॰ भागवत प्रसाद, सदस्य मनोज कुमार उपस्थित थे। इस खबर से पुरे मगध में खुशी कि लहर दौड़ गई। इस खबर से संघ के उदय शर्मा, विजय सिंह, सत्यनारायण शर्मा, केदारनाथ सिंह, बिजेंद्र सिंह, रामात्वर राम, राजकुमार सिंह, सत्येन्द्र सिंह, संकेत शर्मा, बिरेन्द्र शर्मा, डॉ॰ भागवत प्रसाद, मनोज कुमार मुखिया, अशोक समदर्शी, रवि गुप्ता, उमेश प्रसाद, राजेश शर्मा, शंभू शर्मा, प्राचार्य अमित कुमार, आदि सदस्यों ने खुशी जताई।●

● **अमित कुमार सिंह/रजनीश कांत झा/मिथिलेश कुमार/मनीष कमलिया**

सम्राट चौधरी सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सरकार अतिपिछड़ा के लिए घड़ियाली आँसू बहा रहे है। इस घटना के बारे में डी0 जी0 पी0 एवं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराकर प्रणय चन्द्रवंशी को न्याय दिलायेगें। उन्होने कहा कि बिहार में भय एवं अराजकता का महौल बन जायेगा। एक सरकारी नौकरी 1 करोड़ रूपया, एक लाइसेंसी पिस्तौल अपनी सुरक्षा हेतु देने की माँग की सरकार बात नहीं मानी तो 45: अतिपिछड़ा 20: दलित एवं बहुजन मिलकर इस घटना को सड़क से सदन तक लड़ेगी। आने वाले समय बहुत विकराल होगा लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठायेगें और 21 वर्ष पूर्व वाला अपहरण हत्या अराजकता वाला बिहार हो जायेगा। इसलिए सम्राट चौधरी जी सुधर जाइये और अतिपिछड़ा बहुजन का बेटा को न्याय दिजिए। साथ ही उन्होने कहा कि सरकार सामंती ताकतो को बढ़ावा देकर अतिपिछड़ो की हत्या कर रही है लेकिन अतिपिछड़ा डरने वाला नहीं विधानसभा लोकसभा में 45 फिसदी दलित 20 फिसदी एवं बहुजन मिलाकर 90 फिसदी इसका जवाब देगी। स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधी को सजा देकर न्याय दिलाने का काम जिला प्रशासन का नही तो चारो तरफ लूट, हत्या बालात्कार अराजकता का महौल हो जायेगा। परिवार का हाल काफी चिन्ताजनक है। पूरे परिवार खौफ में जीने को बेबस है। असामाजिक तत्वो के सहयोग से अतिपिछड़ा का बेटा प्रणय चन्द्रवंशी को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया। इस हृदयविदारक घटना की जितनी निंदा की जाय कम है। जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि घटना को अंजाम देने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करे। घटनास्थल पर IG विकास वैभव एवं एसपी अभिनव धीमन मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SIT टीम एवं FSl टीम का गठन कर डीआईयू की टीम को भी लगाया गया। घटना 1 बजे, 1 सितम्बर को हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थल पर पुलिस पहुँची पूलिस को मृतक के परिजनों का आक्रोश झेलना पड़ा। आजादी मिली 1947 में कानून बना संविधान बना। 1952 में आज तक हिसुआ परातंत है। किसी एक जाति विशेष का कब्जा है। पहली घटना नहीं है। 1990 में दलित अतिपिछड़ा की हत्या कर दी गई एंव कॉलेज में कई बार घटना कॉलेज के आस पास हिसुआ में घट चुकी है। अधिकार एवं वर्चस्व के लिए अपनी जाति के सरफिर गुण्डो के लिए वर्चस्व बनाये हुए है। उसे संरक्षण यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा मिलता चाहे विधायक हो सांसद हो या अन्य लोग हो। सफेदपोश का संरक्षण प्राप्त है। दुर्दांत अपराधी पर CCA Act लगा है। उसपर एक दर्जन से अधिक मुकदमा लम्बिंत है। वह आदमी खुलेआम घुम

प्रणय चंद्रवंशी

नीरज कुमार उर्फ कारू डॉन

नहीं रहा अराजकता और आंतक मचा रहे। पैसे की उगाही रंगबाजी कर रहा है। जिला प्रशासन हो हिसुआ का प्रशासन हो बिल्कुल मौन है। इस घटना की जितनी निंदा की जाय कम है। जब जागों तब सवेरा अगर आप आज जाग जाते है तो समस्या आपकी हिसुआ की है। नवादा की है। यह मामला पूरे बिहार की नहीं है। सबसे पहले हिसुआ को जगना पड़ेगा आज प्रणय उर्फ पियुश जी की हुई है। कल किसी और की होगी। परसो किसी और की होगी। आज घर में बंद होने की जरूरत नहीं है। आज किसी मुसहर के झोपड़ी में भी कितना बड़ा अपराधी अत्याधुनिक हथियार लेकर घुस जाय। वह जिन्दा नहीं लौटकर आता है। आज आपने घर में गोली मारकर सकुशल चला जाता है। बड़े ही शर्म की बात है। अब अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आपको प्रतिकार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए चन्द्रवंशी समाज नहीं पूरे बहुजन समाज 90 फिसदी को एक जुट होकर ईट से ईट बजाना पड़ेगा। चाहे दलित, अतिपिछड़ा, पिछड़ा समाज के लोग हो सबको एकजुट होकर इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। इस रंगबाजी और गुण्डई का। हमलोग को लगता है कि हम आजाद भारत में नहीं जी रहे है। इस लड़ाई का अंतिम चरण तक लड़ेगें। D.G.P. और मुख्यमंत्री से मिलकर 3 माह के अन्दर इसका समाधान होनी चाहिए इसे फांसी की सजा होनी चाहिए इस पर कई मुकदमा दर्ज है। CCA Act लगा हुआ है। इसके बारे में पूरी जिला प्रशासन जानता है। आज खुले आम कारू अपराधी धुम रहा है। उसपर सफेदपोश लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बहुत शर्मनाक घटना है। जितने भी लोग बात सुन रहे है। सभी को इक्कठा होना सिखियेगा। जो संविधान ने अधिकार दिया है। बाबा साहब अम्बेदकर ने दिया है। उस अधिकार को प्रयोग करते हुये किसी से डरना नहीं है। चुनाव में उसका मत कितना है। 1952 से लेकर आजतक कब्जा है। कही न कही आपसब की कमजोरी है। अगर आप अपनी कमजोरी निकालोगे नही तो इससे भी बुरा दिन देखने को मिलेगा। अगर आपलोग चाहते है कि इसकी हत्या बेकार नहीं जाय तो आपसबों को संकलिप्त होना पड़ेगा। आने वाला समय मे चाहे राजनीति, सामाजिक, प्रशासनिक चुनाव, की बात हो की तो कानुन और संविधान के दायरे में रहकर अपनी एकता और अखण्डता को कायम करना पड़ेगा। ईट का जबाव पत्थर से तथा तमाचे का जबाव धमाके से देने के लिए तैयार रहिए। आपको लगता है कि वह बाहुवली है। लेकिन आज संविधान का जमाना है। संविधान समानता का अधिकार देता है। समरस्ता का नहीं चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति मंत्री विधायक मंत्री हो सभी का मान बराबर हैं। जो अंबेदकर साहब ने एक सिविल नागरिक को दिया है। साथ ही सभी को अम्बेदकर साहब ने एक वोट देने का अधिकार दिया है। एक से एक बाहुबली लादेन, शहाबुद्दीन जैसे बड़ें-बड़े बील में घुस गये। इसके लिए आप सभी को जगना पड़ेगा। अपने अन्दर कमियों को आकना पड़ेगा। समय रहते दूर करना पड़ेगा। हमलोग जिस तरह मदद चाहिए उस तरह का मदद मिलेगा। जब बहुजन अगड़ाई लेगा तो अपराधी बिल में घुसेगा वैसा अपराधी जो साइबर अपराध में CCA Act भूमि माफिया जैसे अपराधो में वर्शो से लिप्त है। दिन दहाड़े 1 बजे दिन में गोली मारकर मोहल्ले से चरना जाता है। फिर कई घंटे बीत जाने के बाद जालसाजी करता है कि हमें भी गोली लगी है। जब गोली लगी होती तो घटना के इतने घंटों बाद ये बात नहीं होती जब पता चला कि पियूश प्रणय चन्द्रवंशी की मृत्यु हो गई तो इस तरह शड्यंत्र रचकर निर्दोष को फसाया जा रहा है। लेकिन यह जाँच का विषय है। CCTV फुटेज D.I.U S.I.T टीम इसकी जाँच कर रही है। लेकिन ये सब तो कानुन और सविधान की बात हुई हमें सामाजिक तौर पर अपील करते है कि सामाजिक बहुजन एकता बनाके रखिये एक ही हत्या 100 हत्या का सबब है। अगर आप समय रहते सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में परिणाम और खराब होगा। मैं सम्राट चौधरी CM आप AI की बात करते थे कि अपराधी को पकड़ेगा या तो CCA Act का अपराधी खुलेआम घुम रहा है। पाताल में भी रहेगा तो अपराधी को खोजकर काउंटर एवं हाफ कांउटर की बात करते है। क्या ऐसे CCA Act के दर्जनों मुकदमे वाला दुरान्त अपराधी के लिए इनकाउंटर नहीं बने है। तो आप इस तरह का ब्यान क्यों देते थे। मुख्यमंत्री जी हम अतिपिछड़ा का अंगरक्षक है अगर आप अंगरक्षक होते तो आए दिन रेफ, बलात्कार, हत्या जैये घटना पर संज्ञान क्यों नहीं लेते। इसलिए मुख्यमंत्री जी समय रहते संज्ञान लिजिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हमलोग चुपचाप नहीं बैठेगे। इस वात का संकल्प लेना होगा हाथ उठाकर कसम खाया और कहा इस प्रतिकार के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जायेगें और पियूश उर्फ प्रणय चन्द्रवंशी को न्याय दिलायेगें। कभी पिछे नहीं हटेगे।

मृतक के पिता का आरोप है कि CCA अपराधी ने वहाँ आने के पूर्व दो लोगों को फोन पर धमकी दी थी कहा वह प्रणय भारती को मारने उसके मोहल्ले में आ रहे है। इसके बाद करीब 1 बजे वे लोग उसके घर पर तीन गाड़ियाँ BR01F4 7770, BR27N6289 & BR01JG30 से पहुँचे तथा मारपीट व फायरिंग शुरू कर दी मामला 02 सितम्बर को काण्ड संख्या 508/26 दर्ज किया गया जिससे 16 आरोपित को नामजद किया गया जिसमें मुख्य आरोपी कारू उर्फ नीरज, चंदन उर्फ पुजाड़ी व अखलेश कुमार के अलावा अन्य शामिल है। वादी का आरोप है कि CCA Act साइबर माफिया, ATM माफिया, भूमि माफिया, एंव दर्जनों मुकदमा का अभियुक्त हैं दूसरे पक्ष भी कराया FIR 8 लोगों को अभियुक्त बनाया।

SP अभिनव धीमन के आदेश में SIT का गठन कर सदर SDPO-I सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में SIT का गठन कर टीम में हिसुआ थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के अलावा अन्य पुलिस अफसरों तथा डी०आई०यू० को शामिल किया गया है। SP खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे है। SP के निदेशानुसार जाँच शरू कर दी गई है। SIT को घटना स्थल का जाँच किया, कई जगह से CCTV फूटेज लिये गये, एसपी के निर्देश पर मृतक के घर पर सुरक्षा के हाउस गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई। साथ ही मृतक के पिता को दो बॉडीगार्ड भी उपलब्ध कराये गये। जिस दिन प्रणय की हत्या हुई, किसी भी घर में चुल्हे नहीं जले और अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। शव यात्रा के दौरान प्रणव भारती अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो, इनकाउंटर करो की आवाज गुंजती रही। गमहीन माहौल के बीच बड़े भाई प्रणव कुमार ने छोटे भाई को

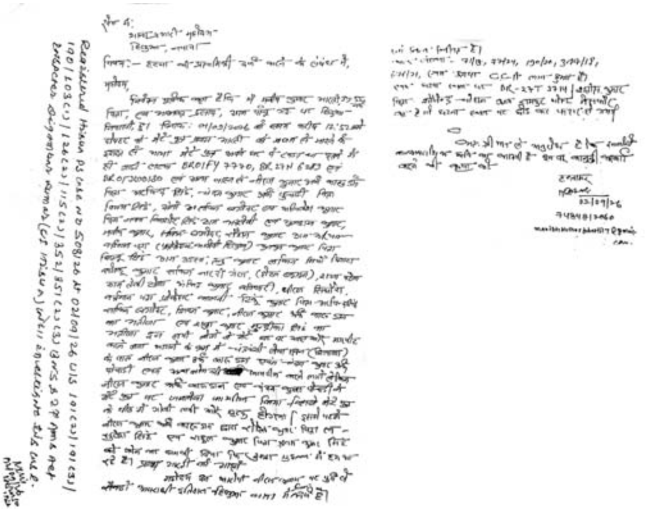

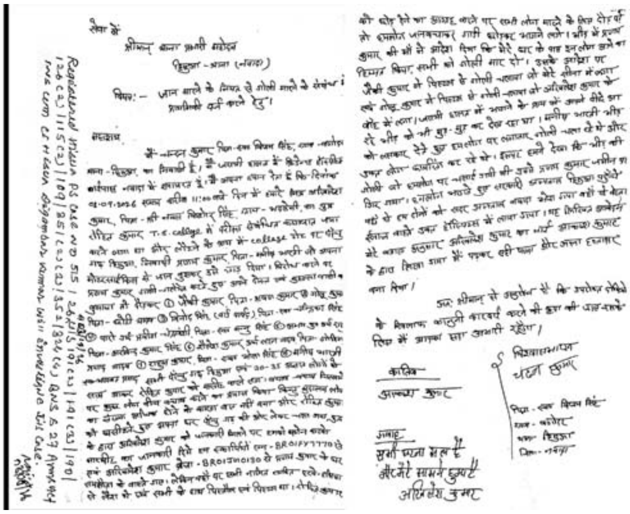

मुखाग्नि दी।

इस तरह की घटना से कारोबारियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ0 प्रेम कुमार ने SP से की बात IG को SIT गठन करने का निर्देश दिया, साथ ही मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को ज्ञापन देकर 50 लाख रूपया, एक सरकारी नौकरी एवं विश्वशांति चौक पर एक प्रतिमा लगाने की मांग की। पुलिस घटना के कारणों, आरोपितों की भूमिका, हथियार के इस्तेमाल समेत अन्य बिन्दुओं पर जाँच कर रही है। मुख्य आरोपी के घर SIT के छापे में कारू के घर से कई दस्तावेज जप्त किये गये गये। एसआईटी की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न जगहो पर आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जानकारी मिले। कांड के मुख्य आरोपित नीरज उर्फ कारू के घर छापेमारी में जप्त दस्तावेज के आधार पर जाँच बी0एन0एस0एस0 10टी के तहर संपति जप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। दोनों को जख्मी हाल में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य की गिरफ्तारी तक निजी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। लोगों से अपील है वे सोशल मीडिया पर जातीय उन्माद वाले भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दे। संबंधित पोस्ट पुलिस से साझा कर विधि व्यवस्था में सहयोग करे। इधर जाँच दल में जदयू की पाँच सदस्यीय टीम गठित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह जहानाबाद के पूर्व सांसद चन्देश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दरभंगा के विधायक राजेश मंडल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोश कुशवाहा, बिहार राज्य अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर प्रसाद निषाध, प्रदेश सचिव राजीव रंजन पटेल को शामिल किया गया है। इधर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर घटना स्थल पर पहुँचे आईजी विकास वैभव ने वैज्ञानिक साक्ष्यों से शिंकजा कसेंगे। 8 सदस्यीय SIT गठित की जा चुकी है और एसपी इसकी कमान संभालेंगे। घटना स्थल पर पहुंच FSI टीम ने फिंगर प्रिंट और खून के नमूने के साथ ही

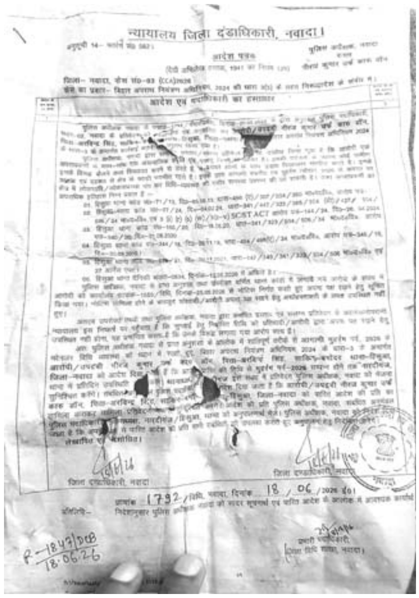

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, नवादा।

वैज्ञानिक जाँच पर जोर CCTV और कॉल डेटा से सुराग तलाशने की कयावद तेज कर दी है। साथी SP ने कहा कि लैब रिर्पोट से खुलेगा हथियार का सुराग। हमारे FSI कई एंगल से जाँच कर फॉरसिंक रिर्पोट से खुलोग कई राज साथ ही SP ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की गई है। इधर हिसुआ की घटना को जातीय रंग न देने की अपील की गई है। वही हिसुआ इंटर विद्यालय में रणवीर सेना के बैनर तले हजारो की संख्या में लोग एकत्र हुये और मामलो की जातीय रंग दिये जाने का जमकर प्रतिकार किया। रणवीर सेना के संस्थापक दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाती भानू सिंह पुष्कर नारायण, दीपु सिंह के आह्वान पर इंटर विद्यालय हिसुआ में जुटान हुआ। हिसुआ की घटना पर इसे दुखद और निंदनीय कहा है। साथ ही कहा कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाया जाये। कुछ लोग मामले को जातीय रंग दे रहा है, जो कतई उचित नहीं।

पूर्व विधायक कौशल यादव ने कहा कि कानून पर बड़ा सवाल है कि हिसुआ जैसे शांत इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। यह बेहद निदनीय और भयावह है। उन्होने कहा कि यह पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। उन्होने कहा कि पुलिस शीघ्र ही सभी हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तारी करे और स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। हमें समझ में नहीं आता है कि जिस अपराधी पर CCA लगा हो, दर्जनों मामले दर्ज हो, वह दिनदहाड़े मर्डर करके चला जाता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो। उन्होने सरकार से मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अगर न्याय नहीं मिला तो राजद सड़क से सदन तक आन्दोलन करेगा। बाहुबली पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव ने विशाल ऐतिहासिक बहुजन के समुह को संबोधित कैंडिल मार्च को करते हुए कहा कि हत्यारा भूमि माफिया, ATM माफिया CCA Act साइबर माफिया कारू उर्फ निरज को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस पर स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा हो। हम बहुजन समाज पिड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होने सरकार से एक करोड़ रूपया, एक सरकारी नौकरी एक लाइसेंसी पिस्टल की मांग की।

बाहुबली बहुजन के नायक अशोक महतो ने कहा कि बिहार में लगातार अतिपिछड़ों, पिछड़ों और दलितों पर समाज के लगातार हत्या की घटना घट रही है। सरकार और प्रशासन इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है। प्रणव उर्फ पियूश चन्द्रवंशी की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। अगर जल्दी कारवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठायेंगे। इस प्रणव की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश

काफी है। परिजनों ने भी हत्या के पीछे साजिश की आंशका जताते हुए जाँच की मांग की इस समय कुछ भी हो सकता है। हम बहुजन हर समय हर परिस्थितियों में इनके परिवार के साथ खड़े है। गोरे अंग्रेज चले गये काले अंग्रेज आज भी है। पूर्व विधानसभा कुम्हरार पटना के प्रत्याशी डॉ0 धर्मेन्द्र चन्द्रवंशी ने कहा कि जिस तरह आप दूसरो को करोड़ो रूपया देते है उसी तरह इस परिवार को एक करोड़ रूपया एक सरकारी नौकरी, एक पिस्टल का हथियार, विश्वशांति चौक पर आदमकद प्रतिमा की मांग की साथ ही SC/St तर्ज पर EBc Act की मांग की इनके सामने में कॉग्रेस प्रत्याशी कुम्हरार विधानसभा इन्द्रदीप चन्द्रवंशी, अमोद चन्द्रवंशी पूर्व प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी विघान राजद, पूर्व अध्यक्ष जिला परिशद अंजू चन्द्रवंशी पटना पिन्टु चन्द्रवंशी शेखपुरा, गौतम कपूर, मोहन सिंह ने मांग की न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार को आरोपित के घर कराया गया तामिल तब पुलिस की दविस पर 72 घंटे के भीतर कारू उर्फ नीरज जो पियुश हत्या काण्ड के मुख्य आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्ब् अपराधी कारू को रिमांड पर लेकर पुछताछ करेगी 03 सितम्बर को कि थी आरोपित के घर की पुलिस ने की थी छापेमारी कई अहम सुराग मिले है।

हम पार्टी के जिलाध्यक्ष लवकुश एवं भीम आर्मी के नेतृत्व में इतनी बड़ी आंदोलन का शंखनाद हुआ कि बिहार का ऐतिहासिक कैडिल मार्च 25 से 30 हजार की संख्या में बिहार के चर्चित हाई प्रोफाइल प्रणय हत्या काण्ड के आरोपी निरज उर्फ कारू जिसपर CCA Act साइबर ATM माफिया, भूमि माफिया के खिलाफ कैडिल मार्च निकाला गया हिसुआ पाँचू गढ़ स्थित चन्द्रवंशी भवन से निकली कैंडल मार्च हिसुआ नवादा पथ होते हुए पाँचू विश्वशांति चौक पहुँचा जहाँ सभा का आयोजन किया गया। बारी-बारी से नेताओं ने अपनी मांग रखी और अपराधी को फांसी की सजा उम्र कैद इनकाउंटर एंव पिड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रूपया एक सरकारी नौकरी एक पिस्टल लाइसेंस एंव शांति चौक पर प्रणय चन्द्रवंशी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई इसमें निर्दोष फंसे नहीं दोषी बचे नहीं। पूर्व लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने कहा देश का भविष्य था प्रणय भारती जिस परिवार प्रशासनिक, केन्द्रीय सेवा, हेडमास्टर में हो वो अपराघी नहीं हो सकता हिसुआ में भय व्याप्त है। अपराधी के घर पर कब चलेगा बुलडोजर। प्रमोद चन्द्रवंशी ने कहा कि इस घटना से काफी मरमाहत हूँ। लगातार SP और DM से अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पिड़ित परिवार के साथ खड़ा है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नालन्दा राजद एवं ABC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम झुकने वाले नहीं इसका प्रतिकार करे हम परिवार के साथ खड़ा है।

राज्यसभा सांसद भीम सिंह चन्द्रवंशी ने कहा कि दोषियों को किसी सुरत में नहीं बख्सा जायेगा कडी कार्रवाई की जायेगी। इस दुख की घड़ी में आप के साथ खड़ा हूँ, इसके बाद उन्होने DM और SP को ज्ञापन दिया। पियूश की हत्याकांड के बाद सात नये Case दर्ज हुए तथा हिसुआ में धारा 163, 20 सितम्बर तक लागू किया गया है। साथ ही 1 सितम्बर की

घटना पर दूसरा पक्ष चन्दन उर्फ पोचाड़ी अखलेश कुमार के घायल होने की बात कही हैं SP अभिनव धीमन ने मुख्य आरोपी CCA अपराधी नीरज कुमार उर्फ कारू के खिलाफ 72 घंटे के भीतर न्यायालय से वारंट इश्तेहार ओर कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार मामले में संलिप्त 16 अपराधियों के खिलाफ भी न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जा चुका है। साथ ही जिला मुख्यालय सोशल मिडिया पर 24 घंटे पैनी नजर बनाये हुए है। मनीष कुमार भारती 508/26 में 15 नामजद अभियुक्त बनाये गये है। साथ ही पाँच नये FIR दर्ज किये गये 508/26, 514/26, 515/26, 519/26, 524/26 साथ ही साइबर साम्बे काण्ड 82/26 तथा 83/26 दर्ज एक पक्ष में मोनू सिंह और कन्हाई सिंह दूसरे मामले में पूर्व MLC अशोक चन्द्रवंशी को आरोपित किया गया। मोनू सिंह रणवीर सेना दिगवंत ब्रह्मेश्वर मुखिया का पोता बताया जाता है।

कॉलेज जा रहे पैर में बाइक सटने पर मारी गोली, 1 बजे मौत हो गई, आक्रोशित लोगों ने 2:30 बजें गया हिसुआ पथ को जाम कर दिया। साथ ही हिसुआ विश्व शांति चौक पर लोगो ने टायर जलाकर नवादा गया मार्ग को आवागमन अवरूध किया। इस काण्ड में 15 नामजद अभियुक्त कारू अपराधी उर्फ नीरज अपने एक स्कारपिओं ब्रेजा, बुलेट एवं अन्य गाड़ियों से हथियार लैस पहुँचा गोली लगने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा तो लोगो ने लाठी डण्डे लेकर रगेदा लेकिन हथियार के डर से लोग पीछे हट गए। घटना के बाद पैदल चलते भी फोटो CCTV कैमरे में कैद हुआ। यह तो जाँच का विषय है। मगध रेंज के IG विकास वैभव व नवादा SP अभिनव श्रीमान् मंगलवार की शाम हिसुआ पहुँचे दो अधिकारी मृतक के परिजनों से बातचीत की और हर संभव सहायता की आवश्वासन दिया।

कॉलेज जाने के रास्ते में पुलिया के समीप रोड रेंज से विवाद हुआ वहाँ दोनो के बीच झड़प हुई। मृतक ने परिजन का आरोप है कि आरोपित पक्ष दो गाड़िया एंव बुलेट के साथ 25 से 30 कि में हथियार से लैस घर पर चढ़े वह पर दो गोलिया उनके द्वारा चलाई गई, जिसने

एक गोली प्रणय को लगी परिजन ने कहा कि CCTV फूटेज में साक्ष्य उपलब्ध है। सदर अस्पताल नवादा ले जाने के क्रम में मौत हो गई दूसरे पक्ष की गोली लगने पर मृतक ने परिजनों का आरोप है। उनलोगों ने खुद ही गोली मारी और फर्जी मुकदमा कर हमलोगों को फसाया जा रहा है। CCTV फूटेज की जाँच की जा सकती है। घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त चौपहिया स्कॉरपियों ब्रेजा, बुलेट जप्त कर लिया गया हैं। घटना के कुछ देर पहले इसी मार्ग से गुजरा था IG विकास वैभव की गाड़ी। तीन दिनों CCTV FSI रिर्पोट के आधार पर की जायेगी दोषियों को बख्सा नहीं जायेगा। दूसरे दिन पियूष की हत्या के विरोध में हिसुआ बाजार बंद अंतिम संस्कार में जुटी भारी भीड़ मृतक के घर पर हाउस गार्ड पिता को बॉडीगार्ड मिला व कानून व्यवस्था की समस्या बनने नहीं दिया जायेगा।

प्रणय हत्याकांड का आरोपित को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर सोशल मिडिया पर ब्यानबाजी से बढ़ रहा तनाव तक लग सकती धारा 163 बिना अनुमति बैठकी करने तथा कैडल मार्च के आयोजन समेत दर्जनों पर आरोपति ब्रहमेश्वर मुखिया के रिश्तेदार के खिलाफ 7 मामले दर्ज इधर माहौल को देखते हुए बंद हो सकती है। इंटरनेट सेवा टी0 एस0 कॉलेज में टी0 ओ0 पी0 का आश्वासन DM, SP थाना परिसर में DM रवि प्रकाश और SP अभिनव धीमन की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक में कहा कि अपराध को अंशाती व कानून व्यवस्था की समस्या नहीं बनने दिया जायेगा। अफवाह फैलाने वाला पर सख्त कार्रवाई। कॉलेज के पास कहासुनी से शुरू फिर प्रशासन ने धारा 163 लगाई पिता की अपील पर शांत हुआ शहर युवक की हत्या के बाद माहौल खराब धन्य है। हिसुआ के लोग जिन्होने कैडिल मार्च के ऐतिहासिक भीड़ का संयम का परिचय दिया।

मुख्य आरोपी 578/2 कारू उर्फ नीरज अपराधी को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड पर 5 सितम्बर को CGM कोर्ट में आत्म सम्पर्ण करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस आगे कानुनी कार्रवाई में जुटी है।

विधायक अनिल सिंह अपने आवास पर प्रेस कॉफ्रेंस करते है कहते है कि राजनीतिक जमीन तलाशने वाले पर साधा निशाना और कहा बहुजन नहीं सर्वजन की बात को साथ ही हिसुआ में अमन चौन कायम रहेगा। इधर बाहुबली पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद का नाम लिये बिना कहा कि दल तो बदला है पर दिल नहीं बदला है। पूर्व विधायक सांसद विवेक ठाकुर आते है Central School के उद्धधाटन नवादा में करते है लेकिन मृतक के परिजन से नहीं मिले। पर विधायक अनिल सिंह एंव अनिल मेहता मृतक के परिजन से नहीं मिले। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री डॉ॰ प्रमोद चन्द्रवंशी भी नहीं मिले। कौशल यादव और वारिसलीगंज विधायक अनिता के पति अशोक महतो का नाम लिये और उन दोनो पर जमकर हमला बोला विधायक ने पुलिस की कार्रवाई को संतोष जताया निष्पक्ष तरीका से अपना काम कर रही है। इधर पूर्व विधायक नीतू सिंह एवं विधायक अनिल सिंह का विडियों भी सोशल मिडिया पर ट्रेड कर रहा है।

दूसरे पक्ष के आरोपित जैकी कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। कुर्की जप्ती की कार्रवाई के बीच अबतक कुल कारू समेत 7 लोग न्यायालय में कर चुके सरेंडर SIT की शक्ति के बाद चार और का सरेंडर 508/26 करे दो आरोपित नारदीगंज निवासी सोलटू कुमार हिसुआ तेली टोला निवासी राजा पटेल ने न्यायालय में किया आत्मसमपर्ण इसके पूर्व कारू निरज CCA अपराधी ने पुलिस के दवीस में आकर किया सरेडर पुलिस के अनुसार उड़सा चुनचुन कुमार बलियारी अंकित कुमार समेत बगोदर बलियारी भदसेनी और अन्य स्थानों के फरार आरोपित के घर पर विधिवत नोटिस और इश्तेहार चिपका दिया गया। पुलिस से बड़ी उम्मीद अब खुलेगे वारदात के राज हत्याकांड के बाद हिसुआ में कड़ा पहरा, पुलिस ने निकाला मार्च पुलिस कारू को रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही पूछताछ तथा चंदन और अखिलेश भी रिमांड पर कराया गया क्राइम सीन रिक्रिएशन साथ ही दूसरे पक्ष का जैकी भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कारू पर कसा शिकंजा हिसुआ में पुलिस वालों ने SP के नेतृत्व में किया फ्लैग मार्च पुलिस छावनी में तबदील हुआ। हिसुआ बाजार ही एक कॉलेज में टी0 ओ0 पी0 के लिए दिया गया प्रस्ताव। धारा 163 लागु माहौल दोबारा खराब न हो इसलिए जिला प्रशासन चौकस साथ ही महापंचायत को लेकर हिसुआ प्रशासन अलर्ट शहर में इंट्री पर सख्ती भारी से मात्रा में पुलिस बल की तैनाती 13 सितम्बर की सभा की अनुमति नहीं सोशल मिडिया पोस्ट भ्रामक 20 सितम्बर तक BNSS की धारा 163 लागु रहेगी साथ ही हिसुआ में पुलिस का पहरा बढ़ा दी गई मिलिट्री फोर्स तैनात BMP, CRPF, RAFK की एक एक कम्पनी तैनात व गस्ती कर रही है।

आत्मसमपर्ण करने वाले कारू उर्फ निरज कुमार, भदसेनी गाँव निवासी शिवम कुमार, राजा उर्फ गौरव राहुल, निवास बलियारी का अंकित और नरहट खनवाँ का गुलशन न्यायालय में किया जिस ब्रेजा गाड़ी के आरोपित पीयूश के घर तक गया था उस गाड़ी का मालिक निवास है। इस प्रकार अबतक काण्ड का नामजद मुख्य आरोपी समेत नीरज कुमार उर्फ कारू समेत 7 लोगों ने न्याालय में आत्मसमपर्ण किया है। नारदीगंज जफरा निवासी सोलडू और हिसुआ तेली टोला निवासी राजा पटेल ने भी न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया है। 15 अभियुक्त नामजद में 8 लोग सलाखे के पीछे जा चुके है। छः की गिरफ्तारी अभी बाकी है। दूसरे पक्ष से प्राथमिकी में अबतक एक आरोपित जैकी कुमार को कलकता से पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रशासन की ओर से 5 कम्पनिया माँग की गई थी फिलहाल तीन कम्पनीया तैनात है। तीन जगहो पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। TS College में BMP इंटर विद्यालय हिसुआ बगोदर में

CRPFK को रखा गया है। 20 सितम्बर तक भारतीय सुरक्षा सहिता की घारा 163 लागू रहेगी। हिसुआ हाई स्कूल नरहट रोड रेलवे फाटक, बीच बाजार, नवादा रोड राजगीर रोड सभी इलाके में कड़ी चौकसी रहेगी। इधर छात्र हत्याकांड में प्रणय भारती को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डॉ० धर्मेन्द्र चन्द्रवंशी पूर्व विधानसभा कुम्हारार पटना एवं जदयू नेता के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार राज्य अतिपिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य को ज्ञापन सौपा प्रतिनिधिमंडल ने हत्याकांड की त्वरित व निष्पक्ष जाँच कराने और स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की परिजनों को एक करोड़ रूपया एक सरकारी नौकरी शहीद विद्यार्थी प्रणय भारती प्रतिमा हिसुआ विश्वशांति चौक पर स्थापित करने की मांग की गई। इसके अलावा मृतक के परिवार के खिलाफ दर्ज फर्जी FIR की रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही 11 सदस्यीय दल में पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल रहे। 15 सितम्बर को अतिपिछड़ा आयोग की टीम नवादा स्थानीय प्रशासन के साथ मुलाकात कर न्याय दिलाने के लिए पहुँची और कहा कि मृतक परिवार को न्याय मिले घटना की पुनरावृति न हो।

महापंचायत को लेकर विधि व्यवस्था सुरक्षा को लेकर 30 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति DM, SP ने जारी किया संयुक्तादेश। जिला प्रशासन ने रूट प्लान जारी कर संवेदनशील स्थानों पर लगातार फ्लैग मार्च एंव एरिया डोमिनेशन जारी प्रशासन ने अफवाह से दूर रहने की नसीहत दी है। राजगीर से नवादा जाने वाली वाहन कहुआरा

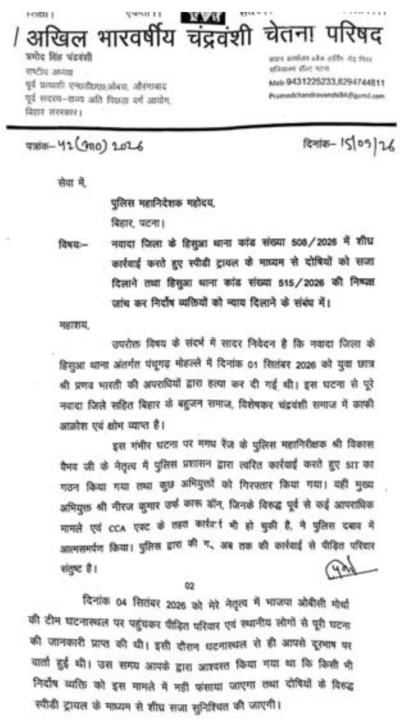

अखिल भारवर्षीय चंद्रवंशी चेतना परिषद

प्रमोद सिंह चंद्रवंशी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूर्व प्रत्याशी एनडीए,ओबरा, औरंगाबाद
पूर्व सदस्य–राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार सरकार।

Mob-9431225233,8294744811

पत्रांक–५२(अ०) २०२६ दिनांक– १५/०९/२६

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक महोदय,
बिहार, पटना।

विषय– नवादा जिला के हिसुआ थाना कांड संख्या 508/2026 में शीघ्र कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने तथा हिसुआ थाना कांड संख्या 515/2026 की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे सादर निवेदन है कि नवादा जिला के हिसुआ थाना अंतर्गत पंचूगढ़ मोहल्ले मे दिनांक 01 सितंबर 2026 को युवा छात्र श्री प्रणव भारती की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे नवादा जिले सहित बिहार के बहुजन समाज, विशेषकर चंद्रवंशी समाज मे काफी आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।

इस गंभीर घटना पर मगध रैंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास वैभव जी के नेतृत्व मे पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT का गठन किया गया तथा कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य अभियुक्त श्री नीरज कुमार उर्फ कारू डॉन, जिनके विरुद्ध पूर्व से कई आपराधिक मामले एवं CCA एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है, ने पुलिस दबाव मे आत्मसमर्पण किया। पुलिस द्वारा की ग.. अब तक की कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट है।

02

दिनांक 04 सितंबर 2026 को मेरे नेतृत्व मे भाजपा ओबीसी मोर्चा की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार एवं स्थानीय लोगों से पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की थी। इसी दौरान घटनास्थल से ही आपसे दूरभाष पर वार्ता हुई थी। उस समय आपके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस मामले मे नही फंसाया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शीघ्र सजा सुनिश्चित की जाएगी।

मोड़ के बाबा के ढ़ावा होते हुए जायेगी। महापंचायत को लेकर नवादा गया राजगीर मार्ग पर रहेगें। बैंक वाली रास्ते धारा 163 के तहत किसी समय पर रोका है। होटल सड़क रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली यात्री पर प्रशासन की पैनी नजर हिसुआ ने सदेंश साफ कानुन और संविधान से उपर कोई भी नहीं इससे कोई समझौता नहीं।

SP की मॉनिटरिंग 4 DYSP तथा 24 SHO तथा 31 दंडाधिकारी 80 पुलिस अधिकारी की तैनाती सुरक्षा के चुस्त प्रवेश मांगो पर बेरिकैडिंग वाहनों की साधन आये क्यूआरटी मुस्तैद वी सैप की कम्पनिया रही तैनात तथा सभी वार्डर प्वांइट सील हिसुआ पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। इधर अतिपिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने आयोग की सदस्य अमित डांगी जी एवं भंडारी जी के साथ नवादा सर्किट हाउस में एसपी नवादा एवं डीएम नवादा के साथ पियूश चंद्रवंशी हत्याकांड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अध्यक्ष ने स्पस्ट निर्देश दिया कि मृतक के परिजनों के विरुद्ध दर्ज कथित फर्जी एफआईआर की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा यदि एफआईआर तथ्यहीन पाई जाती है तो उसे निरस्त किया जाए। साथ ही हत्याकांड की त्वरित एवं निष्पक्ष जांचए आरोपियों के विरुद्ध कानून के तहत कड़ी कार्रवाई तथा मामले को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शीघ्र न्यायिक निष्कर्श तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। न्याय में देरी नहींए पियूश के परिवार को शीघ्र न्याय चाहिए। मनोज कुमार सिंह चंद्रवंशी, अमित सरकार, चन्दन कुमार, गौतम चंद्रवंशी, अमन कुमार, आदि लोग उपस्थित रहे इधर प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी, पूर्व सदस्य अतिपिछड़ा आयोग बिहार सरकार प्रणय हत्याकांड को लेकर बिहार के DGP से नवादा जिले के हिसुआ थाना कांड संख्या–508/26 में शिघ्र कार्रवाई हेतु स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने तथा हिसुआ कांड सं0 515/2026 की निष्पक्ष जाँच कर निर्दोश व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए प्रमोद चन्द्रवंशी एवं DGP विनय कुमार के बातचीत में उन्होने कहा कि परिवार को न्याय मिलेगा। CID से हम जाँच भी करवा सकते है। यह घटना 1 सितम्बर 2026 को युवा छात्र प्रणव भारती की हत्या मुख्य अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ कारू के द्वारा कर दी गई थी।●

अंग्रेज सूर्यनारायण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके

● **प्रो० रामजीवन साहु**

जमुई जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मस्थली होने के करण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जमुई राष्ट्रभक्तों के जन्मस्थली के कारण भी है. जमुई नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड संख्या 24 में एक मुहल्ला है ,जिसका नाम भछियार है.इस मुहल्ले में एक महान क्रांतिकारी, उत्साही, साहसिक, कुशाग्रबुद्धि, अतिसूझबूझ वाला, आत्मरक्षक, अग्रचिंतक और परम राष्ट्रभक्त का जन्म 31 अगस्त 1926 में हुआ. उनका नाम स्मृतिशेष सूर्यनारायण सिंह है. उनके पिताश्री का नाम स्मृतिशेष रामशरण सिंह उर्फ छोटू सिंह है.उनको तीन पुत्र हुए. श्री अमरजीत सिंह, अजीत कुमार सिंह और अनील कुमार सिंह हुए एवं तीन पुत्रियां हुई. स्मृतिशेष रानी देवी ,नन्दनी देवी एवं रेखा देवी. उनके समान विचारधारा के और हृदयंगम तीन सहपाठी एवं लंगोटिया यार थे. एक श्री विश्वेश्वरी प्रसाद सिन्हा, जो पटना सचिवालय से अवकाश प्राप्त किये, द्वितीय श्री नरदेव प्रसाद भगत, जो 1980 में बिहार विधानसभा के जमुई विधानसभा के सदस्य चुने गये एवं तृतीय जमुई थाना के पुलिस अधिकारी श्री जंघई सिंह का भतीजा पप्पू सिंह. तीनों राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत क्रांतिकारी थे. उस समय सम्पूर्ण भारतवासी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गतिमान आन्दोलन चला रहे थे. इस आन्दोलन में महात्मा गाँधी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे.

सर्वप्रथम महात्मा गांधीजी ने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के मित्रों के साथ अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए गहन-चिंतन-मंथन करने के पश्चात उन्होंने देश को एक महत्वपूर्ण जयघोष दिए कि 'अंग्रेजों भारत छोड़ो'. इस जयघोष का सम्पूर्ण भारत में गहरा प्रभाव पड़ा. फलस्वरुप 08 अगस्त 1942 में सूर्यास्त के बेला में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गाँधीजी ने 'करो या मरो' का प्रसिद्द नारा दिया. यह नारा सम्पूर्ण भारत में तहलका मचा दिया.

11 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी सरकारी आवासों पर तिरंगा ध्वज फहराने का योजना बनाये. फलस्वरुप बिहार के पटना सचिवालय पर तिरंगा ध्वज फहराने के दौड़ान बिहार के सात वीर सपूत शहीद हो गये थे. शहीद होने वाले वीर सपूतों के नाम हैं :-

☞ उमाकांत प्रसाद राय, सारण कक्षा-9
☞ रामानंद सिंह, पटना, कक्षा-9
☞ सतीश प्रसाद झा, भागलपुर, कक्षा-10
☞ जगतपति कुमार, औरंगाबाद, कक्षा-हायर सेकेण्डरी
☞ देवीपद चौधरी, जमालपुर, कक्षा-9
☞ राजेन्द्र सिंह, सारण, कक्षा-10
☞ रामगोविन्द सिंह, पटना, कक्षा-9

क्रांतिकारी सूर्यनारायण सिंह

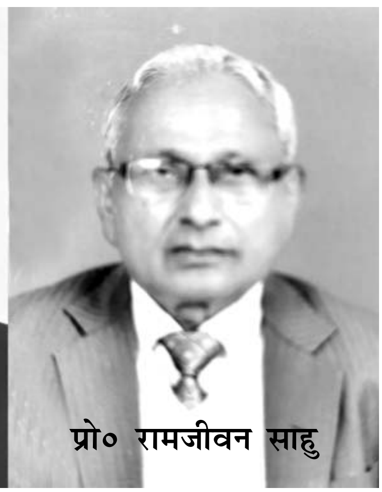
प्रो० रामजीवन साहु

11 अगस्त 1942 को उसी क्रम में जमुई अनुमंडल अधिकारी के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया गया. फहराने वाले वीर सपूत, क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त का नाम है स्मृतिशेष सूर्यनारायण सिंह. इन्होने कुमार कालिका सिंह, दुखहरण प्रसाद, त्रिपुरारि सिंह, विश्वेश्वरी प्रसाद, नरदेव प्रसाद भगत और पुलिस अधिकारी का भतीजा पप्पू सिंह एवं अन्य राष्ट्रभक्तों के साथ मिलकर इतनी अच्छी योजना बनाई गई कि तिरंगा ध्वज फहराई भी गयी और फहराने वाले कभी गिरफ्तार भी नहीं हुए. जंघई सिंह का भतीजा पप्पूजी बतला दिये थे कि टौमी फौजी दस्ता आ चुका है. यह दस्ता अत्यंत ही क्रूर दस्ता होता है.इसके पास ममता जरा भी नहीं होती है .इसके कारण बड़ी सावधानी के साथ योजना बनायी गयी. सूर्यनारायण सिंह ने सभी आंदोलनकारियों से बताइए कि आपलोग मुख्यद्वार पर इतना आक्रोषित हो जाना कि उसका ध्यान कभी पीछे जाए ही नहीं. ऐसा ही हुआ.आगे सभी आक्रामक होकर जोर-जोर से नारे लगा रहे थे और सूर्यनारायण सिंह आवास के पीछे सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ गए. संयोग से छत पर ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे, उन्होंने ईंट को ऊपर नीचे सजा दिये और वहां छोटे से डंडे में तिरंगा ध्वज लगा कर फहरा दिए. उसके बाद वे चुपके-चुपके वहां से छूमंतर हो गये, तिरंगा ध्वज फहरते देख सभी आंदोलनकारी जोर-जोर से ताली बजाने लगे और भारत माता की जयकारा लगाने लगे. तब जाकर पुलिस बल अनुमंडल अधिकारी के आवास के उपर दृष्टि डाली, तो उसके होश उड़ गये. देखा कि छत पर तिरंगा ध्वज फहर रहा है. दौड़कर पीछे देखा, तो वहां कोई नही मिला. ये बड़ी तेजी के साथ कल्याणपुर आये .वहां उन्होंने कियुल नदी के किनारे -किनारे बेला गाँव आए . उस गाँव में उनकी फुआजी रहती थीं. रात भर वहीं ठहरे. दूसरे दिन चिहुटिया पहुंचे. वहां उनका नानी घर था. दो दिन वहां ठहरे.उसके बाद वे अपने घर भछियार पहुंच गये. उधर तिरंगा ध्वज फहरने के बाद टौमी फौजी गोलियां चलाने लगी. इस गोलीवाड़ी में दुखहरण प्रसाद का निधन हो गया.

अंग्रेजों के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराना उसके गाल पर तमाचा लगाने बराबर हुआ. इस योजना का दो निष्कर्ष निकला प्रथम् यह कि जमुई के क्रांतिकारी तिरंगा ध्वज फहराने में सफल हो गये और द्वितीय यह कि महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि 'रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई'। ठीक उसी तरह ध्वज फहराने की योजना में जितने भी क्रांतिकारी थे, वे सभी पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी योजनाएं दी गयी, उसे बरदास्त किए परन्तु किसी ने सूर्यनारायण सिंह का नाम नहीं बताया.

उपर्युक्त घटनाएं उनके मुखारविंद से सुनी हुई है. उस समय मैं पत्रकार नहीं था, वरना उसी समय यह जीवनी लिखि जा चुकी होती. उस वीर बहादूर क्रांतिकारी की मृत्यु 17 मार्च 2011 में हुई. ऐसे क्रांतिकारी को कोटि-कोटि नमन्. ●

शेरघाटी एसडीओ जतिन कुमार के कार्यशैली से लोगों में खुशी, समस्या सुनकर करते हैं तुरंत कार्रवाई

● मो० सईद

शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में आईएएस अधिकारी जतिन कुमार के अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में योगदान देने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि एसडीओ की कार्यशैली सहज और आम लोगों के प्रति संवेदनशील है। लोगों के अनुसार, अनुमंडल कार्यालय पहुंचने पर एसडीओ जतिन कुमार पहले लोगों को अपने पास बैठाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। इसके बाद वे लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। समस्या की जानकारी लेने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मी से फोन पर बात कर मामले की जानकारी लेते हैं और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अधिकारियों के कार्यालय में आमतौर पर अपनी समस्या रखने में लोगों को कई बार परेशानी होती है, लेकिन एसडीओ जतिन कुमार के समक्ष अपनी बात रखने में उन्हें सहजता महसूस हो रही है। खासकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान होगा। लोगों ने बताया कि जमीन, दाखिल-खारिज, राजस्व, प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर अनुमंडल कार्यालय आने वाले लोगों को एसडीओ द्वारा उनकी समस्या सुनने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने से राहत मिल रही है। बताया जाता है कि आईएएस अधिकारी जतिन कुमार वर्ष 2024 बैच के अधिकारी हैं। शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में योगदान के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर क्षेत्र में चर्चा है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आम जनता से सीधा संवाद बनाए रखते हुए वे प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे।●

रंजीत यादव ने किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत

● अब्दुल कैय्यूम

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावागी के अररिया प्रवास के दौरान पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रंजीत यादव काफी सक्रिय नजर आये। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावागी के अररिया सर्किट हाउस पहुंचने पर रंजीत यादव ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस क्रम में उन्होंने संगठन के विस्तार व आगामी कार्य योजनाओँ पर भी विस्तृत चर्चा की। इस क्रम में भाजपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रंजीत यादव ने प्रदेश अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा व मजबूती मिलेगी। भाजपा नेता रंजीत यादव ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावागी एक सरल सहज एवं ऊर्जावान व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके कुशल नेतृत्व में निश्चित रूप से संगठन को नई दिशा व ऊर्जा मिलेगी। स्था ही साथ उनके मार्गदर्शन से भाजपा का संगठन अधिक सशक्त व प्रभाव शाली बनेगा तथा जनसेवा के संकल्प को नई गति

मिलेगी। भाजपा नेता रंजीत यादव ने बताया की इस के बाद उन्हीने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ अररिया अवस्थित पावन मां खडगेश्वरी काली मंदिर का दर्शन-पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किये। इस क्रम में उन्होंने मां खडगेश्वरी के दरबार में विधित्वत पूजा अर्चना कर अररिया लोकसभा क्षेत्र, बिहार एवं देशवासियों कस सुख, शांति, सम्रद्धि तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने मां खडगेश्वरी से उन्हें सत्य,सेवा व संस्कार और समर्पण के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य डॉ एन के यादव, सांसद प्रदीप कुमार, आदि मौजूद थे।●

जिलाधिकारी ने किया पलासी व अंचल कार्यालय का निरीक्षण

● **अब्दुल कैय्यूम**

जिला पदाधिकारी अररिया विनोद दूहन ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में सात निश्चय योजना के तहत कोशी डायरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित बल्क मिल्क कूलर यूनिट (सुधा बिक्री केंद्) का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोगो से दुधारू पशु खरीद कर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की अपील की। इस के बाद पलासी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का शिड्यूल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में संचालित विभिन्न कार्यों, अभिलेखों एवं पंजियों के संधारण की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने अंचल कार्यालय से संबंधित उपस्थिति पंजी, सेवा पुस्तिका, सेरात पंजी, अतिक्रमण पंजी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पंजियों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अंचलाधिकारी अंशु कुमार सिंह को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा आम लोगों से जुड़े राजस्व कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय से संबंधित विभिन्न अभिलेखों एवं पंजियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अंकेक्षण पंजी, रोकड़ पंजी, षष्ठम वित्त योजना पंजी सहित अन्य पंजियों का जायजा लिया तथा प्रखंड स्तर पर संचालित

विकास योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अनिकेत को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने, अभिलेखों का समुचित संधारण करने तथा विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय आम लोगों से सीधे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। इसलिए यहां आने वाले लोगों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, अररिया नवनील कुमार, बीडीओ कुमार अनिकेत, सीओ अंशु कुमार,पीओ अख्तर आलम, प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव, मुखिया रूबी शोएब, आदिल रजा, कोशी डायरी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक महताब आलम, संग्रहण प्रभारी दिनेश सिंह, पशु चिकित्सक उजव्वल कुमार, विकास कुमार, सहित प्रखंड के माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।●

एस.पी. ने किया पलासी थाना का निरीक्षण

● **अब्दुल कैय्यूम**

अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को पलासी थाना का निरीक्षण किये। इस क्रम में उन्होंने पुलिस बैरक, थाना परिसर की साफ सफाई का जायजा लिए। इस दौरान थाना में पदाधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस के बाद एसपी जितेंद्र कुमार ने पलासी थाना परिसर का जायजा लिए। इस के बाद उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न कांडो से संबंधित पंजियों माल खाना पंजी, सीडी पार्ट वन, टू व थर्ड पंजियों का अवलोकन किया। साथ ही साथ उन्होंने लंबित कांडो की जायजा लिए। इस क्रम में एसपी ने सभी अधिकारियों को डायरी को अधतन करने, अपराध नियंत्रण करने, गश्ती दल को तेज करने का निर्देश दिए। इस क्रम एसपी जितेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार व अन्य पदाधिकारियों को गश्ती दल तेज करने,

अपराधियो को गिरफ्तार करने व वाहन चेकिंग तेज करने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि थाना के क्रियाकलाप से वे संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि थाना में सभी अधिकारी लैप टॉप पर कांडों का संधारण कर रहे हैं। इस अवसर पर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित थाना के सभी पदाधिकारी मौजूद थे।●

बैठक में उठी पलासी को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया जिला के पलासी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में 08 सितंबर को प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक कि अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष बिहारी ठाकुर ने की। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ कुमार अनिकेत मौजूद थे। बैठक में विधायक जोकीहाट मोहम्मद मुर्शीद आलम, प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव,सीडीपीओ सदानंद दास, एमओ कुमुद कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सक जहांगीर आलम,पीओ अख्तर आलम, बीएओ अनुराग कुमार, जीविका के बीपीएम सब्बीर अहमद,एस आई रंजीत कुमार, 20 सूत्री के सदस्य शाद आलम, गोपाल कृष्ण मंडल, संजीव चौधरी आदि मौजूद थे। बैठक कि शुरुआत सब से पहले सभी सदस्यों के परिचय पात्र से हुआ। बैठक में सबसे पशु चिकित्सक के प्रखंड में नही रहने का मुद्दा उठा। इस क्रम में पशुओं को सही समय सेमन नही मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में प्रखंड व अंचल कर्मियों का नियत समय में नही आने पर जनता के कार्य का निष्पादन समय पर हो पाता हैं। बैठक में सीओ सहित अन्य पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शोकॉज पूछने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ सभी कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार संबंधित पंचायत में कार्य करने का निर्देश दे। बैठक में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बोर्ड में योजना का नाम व लंबाई अंकित करना सुनिश्चित की जाय। बैठक में 20 सूत्री सदस्यों ने दूसरे वार्ड के केंद्र 81,82,83 एक ही वार्ड में चलने का मुद्दा उठाया। साथ ही उनलोगों ने इस कि जांच कर प्रतिवेदन सौपने का मुद्दा उठाया। बैठक में 20 सूत्री सदस्य शाद आलम ने दिघली पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-47,41 में सरकारी भवन के बाद भी भाड़े पर चलने का मुद्दा उठाया। बैठक में समिति

सदस्यों ने सीएचसी में महिला चिकित्सक व एमबीबीएस चिकित्सक की पदस्थापना की मांग उठाई गई। बैठक में समिति सदस्यों ने पलासी को अतिक्रमण मुक्त करने तथा बस पड़ाव को खाली कराते हुए उस में बस लगाने की व्यवस्था की जाये। बैठक में जनवितरण प्रणाली के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में रामानंद साह ने जनवितरण प्रणाली में डीलर द्वारा कम अनाज देने का मुद्दा उठाया। बैठक में एमओ कुमुद कुमार सिंह ने बताया कि ने नया राशन कार्ड के लिये करीब तीन हजार आवेदन प्राप्त हुआ हैं। जिस का निष्पादन कार्य जारी है। बैठक में प्राइवेट स्कूलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड में 29 प्राइवेट विद्यालय है। जिस में 19 विद्यालय को ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त हैं। बैठक में आंगनबाड़ी से अबैध उगाही पर सदस्यों ने आवाज उठाई। बैठक में सीडीपीओ सदानंद दास ने आंगनबाड़ी में संचालित केंद्रों व आंगनबाड़ी केंद्रों की क्रियाकलापो की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में समिति सदस्यों ने चहटपुर पंचायत के वार्ड नंबर 01,02 पंचायत में चल रहे सोलर नही लगाने का मुद्दा उठाया। बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में 20 सूत्री सदस्यों ने खाद की कालाबाजारो व सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेने का मुद्दा उठाया। बैठक में विधायक मुर्शीद आलम ने बताया कि फसल क्षतिपूर्ति के लाभ वैसे व्यक्ति को मिला है जो भूमिहीन है। साथ ही साथ जो नजराना देता है उसी व्यक्ति को फसल क्षतिपूर्ति का लाभ दिया गया हैं। बैठक में बीज वितरण में भी भारी अनियमितता बैठने का मुद्दा सदस्यों ने उठाया। बैठक में बीएओ अनुराग कुमार ने कृषि विभाग में संचालित योजना की जानकारी दी। बैठक में 20 सूत्री सदस्यों ने स्मैक का फलता फूलता कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। बैठक में मुख्य रूप से जदयू प्रखंड अध्यक्ष शमीम आलम, जगरनाथ झा, शाद आलम,रामानंद साह, गोपल कृष्ण मंडल, मखमूर हयात, रमेश चौधरी, संजीव चौधरी, गोपाल कृष्ण मंडल, डॉ ऋषभ राज आदि मौजूद थे।●

मुफस्सिल पत्रकार मंच की बैठक में हुआ संगठन का विस्तार

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया के एवर ग्रीन होटल में रविवार को मुफस्सिल पत्रकार मंच, अररिया की एक महत्वपूर्ण आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम ने की । बैठक में सर्वसम्मति से मुफस्सिल पत्रकार मंच का पुनर्गठन किया गया। जिस में सर्वसम्मति से कमर आलम को अध्यक्ष और जसीम उद्दीन को सचिव चुना गया। जबकि मंच के संरक्षक के रूप में वरीय पत्रकार परवेज आलम और फिरोज आलम को जिम्मेदारी दी गई। वहीं, उपाध्यक्ष के रूप में मो. अलाउद्दीन खान, मुश्ताक सिद्दीकी और जुबैर आलम का चयन किया गया। संयुक्त सचिव के रूप में हम्माद हैदर, शमशाद बागी

और रजी अनवर को चुना गया। वहीं, प्रवक्ता के रूप में फैसल कलीम, कार्यालय सचिव के रूप में आमिर रेजा और कोषाध्यक्ष के रूप में मो. सलीम को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में मंच के संरक्षक परवेज आलम ने बताया कि जल्द ही मंच का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। साथ ही मंच की मजबूती और आगामी योजनाओं को लेकर सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब्दुल गनी लबीब, अब्दुल कैयूम, साजिद आलम, एमएस चांद, नवाजिश, शहनवाज आलम और परवेज आलम को शामिल किया गया। इस अवसर पर मंच की अध्यक्षता कर रहे परवेज आलम, नव चयनित अध्यक्ष कमर आलम व सचिव जसीम उद्दीन ने मुफस्सिल पत्रकार मंच के उद्देश्यो व कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में आईमैक्स मोबाइल के प्रोपराइटर अब्दुर्रहमान की भूमिका सराहनीय रही।●

बच्चे के जन्म पर लगाये एक पौधा : सांसद

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया जिला के पलासी प्रखंड के मजलिसपुर पंचायत वार्ड संख्या 13 बेलवाड़ी गांव अवस्थित मुक्तिधाम में बुधवार को विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत सांसद प्रदीप कुमार सिंह व भाजपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रंजीत यादव ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा वृक्षारोपण से पर्यावरण शुद्ध रहता हैं। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम के चारो ओर फलदार पेड़ लगने से दाह संस्कार करने आये लोगो को पेड़ के नीचे बैठने सुविधा होगी। भाजपा नेता रंजीत यादव ने बताया कि बेलवाड़ी मुक्तिधाम के चारोओर फलदार आम, जामुन, कटहल जैसे फलदार पेड़ विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत लगाया जा रहा हैं। साथ ही साथ मुक्तिधाम के चारोओर बैठने के लिये कुर्सी, व नदी में छठ घाट बनाने कई योजना हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि पेड़ पौधा लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता हैं। पौधा नही हो तो जल संरक्षण नही होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगो को बच्चे के जन्म पर एक पौधे जरूर लगाएं। सांसद श्री सिंह ने कहा कि पेड़ लगने से वतावरण शुद्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी के तहत वृक्षारोपण कार्य तेजी से किया जा रहा हैं। कहा कि विकास की गति तेजी से होगी। क्षेत्र की जो समस्या होगी शीघ्र तेजी से काम होगा।

उन्होंने अधिकारियों को शख्त लहजे में जनता की कार्य में लापवाही बर्दाश्त नही होगी। उन्होंने जनता की समस्या को ससमय निष्पादन का निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि अररिया में सड़क चकाचक बना हैं। उन्होंने कहा कि कई योजना लंबित है। जो शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का जाल विछाया जा रहा हैं। रेलवे लाइन विछायी जा रही हैं। रेल चलाई जा रही हैं। आज पीएम मोदी जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख 70 हजार किसानों को किसान निधि योजना से लाभ मिल रहा हैं। उन्होंने पीएम के जन्म दिन पर दिया जलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष अदित्यनारायन झा ने भी संबोधित करते हुए वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता रंजीत यादव, प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव, पीओ अख्तर आलम, जेई सुजीत कुमार मेहता, पीटीए प्रदीप कुमार, पीआरएस विनय कुमार झा, विधायक प्रतिनिधि अजहर मुर्शीद, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, पीआरएस मुखिया प्रभुचन्द विश्वास, मुखिया प्रतिनिधि संतोष मंडल, जितेंद्र मल्लिक,मुखिया बीरेंद्र पासवान, कृपानंद सिंह सरदार, उप प्रमुख ताहिर आलम, पंसस मनोज मंडल, तीर्थानंद मंडल, त्रिवेणी यादव, योगेंद्र यादव, मोहम्मद अली, दिनेश चौधरी, मोहम्मद अली,बिहारी ठाकुर, अनिल विश्वास,ओम साह,आमोद झा, हजारी मंडल,भाजपा के रणधीर कुमार, तपन कुमार तिवारी, गोपाल अग्रवाल, अवधेश झा आदि मौजूद थे। इस से पूर्व सांसद प्रदीप कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा को बुके व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के युवा अध्यक्ष रंजीत यादव ने की।●

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की गई सांकेतिक चाभी

● अब्दुल कैय्यूम

अररिया डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में परमान सभागार अररिया में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास पूर्ण कर चुके लाभुकों के लिए गृह प्रवेश हेतु सांकेतिक चाभी, नए आवास निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र एवं आवास योजना में नाम जुड़ने से संबंधित शुभकामना पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोकीहाट विधायक मो. मुर्शिद आलम, नरपतगंज विधायका देवंती यादव, उप विकास आयुक्त अररिया रोजी कुमारी, निदेशक डीआरडीए अररिया सौरव सिन्हा कार्यक्रम में जोकीहाट विधायक मो. मुर्शिद आलम, नरपतगंज विधायका देवंती यादव, उप विकास आयुक्त अररिया रोजी कुमारी, निदेशक डीआरडीए अररिया सौरव सिन्हा सहित बड़ी संख्या में लाभुक गण उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान हुई। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र 08 लाभुकों को सांकेतिक चाभी प्रदान कर गृह प्रवेश कराया गया। वहीं अन्य 08 लाभुकों को शुभकामना पत्र प्रदान किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने लाभुकों से संवाद करते हुए उनके घर नहीं होने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से पक्का आवास प्राप्त होने तक के सफर की स्थित एवं उनके अनुभवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसके तहत 2 लाख 35 हजार लाभुकों को आवास की चाभी प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस राज्यस्तरीय आयोजन में बिहार के सभी जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित पदाधिकारी एवं लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

इस क्रम में आज जिले सभी प्रखंडों को मिलाकर पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 41 लाभुकों को सांकेतिक चाबी प्रदान कर गृह प्रवेश कराया गया। वही 44 लाभुकों स्वीकृति पत्र एवं 46 शुभकामनाएं पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से निर्धारित पात्रता रखने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।●

सवालों के घेरे में निविदा, जिम्मेवार पदाधिकारी

फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से लेकर आरटीआई में संचिका उपलब्ध नहीं होने तक के मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग

● **धर्मेन्द्र सिंह**

भवन प्रमंडल, किशनगंज से जुड़े कुछ मामलों ने विभागीय कार्यप्रणाली, निविदा प्रक्रिया, सरकारी अभिलेखों और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और पत्राचार के आधार पर इन मामलों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। गौर करे कि शिकायत का केंद्र भवन प्रमंडल, किशनगंज में लंबे समय से कार्यरत लिपिक कमलेश कुमार तथा उनके साथ कार्यरत कर्मचारी कुंदन कुमार ठाकुर की कथित भूमिका है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विभागीय निविदाओं, अनुभव प्रमाण-पत्रों, संचिकाओं, भुगतान प्रक्रिया और अन्य कार्यालयीन कार्यों में प्रभाव का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।

☞ **अनुभव प्रमाण-पत्र पर दो विभागीय पत्रों में विरोधाभास :-** सबसे गंभीर सवाल निविदा संख्या 36/2026-27 को लेकर उठाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार करोड़ों रुपये के कार्य के लिए एक संवेदक की पात्रता में लगाए गए अनुभव प्रमाण-पत्र का विभागीय स्तर पर सत्यापन किया गया और उसके बाद कार्य आवंटित हुआ। मुख्य अभियंता की ओर से जारी पत्रांक 3581(अनु), दिनांक 24 जुलाई 2026 में अनुभव प्रमाण-पत्र के सत्यापन और कार्य आवंटन की जानकारी दी गई है। लेकिन दूसरी ओर EE, BPSAC, पूर्णिया के पत्रांक 137, दिनांक 19 अगस्त 2026 का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया, वह कार्य संबंधित कार्यालय स्तर से संवेदक के नाम पर किया ही नहीं गया था और प्रमाण-पत्र भी उस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया। यदि दोनों पत्रों में दर्ज बातें सही हैं, तो यह विरोधाभास अपने आप में गंभीर जांच का विषय बन जाता है। अब मुख्य सवाल यह है कि अनुभव प्रमाण-पत्र वास्तव में किसने जारी किया? उस पर दर्ज हस्ताक्षर और मुहर असली हैं या नहीं? सत्यापन किस अधिकारी ने किया? मूल पत्राचार किस माध्यम से हुआ? और निविदा की मूल संचिका में कौन-कौन से दस्तावेज मौजूद हैं?

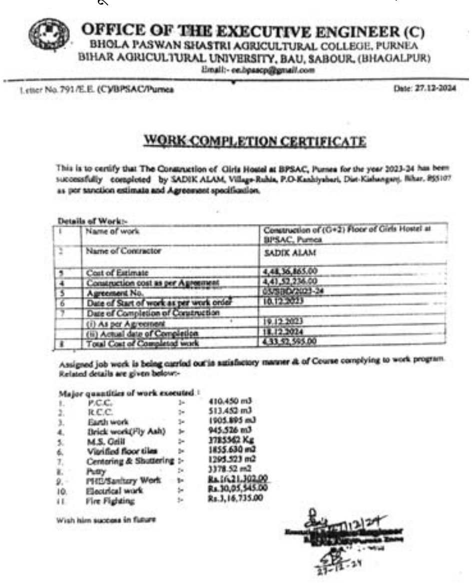

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (C)
BHOLA PASWAN SHASTRI AGRICULTURAL COLLEGE, PURNEA
BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY, BAU, SABOUR, (BHAGALPUR)
Email:- ee.bpsacp@gmail.com

Letter No. 791/E.E. (C)/BPSAC/Purnea — Date: 27.12-2024

WORK COMPLETION CERTIFICATE

This is to certify that The Construction of Girls Hostel at BPSAC, Purnea for the year 2023-24 has been successfully completed by SADIK ALAM, Village-Rubia, P.O-Kanhiyabari, Dist-Kishanganj, Bihar, 855107 as per sanction estimate and Agreement specification.

Details of Work:-

1	Name of work	Construction of (G+2) Floor of Girls Hostel at BPSAC, Purnea
2	Name of Contractor	SADIK ALAM
3	Cost of Estimate	4,48,36,865.00
4	Construction cost as per Agreement	4,41,52,236.00
5	Agreement No.	05/SBD/2023-24
6	Date of Start of work as per work order	10.12.2023
7	Date of Completion of Construction	
	(i) As per Agreement	19.12.2023
	(ii) Actual date of Completion	18.12.2024
8	Total Cost of Completed work	4,33,52,595.00

Assigned job work is being carried out in satisfactory manner & of Course complying to work program. Related details are given below:-

Major quantities of work executed :

1. P.C.C. :- 410.450 m3
2. R.C.C. :- 513.452 m3
3. Earth work :- 1905.895 m3
4. Brick work(Fly Ash) :- 945.526 m3
5. M.S. Grill :- 3785562 Kg
6. Vitrified floor tiles :- 1855.630 m2
7. Centering & Shuttering :- 1295.523 m2
8. Putty :- 3378.52 m2
9. PHE/Sanitary Work :- Rs.16,21,302.00
10. Electrical work :- Rs.30,05,545.00
11. Fire Fighting :- Rs.3,16,735.00

Wish him success in future

☞ **Inspection Building की निविदा भी जांच के दायरे में :-** किशनगंज भवन प्रमंडल के Inspection Building के अनुरक्षण कार्य को लेकर भी शिकायत में सवाल उठाए गए हैं। इसमें कमलेश कुमार और कुंदन कुमार ठाकुर की कथित भूमिका की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित संवेदक की पात्रता और अनुभव प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच आवश्यक है। इसी मामले में RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया। RTI कार्यकर्ता आबिद हुसैन तथा धर्मेंद्र सिंह द्वारा निविदा, अनुभव प्रमाण-पत्र और संबंधित संचिका से जुड़ी जानकारी मांगे जाने का उल्लेख शिकायत में है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद की प्रक्रिया में संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है-अगर संचिका उपलब्ध नहीं थी तो उसकी अभिरक्षा किसके पास थी और रिकॉर्ड की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की थी?

☞ **RTI के जवाब ने बढ़ाए सवाल :-** लोकतांत्रिक व्यवस्था में RTI को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। ऐसे में यदि किसी निविदा से संबंधित रिकॉर्ड मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध नहीं होती और बाद में संचिका के उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आती है, तो इसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक हो जाती है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संचिका की पूरी movement, receipt-dispatch record, tender register, digital records तथा संबंधित

फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र से करोड़ों का खेल!

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे के बीच किशनगंज भवन प्रमंडल की एक निविदा प्रक्रिया गंभीर सवालों के घेरे में है। मामला निविदा संख्या 36/2026-27 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि करोड़ों रुपये के सरकारी निर्माण कार्य के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले संवेदक के बजाय कथित रूप से फर्जी अनुभव एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर चयनित संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। मामले में कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने विभाग के वरीय अधिकारियों से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सबसे गंभीर सवाल उस अनुभव प्रमाणपत्र को लेकर है, जिसके आधार पर निविदा में संवेदक की तकनीकी अर्हता साबित होने का दावा किया गया। शिकायत के अनुसार प्रमाणपत्र बीपीएसएसी कॉलेज पूर्णिया में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण कार्य से संबंधित बताया गया। निविदा प्रक्रिया के दौरान इसके सत्यापन की कार्रवाई भी किए जाने की बात सामने आई। लेकिन बाद में पूर्व विधायक ने संबंधित विभाग से सीधे प्रमाणपत्र की वास्तविकता की जानकारी मांगी। 19 अगस्त 2026 को BPSAC पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता के पत्र का हवाला देते हुए शिकायत में कहा गया है कि संबंधित कार्य उक्त संवेदक से विभाग द्वारा कराया ही नहीं गया था। साथ ही उनके कार्यालय से संबंधित व्यक्ति के नाम पर ऐसा अनुभव प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किए जाने और प्रमाणपत्र सत्यापित नहीं करने की बात कही गई। यही विरोधाभास पूरे मामले को गंभीर बनाता है। यदि प्रमाणपत्र संबंधित विभाग ने जारी नहीं किया, तो निविदा प्रक्रिया में उसका सत्यापन किस आधार पर हुआ? किस माध्यम से सत्यापन कराया गया? और सत्यापन के बाद ही कार्य आवंटित किया गया तो बाद में सामने आई जानकारी के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

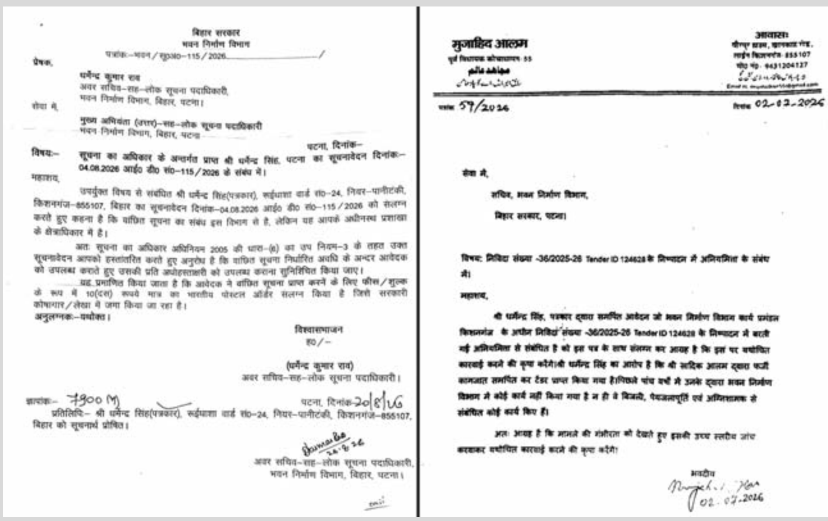
बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
पत्रांक–भवन/सू0अ0–115/2026 /
प्रेषक,
धर्मेन्द्र कुमार राव
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सेवा में,
मुख्य अभियंता (उत्तर)–सह–लोक सूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
पटना, दिनांक–
विषय:– सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त श्री धर्मेन्द्र सिंह, पटना का सूचनावेदन दिनांक–04.08.2026 आई0 डी0 सं0–115/2026 के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषय से संबंधित श्री धर्मेन्द्र सिंह(पत्रकार), रूईधासा वार्ड सं0–24, नियर–पानीटंकी, किशनगंज–855107, बिहार का सूचनावेदन दिनांक–04.08.2026 आई0 डी0 सं0–115/2026 को संलग्न करते हुए कहना है कि वांछित सूचना का संबंध इस विभाग से है, लेकिन यह आपके अधीनस्थ प्रशाखा के क्षेत्राधिकार में है।
अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–(6) का उप नियम–3 के तहत उक्त सूचनावेदन आपको हस्तांतरित करते हुए अनुरोध है कि वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए फीस/शुल्क के रूप में 10(दस) रूपये मात्र का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया है जिसे सरकारी कोषागार/लेखा में जमा किया जा रहा है।
अनुलग्नक–यथोक्त।
विश्वासभाजन
ह0/–
(धर्मेन्द्र कुमार राव)
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी।
ज्ञापांक– 7900 (M) पटना, दिनांक 20/8/26
प्रतिलिपि– श्री धर्मेन्द्र सिंह(पत्रकार), रूईधासा वार्ड सं0–24, नियर–पानीटंकी, किशनगंज–855107, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

मुजाहिद आलम
पूर्व विधायक कोचाधामन 55
आवास:
मो0 नं0- 9431204127
पत्रांक 57/2026 दिनांक 02-09-2026
सेवा में,
सचिव, भवन निर्माण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।
विषय: निविदा संख्या -36/2025-26 Tender ID 124628 के निष्पादन में अनियमितता के संबंध में।
महाशय,
श्री धर्मेन्द्र सिंह, पत्रकार द्वारा समर्पित आवेदन जो भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल किशनगंज के अधीन निविदा संख्या -36/2025-26 Tender ID 124628 के निष्पादन में बरती गई अनियमितता से संबंधित है को इस पत्र के साथ संलग्न कर आग्रह है कि इस पर यथोचित कारवाई करने की कृपा करेंगे। श्री धर्मेन्द्र सिंह का आरोप है कि श्री सादिक आलम द्वारा फर्जी कागजात समर्पित कर टेंडर प्राप्त किया गया है। पिछले पांच वर्षों में उनके द्वारा भवन निर्माण विभाग में कोई कार्य नहीं किया गया है न ही वे बिजली, पेयजलापूर्ति एवं अभियंत्रण से संबंधित कोई कार्य किए हैं।
अतः आग्रह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर यथोचित कारवाई करने की कृपा करेंगे।
भवदीय
02.09.2026

☞ **फर्जी ई-मेल आईडी से सत्यापन का आरोप :-** शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निविदा में लगाए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कथित तौर पर एक फर्जी ई-मेल आईडी का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि संबंधित अधिकारी के नाम से बनाई गई ई-मेल आईडी पर अनुभव प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए पत्र भेजा गया और उसी माध्यम से प्रमाणपत्र को सही बताए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद मुख्य अभियंता कार्यालय से जारी पत्र के माध्यम से पूर्व विधायक को यह बताया गया कि अनुभव प्रमाणपत्र का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता से करा लिया गया है और सत्यापन के बाद ही कार्य आवंटित किया गया। लेकिन जब पूर्व विधायक ने संबंधित अधिकारी से सीधे पुष्टि की तो उनके जवाब में प्रमाणपत्र जारी अथवा सत्यापित करने से इनकार की बात सामने आई। यदि दोनों पत्रों में दर्ज तथ्यों की पुष्टि जांच में होती है, तो यह केवल संवेदक की अर्हता का मामला नहीं रहेगा। इससे निविदा समिति, दस्तावेज सत्यापन और कार्य आवंटन की पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में आ सकती है।

☞ **कर्मचारी की भूमिका पर भी आरोप :-** शिकायत में भवन प्रमंडल में लंबे समय से पदस्थापित लिपिक कमलेश कुमार की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि निविदा प्रक्रिया में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर वरीय अभियंताओं तक की भूमिका की जांच जरूरी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत में भवन प्रमंडल से जुड़े पुराने कार्यों में भी निविदा, कार्यादेश, तुलनात्मक विवरणी और एकरारनामा से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। एक पुराने मामले में संवेदक से जमा राशि वापस कर कार्य आवंटन की प्रक्रिया बदलने का आरोप भी लगाया गया है। इन आरोपों की भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

☞ **आरटीआई में सूचना नहीं मिलने का आरोप :-** मामले की जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार द्वारा आरटीआई के तहत निविदा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगे जाने की बात कही गई है। आरोप है कि भवन प्रमंडल की ओर से मांगी गई सूचना देने से इनकार किया गया। प्रथम अपील के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि निविदा से जुड़े मूल दस्तावेज, सत्यापन रिकॉर्ड और पत्राचार सार्वजनिक किए जाएं तो पूरी प्रक्रिया की वास्तविकता सामने आ सकती है।

☞ **अब सवाल जांच का :-** पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अनुभव प्रमाणपत्र की वास्तविकता की पुष्टि आखिर किस स्तर पर हुई और उसके आधार पर करोड़ों रुपये का कार्य आवंटित करने की प्रक्रिया किसने अनुमोदित की। यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो यह भी तय होना चाहिए कि उन्हें निविदा में स्वीकार करने और सत्यापित बताने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की थी। शिकायतकर्ता ने सरकार से मांग की है कि विभागीय खानापूर्ति के बजाय स्वतंत्र जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराई जाए। साथ ही निविदा से जुड़े मूल दस्तावेज, ई-मेल रिकॉर्ड, सत्यापन पत्र, निविदा समिति की कार्यवाही, तुलनात्मक विवरणी और कार्यादेश की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं संवेदक पर कार्रवाई की जाए। सवाल सिर्फ एक निविदा का नहीं, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता का है। यदि आरोप गलत हैं तो निष्पक्ष जांच उन्हें खारिज कर सकती है, और यदि दस्तावेजों में हेराफेरी हुई है तो जांच ही उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है। गौर करे कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप शिकायत एवं उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जाए।

☞ **रिकॉर्डपाल की जिम्मेदारी भी जांच का विषय :–** शिकायत में यह भी कहा गया है कि कमलेश कुमार ने लिपिकीय कार्य के साथ रिकॉर्डपाल की जिम्मेदारी भी संभाली है। यदि यह तथ्य अभिलेखों से प्रमाणित होता है, तो उनके कार्यकाल में उनके पास रहे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की सुरक्षा और अभिरक्षा की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से 12 मार्च 2024 के PR No. 018486 (BCD) से संबंधित नीलामी और उससे प्राप्त सरकारी राजस्व का उल्लेख शिकायत में किया गया है। जांच की मांग है कि नीलामी से प्राप्त राशि का O-Gras, CFMS, कोषागार, Cash Book, Receipt Register और Ledger से मिलान कराया जाए और यह देखा जाए कि सरकारी खाते में प्राप्त राशि और कार्यालयीन अभिलेखों में दर्ज राशि में कोई अंतर तो नहीं है।

☞ **Biometric Attendance और वेतन भुगतान पर भी सवाल :–** शिकायत में कमलेश कुमार की कार्यालय में उपस्थिति को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी वास्तविक उपस्थिति और Biometric Attendance की जांच की जाए तथा इसे वेतन भुगतान से मिलाया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के Biometric Attendance, उपस्थिति पंजी, अवकाश रिकॉर्ड, Movement Register, Tour Programme, Tour Diary, TA/DA दावे और वेतन भुगतान रिकॉर्ड का तुलनात्मक परीक्षण करने की मांग की गई है। इस जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि जिन दिनों कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित थे, उन दिनों उनकी उपस्थिति किस आधार पर दर्ज या प्रमाणित की गई और वेतन भुगतान की प्रक्रिया कैसे हुई।

☞ **50 लाख रूपये से कम की निविदाओं की भी हो व्यापक जांच :–** शिकायतकर्ता ने केवल एक–दो निविदाओं तक जांच सीमित रखने के बजाय पिछले लगभग तीन वित्तीय वर्षों में भवन प्रमंडल, किशनगंज में 50 लाख रू० से कम लागत वाली योजनाओं की निविदाओं की विशेष जांच की मांग की है। इसके तहत NIT, BOQ, निविदा प्रकाशन, BOQ बिक्री, O-Gras में जमा राशि, Tender Committee proceedings, Work Order, Agreement, Measurement Book, Bill और Payment Records का मिलान करने की मांग की गई है। खास तौर पर यह पता लगाने की मांग की गई है कि कहीं किसी पसंदीदा संवेदक को लाभ पहुंचाने, निविदा की सूचना पहले उपलब्ध कराने, BOQ बिक्री में अनियमितता अथवा बिना वैध प्रक्रिया के कार्य आवंटित करने जैसी स्थिति तो नहीं रही।

☞ **कमलेश कुमार और कुंदन कुमार ठाकुर की संयुक्त भूमिका पर सवाल :–** शिकायत में दोनों कर्मचारियों की भूमिका की अलग–अलग मामलों में जांच की मांग की गई है। इसमें दस्तावेज तैयार करने, अपलोड करने, निविदा प्रक्रिया में सहायता, संचिका की आवाजाही और संवेदकों को कथित लाभ पहुंचाने जैसे बिंदुओं को जांच के दायरे में रखने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच और मूल सरकारी अभिलेखों से ही संभव है।

☞ **सरकार और विभाग के सामने बड़ा सवाल :–** पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायत में उठाए गए अधिकांश सवालों का जवाब मूल सरकारी रिकॉर्ड से ही मिल सकता है। यदि अनुभव प्रमाण–पत्र सही है तो उसका स्रोत स्पष्ट होना चाहिए। यदि गलत है तो उसे निविदा में स्वीकार करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि संचिका उपलब्ध थी तो वह कहां गई, यह पता चलना चाहिए। यदि Biometric Attendance और वेतन रिकॉर्ड में अंतर है तो उसका कारण सामने आना चाहिए। और यदि नीलामी राजस्व में कोई अंतर है तो सरकारी खाते तक उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

☞ **निष्पक्ष जांच की मांग :–** शिकायतकर्ता ने मांग की है कि स्थानीय स्तर पर ऐसी जांच न कराई जाए जिसमें संबंधित अधिकारी या कर्मचारी स्वयं जांच के दायरे में हों। निविदाओं की मूल संचिकाओं और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हुए स्वतंत्र निगरानी जांच कराई जाए। साथ ही, यदि जांच में फर्जी दस्तावेज, जालसाजी, मिलीभगत, पद के दुरुपयोग अथवा सरकारी राजस्व की हानि प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल इन आरोपों की अंतिम सत्यता जांच का विषय है। लेकिन उपलब्ध पत्राचार और उठाए गए सवाल यह जरूर संकेत देते हैं कि संबंधित निविदाओं, रिकॉर्ड व्यवस्था, RTI प्रकरण, उपस्थिति तथा सरकारी राजस्व की स्वतंत्र जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।●

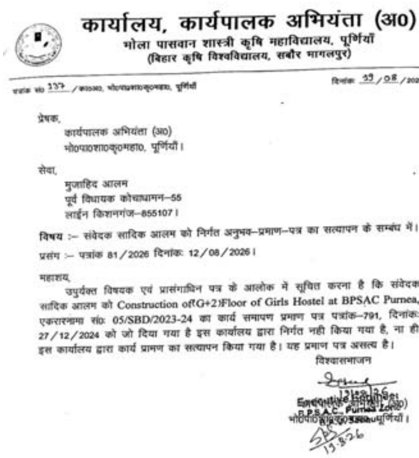

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता (अ०)
भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ
(बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर)

पत्रांक सं० 137 / का०अ०, भो०पा०शा०कृ०महा०, पूर्णियाँ — दिनांक 19 / 08 / 2026

प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता (अ०)
भो०पा०शा०कृ०महा०, पूर्णियाँ।

सेवा,
मुजाहिद आलम
पूर्व विधायक कोचाधामन–55
लाईन किशनगंज–855107।

विषय :– संवेदक सादिक आलम को निर्गत अनुभव–प्रमाण–पत्र का सत्यापन के सम्बंध में।

प्रसंग :– पत्रांक 81/2026 दिनांक: 12/08/2026।

महाशय,
उपुर्यक्त विषयक एवं प्रासंगाधिन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि संवेदक सादिक आलम को Construction of(G+2)Floor of Girls Hostel at BPSAC Purnea, एकरारनामा सं० 05/SBD/2023-24 का कार्य समापन प्रमाण पत्र पत्रांक–791, दिनांक: 27/12/2024 को जो दिया गया है इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है, ना ही इस कार्यालय द्वारा कार्य प्रामण का सत्यापन किया गया है। यह प्रमाण पत्र असत्य है।

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता (अ०)
भो०पा०शा०कृ०महा०, पूर्णियाँ।

मुजाहिद आलम
पूर्व विधायक कोचाधामन-55

पत्रांक 74/2026 — दिनांक 10-08-2026

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता
(C) BPSAC पूर्णिया।

विषय:- समरूप कार्य के सत्यापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग: मुख्य अभियंता (उत्तर) भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 3581 अनु0 पटना, दिनांक 24/07/2026।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग किशनगंज का निविदा संख्या 36/2025-26 Tender ID 124628 में निविदाकार सादिक आलम द्वारा समरूप कार्य Construction of (G+2) Floor of Girls Hostel at BPSAC Purnea का कार्य दिखाया गया है जिसकी सत्यापन श्रीमान के द्वारा किया गया ये बात मुख्य अभियंता उत्तर भवन निर्माण विभाग पटना के पत्र में लिखा गया है। जिस समरूप कार्य का जिक्र सादिक आलम के द्वारा किया गया है वह आपके विभाग से संबंधित है।

अतः श्रीमान, से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य सच में आपके विभाग से सादिक आलम से कराया गया है। और अगर कराया गया है तो उसकी राशि कितनी थी और अगर यह कार्य आपके विभाग में सादिक आलम के द्वारा नहीं किया गया है तो ऐसे संवेदक पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि सही संवेदक को कार्य आवंटित हो सके।

अनुलग्नक
मुख्य अभियंता उत्तर भवन निर्माण विभाग पटना का पत्र।

विश्वासभाजन
Mujahid Alam
10-08-2026

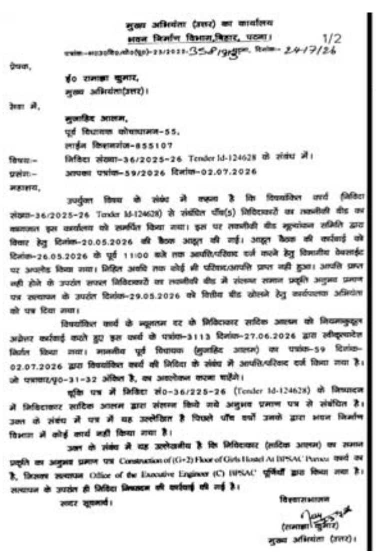

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग,बिहार, पटना। 1/2

पत्रांक– 3581 दिनांक– 24/7/26

प्रेषक,
ई० रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता(उत्तर)।

सेवा में,
मुजाहिद आलम,
पूर्व विधायक कोचाधामन–55,
लाईन किशनगंज–855107

विषय:– निविदा संख्या–36/2025–26 Tender Id-124628 के संबंध में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक–59/2026 दिनांक–02.07.2026
महाशय,

[illegible]

विश्वासभाजन
(रामाज्ञा कुमार)
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

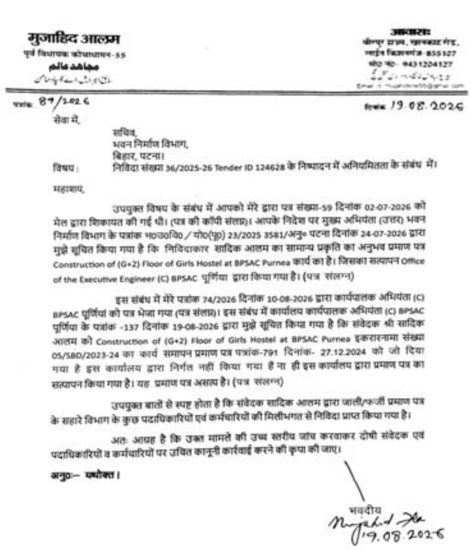

मुजाहिद आलम
पूर्व विधायक कोचाधामन-55

पत्रांक 87/2026 — दिनांक 19.08.2026

सेवा में,
सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : निविदा संख्या 36/2025-26 Tender ID 124628 के निष्पादन में अनियमितता के संबंध में।

महाशय,
उपयुक्त विषय के संबंध में आपको मेरे द्वारा पत्र संख्या-59 दिनांक 02-07-2026 को मेल द्वारा शिकायत की गई थी। (पत्र की कॉपी संलग्न)। आपके निदेश पर मुख्य अभियंता (उत्तर) भवन निर्माण विभाग के पत्रांक भ0उ0वि0 / यो0(पु0) 23/2025 3581/अनु० पटना दिनांक 24-07-2026 द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि निविदाकार शादिक आलम का सामान्य प्रकृति का अनुभव प्रमाण पत्र Construction of (G+2) Floor of Girls Hostel at BPSAC Purnea कार्य का है। जिसका सत्यापन Office of the Executive Engineer (C) BPSAC पूर्णिया द्वारा किया गया है। (पत्र संलग्न)

इस संबंध में मेरे पत्रांक 74/2026 दिनांक 10-08-2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता (C) BPSAC पूर्णियां को पत्र भेजा गया (पत्र संलग्न)। इस संबंध में कार्यालय कार्यपालक अभियंता (C) BPSAC पूर्णिया के पत्रांक -137 दिनांक 19-08-2026 द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि संवेदक श्री सादिक आलम को Construction of (G+2) Floor of Girls Hostel at BPSAC Purnea इकरारनामा संख्या 05/SBD/2023-24 का कार्य समापन प्रमाण पत्र पत्रांक-791 दिनांक- 27.12.2024 को जो दिया गया है इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है ना ही इस कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया है। यह प्रमाण पत्र असत्य है। (पत्र संलग्न)

उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि संवेदक सादिक आलम द्वारा जाली/फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विभाग के कुछ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से निविदा प्राप्त किया गया है।

अतः आग्रह है कि उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0:– यथोक्त।

भवदीय
Mujahid Alam
19.08.2026

● **धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद**

ठाकुरगंज प्रखंड के जीरनगछ पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 माटीखुरा में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है और लाल बालू को केवल दिखावे के लिए स्थल पर रखा गया है, जबकि भवन के निर्माण में कथित तौर पर सफेद बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया किस्म के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ढलाई के दौरान सेटिंग भी ठीक तरीके से नहीं लगाए जाने की बात ग्रामीणों ने कही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि सरकारी भवन के निर्माण में ही गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है तो इसकी मजबूती और टिकाऊपन की जिम्मेदारी कौन लेगा?

☞ **सड़क नहीं, फिर भी बन रहा पंचायत सरकार भवन :-** सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आदिवासी टोला में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए अब तक समुचित सरकारी सड़क की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब गांव तक आवागमन के लिए बेहतर सड़क तक उपलब्ध नहीं है, तो आखिर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्राथमिकता कैसे तय की गई? ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर लगाए गए सूचना पट को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सूचना पट पर योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आम लोगों को निर्माण कार्य की पूरी जानकारी हासिल करने में परेशानी हो रही है।

☞ **तय समय बीता, फिर भी निर्माण अधूरा :-** सूचना पट के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 11 सितंबर 2025 थी, लेकिन सितंबर 2026 तक भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद निर्माण जारी रहने से कार्य की प्रगति और विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि इस भवन का निर्माण कार्य कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज की कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने, निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की जांच कराने तथा सूचना पट पर योजना से जुड़ी

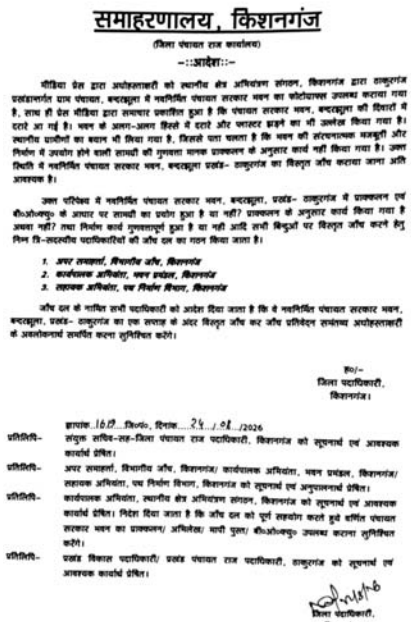

समाहरणालय, किशनगंज

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

-::आदेश::-

मीडिया प्रेस द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, किशनगंज द्वारा ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत, बन्दरझूला में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का फोटोग्राफ उपलब्ध कराया गया है, साथ ही प्रेस मीडिया द्वारा समाचार प्रकाशित हुआ है कि पंचायत सरकार भवन, बन्दरझूला की दिवारों में दरारें आ गई है। भवन के अलग-अलग हिस्से में दरारें और प्लास्टर झड़ने का भी उल्लेख किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों का बयान भी लिया गया है, जिससे पता चलता है कि भवन की संरचनात्मक मजबूती और निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानक प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन, बन्दरझूला प्रखंड- ठाकुरगंज का विस्तृत जाँच कराया जाना अति आवश्यक है।

उक्त परिपेक्ष्य में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन, बन्दरझूला, प्रखंड- ठाकुरगंज में प्राक्कलन एवं बी०ओ०क्यू० के आधार पर सामग्री का प्रयोग हुआ है या नहीं? प्राक्कलन के अनुसार कार्य किया गया है अथवा नहीं? तथा निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हुआ है या नहीं आदि सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जाँच करने हेतु निम्न त्रि-सदस्यीय पदाधिकारियों की जाँच दल का गठन किया जाता है।

1. अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, किशनगंज
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज
3. सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, किशनगंज

जाँच दल के नामित सभी पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन, बन्दरझूला, प्रखंड- ठाकुरगंज का एक सप्ताह के अंदर विस्तृत जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समेकित अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1619 जि०पं०, दिनांक 24/08/2026

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, किशनगंज/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज/ सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जाँच दल को पूर्ण सहयोग करते हुये वर्णित पंचायत सरकार भवन का प्राक्कलन/ अभिलेख/ मापी पुस्त/ बी०ओ०क्यू० उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

सभी आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की है। इस संबंध में विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारी से संपर्क होते ही उनका पक्ष भी खबर में शामिल किया जाएगा।

☞ **बंदरझूला पंचायत सरकार भवन में दरार का मामला गरमाया :-** बंदरझूला पंचायत में करोड़ों रुपये की लागत से हाल ही में निर्मित पंचायत सरकार भवन की दीवारों में दरारें आने का मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। भवन निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच किशनगंज के जिला पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम में अपर समाहर्ता, विभागीय जांच किशनगंज, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल किशनगंज तथा सहायक अभियंता पथ निर्माण विभाग किशनगंज को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन 5 अगस्त को स्थानीय विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया था। उद्घाटन के कुछ ही समय बाद भवन के विभिन्न हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगीं। इसके बाद प्रभावित हिस्सों में रिपेयरिंग कराए जाने की बात सामने आई, जिसने निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी को लेकर सवाल और गहरा कर दिया।

☞ **नया भवन, फिर रिपेयरिंग क्यों? :-** मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब भवन हाल ही में बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले हुआ, तो इतनी जल्दी रिपेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? स्थानीय लोगों का कहना है कि दरार सामने आने के बाद सीधे मरम्मत कराने के बजाय पहले भवन की तकनीकी एवं संरचनात्मक जांच कराई जानी चाहिए थी। यदि दरार के पीछे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, नींव, डिजाइन, तकनीकी

खामी अथवा संरचनात्मक कमजोरी है, तो केवल दरार की मरम्मत करने से मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। हालांकि भवन में आई दरार का वास्तविक कारण क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष सक्षम तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगा।

☞ **मरम्मत से पहले जांच की मांग :-** स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि कहीं मरम्मत के जरिए निर्माण से संबंधित खामियों को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले दरारों की प्रकृति और कारण की तकनीकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही मरम्मत या अन्य कार्रवाई की जानी चाहिए। बताया गया कि भवन निर्माण की निगरानी जेई तनवीर आलम के स्तर से की गई थी। दरार के संबंध में पूछे जाने पर जेई की ओर से इसे "एयर क्रैक" बताया गया था। अब प्रशासनिक जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि भवन में आई दरार किस प्रकृति की है और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है।

☞ **पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने भी उठाई जांच की मांग :-** मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह उर्दू एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष नौशाद आलम ने भी उच्च पदाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

☞ **सामग्री की गुणवत्ता और लैब टेस्ट की मांग :-** मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं की ओर से भवन निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच तथा आवश्यकतानुसार लैब टेस्ट कराने की मांग भी की गई है। इसके अलावा निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, डिजाइन और तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ या नहीं,

इसकी जांच की मांग उठ रही है। जांच के दौरान नींव, भवन की संरचना, निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों, कार्य की गुणवत्ता तथा निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच अहम मानी जा रही है।

☞ **सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से भी गरमाया था मामला :-** पंचायत सरकार भवन को लेकर पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों के कथित वीडियो भी पूर्व में सोशल मीडिया पर सामने आए थे। वीडियो में निर्माण कार्य को लेकर कई तरह के आरोप और सवाल उठाए गए थे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत या प्राथमिकी दर्ज हुई थी या नहीं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के बाद मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था।

☞ **अन्य पंचायत भवनों में दरार के बाद बढ़ी चिंता :-** गौर करने वाली बात यह भी है कि क्षेत्र में इससे पहले एक अन्य पंचायत सरकार भवन में भी दरार की शिकायत सामने आ चुकी है। लगातार सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं। इसलिए

निर्माण की गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए।

☞ **तीन सदस्यीय टीम की जांच से खुलेगा राज :-** अब जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। टीम के स्थल निरीक्षण और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि भवन में आई दरार सामान्य तकनीकी कारणों से है या निर्माण कार्य से जुड़ी किसी कमी अथवा अनियमितता का परिणाम। जांच में यदि निर्माण गुणवत्ता में कमी, तकनीकी लापरवाही या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति, एजेंसी अथवा जिम्मेदार पदाधिकारी की जवाबदेही भी तय हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, करोड़ों की लागत से बना भवन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद दरारों की चपेट में कैसे आया और जांच से पहले उसकी रिपेयरिंग क्यों शुरू हुई? अब इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती है और यदि अनियमितता सामने आती है तो प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। गौर करें कि ऐसा ही एक मामला पूर्व में भी प्रकाश में आया था जो भोठाथाना पंचायत सरकार भवन से संबंधित था। ●

गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

● **धर्मेन्द्र सिंह**

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोचाधामन थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 80.900 किलोग्राम गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 42 लाख रुपये आंका गया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 14,820 रुपये नकद, गांजा परिवहन में प्रयुक्त सुजुकी अर्टिगा वाहन तथा तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप चार पहिया वाहन से किशनगंज से कोचाधामन होते हुए दरभंगा ले जाई जा रही है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में एएनटीएफ किशनगंज, कोचाधामन थाना और धनपुरा पिकेट के पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। विशेष टीम ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के पुनास गांव की मुख्य सड़क पर वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान रहमतपाड़ा चौक की ओर से तेज गति से आ रही सफेद रंग की सुजुकी अर्टिगा (बीआर-11-बीजे-1165) को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में रखे सूटकेस और बैग से कुल 80.9 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान उत्तराखंड के देहरादून स्थित गढ़ी कैंट निवासी 59 वर्षीय विपिन पवार और किशनगंज के खगड़ा मझिया टोला निवासी 56 वर्षीय मुजिबुर रहमान के रूप में हुई है। पूछताछ में विपिन पवार ने पुलिस को बताया कि असम से गांजा लाकर दरभंगा के तस्करों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर असम और दरभंगा से जुड़े अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही गांजा तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है। बरामद मोबाइल फोन का तकनीकी अनुसंधान भी किया जा रहा है। पुलिस ने तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति का पता लगाकर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में कोचाधामन थाना कांड संख्या 451/26, दिनांक 26 अगस्त 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(c), 20(b)(ii)(c) एवं 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी दल में एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह, एएनटीएफ प्रभारी राजू कुमार, अपर थानाध्यक्ष कोचाधामन अरविन्द कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक कृष्णा कुमार, प्रिंस कुमार, धनपुरा पिकेट प्रभारी प्रदीप कुमार, मो. रेहान अहमद, कुमार विमल किशोर, सहायक अवर निरीक्षक मनीष कुमार भारती व विनय कुमार, सिपाही प्रशांत राज, अमर राज सहित कोचाधामन थाना, एएनटीएफ एवं अन्य पुलिस बल शामिल थे। पुलिस ने आम लोगों से मादक पदार्थों से संबंधित सूचना एएनटीएफ हेल्पलाइन नंबर 9031816150 पर देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ●

● **धर्मेन्द्र सिंह**

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती इलाकों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने 03 सितंबर को पाठामारी थाना क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी मोटरसाइकिल से पाठामारी बॉर्डर स्थित झूला पुल के रास्ते सुखानी बॉर्डर तक पहुंचे और सीमावर्ती क्षेत्र की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा, सीमांकन क्षेत्र और आसपास के संवेदनशील स्थानों का अवलोकन किया। सीमा क्षेत्र में आवागमन, निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली गई। डीएम और एसपी ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर सतर्कता में कमी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

☞ **वर्षों से अधूरा पुल बना चुनौती :-** निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेची नदी पर वर्षों से अर्धनिर्मित पड़े पुल और उसके अधूरे संपर्क पथ की स्थिति भी देखी। सीमावर्ती क्षेत्र के आवागमन से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्माण की मौजूदा स्थिति की जानकारी अधिकारियों ने ली। अधूरे संपर्क पथ के कारण स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी और आवागमन की स्थिति का भी जायजा लिया गया।

☞ **बदहाल स्वास्थ्य सुविधा देख डीएम गंभीर :-** सीमा क्षेत्र के दौरे के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी अधिकारियों के संज्ञान में आई। ग्रामीण इलाकों में

नियमित स्वास्थ्य सेवा की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सप्ताह में दो दिन मेडिकल कैंप लगाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य सीमावर्ती और दूर-दराज के ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेडिकल कैंप नियमित रूप से संचालित हों और ग्रामीणों को जांच एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

☞ **स्कूलों की भी जांची व्यवस्था :-** अधिकारियों ने दल्लेगांव और भवानीगंज स्थित मध्य एवं उच्च विद्यालयों का भी निरीक्षण किया। विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, शैक्षणिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों से स्कूलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनिकेत कुमार, आपदा पदाधिकारी आदित्य कुमार सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम-एसपी के इस संयुक्त दौरे को सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के साथ-साथ वहां की नागरिक सुविधाओं की जमीनी स्थिति पर प्रशासन की नजर मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवागमन से जुड़े मुद्दों पर नियमित निगरानी रखने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।●

बिहियाँ नरेश रणपाल

● बिन्ध्याचल सिंह

महथीन माई नाम से प्रकाशित एक ऐतिहासिक उपन्यास जिसके लेखक कमल कुमार चौबे है, जो सिकरियाँ के स्थायी है या यूँ कहे कि श्री चौबे की पुस्तौनी घरहै जो भोजपुर जिला के बिहियाँ प्रखण्ड के तियर पंचायत में स्थित है। जिन्होने महथीन माई नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना किये है। उसी का एक शीर्षक है- बिहिया नरेश रणलाल

बिहियाँ नरेश रणपाल का राजदरबार आज विशेष बैठक के रूप में आयोजित है। सभासदों से गंभीर चर्चा चल रही है। विषय है-विगत 6 माह से राजमहल संग इनसे जुडे लोगों के साथ घटनेवाली अप्रत्याशित घटनाक्रम। आज के दिन तक राजा रणपाल स्वयं अपने पलंग जसे सोयी अवस्था में कुल तीन बार गिर चुका है। प्रत्येक बार वह बुरी तरह चोटिल हुआ। राजमंत्री 10 दिन पूर्व दरबार में आ रहे थे, तभी चलते-चलते ही अचानक गिर कर बेहोश हो गए। राज सेना के मध्य क्रमागत रूप से एक-दो की संख्या में 25 सैनिकों ने बगावत कर सेना छोड दी है। राजाज्ञा से उन्हें भगोडा घोषित किया गया है। राजा के घुडसाल में एक श्यामवर्ण घोडा 'केतु' ने अचानक रौद्र रूप धारण कर साईस ''दोसामिया'' का दाहिना बॉह ही चबा डाला। बडी मेहनत के बाद साईस की जान बची। जहर फैलने के डर से कंधे से बॉह को काट कर जा रही है? आखिर इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे राज क्या है? यदि किसी की साजिश हो तो उसे शीघ्र पता कर यथोचित कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे वंशज/हरिहोवंश में कमजोरी का कहीं स्थान नही रहा। जो घटनाएँ घट रही है, वह इंगित कर रही है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड रही है; तभी इस प्रकार की घटनाएँ दुश्मनों द्वारा अक्सर मूर्त रूपदी जा रही है। इस पर मंत्रीजी ने कहा महाराज! अपने राज्यान्तर्गत सिकरिया ग्राम में एक चमत्कारी कन्या के जन्म लेने की सूचना मिली है। कुछ लोगों की राय है कि कहीं उस कन्या के चलते तो इस प्रकार की घटनाएँ नही घट रही है। नही! मैने देखा है, आदमी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए काल्पनिक घटनाओं की ओट लेता हैं। कहीं ऐसा तो नही मंत्रीजी कि आप अपनी जिम्मेवारियों से जी चुरा रहे हों? अपराध क्षमा हो महाराज!मैंने तो सिर्फ लोगो राय बतायी थी। लोगो का राय? बिहियाँ राज्य का महामंत्री किसी बिन्दु पर लोगों की राय जाहिर कर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता। आप सेनापति संग खुफिया प्रमुख का साथ ले घटित घटनाओं के साजिशकर्ता को मेरे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रक्रम करें। विदित हो कि मैं महाराजाधिराज कार्तवीर्य का वंशज हूँ। हमने सदैव''स्वयंमेव मृगेन्द्रितम्'' की पौराणिक अमृत वचन के अनुरूप ही धरती पर राज किया हैः; किसी की दया या कृपा की बदौलत नहीं। हम यह कभी भी बर्दास्त नहीं करेंगें कि हमारे दरबारी दब्बू किस्म की निरीह बातों से राज के सम्मान में बट्टा लगाने का राई भर भी कुत्सित प्रयत्न करें। राज की वंश-परम्परा तथा गौरव का ख्याल हर आम और खास को होना चाहिए। यह भी माने कि कदाचित कहीं आपके कथनानुसार चमत्कारिक घटनाएँ अप्रत्याशित रूप से घट भी जाती हैं तो हमारी शान में उसे तलवार की नोंक पर सिर धड़विहीन बना; जीवन की भीख मॉगने पर मजबूर कर दिया जाय। इसे सख्त ताकीद संग राजाज्ञा माने। अपराध क्षमा हो महाराज।मैं नाचीज; आप जीवनदाता को,अपनी विपन्न वागेन्द्री से असीम कष्ट पहुँचाया; इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर आज और अभी से ही सेनापति संग खुफिया प्रमुख के साथ गहन अनुसंधान पर लग जाता हूँ। बहुत जल्द हमारा हाथ अपराधी की गर्दन तक होगा। बिहियाँ राज के अपराधी का उचित स्थान राज कारागार ही है और हम उसे अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेगें। दरबार का कार्यक्रम स्थगित होता है। महमंत्री, सेनापति तथा खुफिया प्रमुख एक साथ प्रस्थान करते है। तीनों जन ''दरबार-खास'' पहुँचते है, यहाँ आपातकालीन खुफिया बैठक के लिए ही तीनों जन जुटते थे। इस दरम्यान बाहर सख्त पहरा रहता। इस दरबार की आवाज वगैर तीनों की अनुमति के बाहर नहीं जा सकती थी। हमें कुछ मानक विन्दु तय होगें जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपनी कार्य योजना को मूर्तरूप देंगे। खुफिया प्रमुख ने अपनी आन्तरिक बात से अवगत कराया। हमें महाराज के इस विचार से अलग हटकर सोचना होगा कि कलयुग में चमत्कार नहीं हो सकता है। महामंत्री ने अपनी आवाज में तल्खी लाते हुए कहा। सेनापति ने दार्शनिक मुद्रा में अपने विचार रखते हुए कहा-सैनिक भी मानव ही हैं और मानव से मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। कोई भी बेवफा वैसे ही नहीं होता; कुछ न कुछ कारण संग मजबूरियाँ अवश्य होती हैं। कल तक वफादार रहने वाला देशभक्त सैनिक आज, अचानक ''यूटर्न'' कैसे आया? हमें सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा। मुझे लगता है कि हम निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर सकते हैं :-

☞ सिकरिया ग्राम में चमत्कारिक कन्या का सत्य क्या है?

☞ सैनिक राज सेना से बगावत क्यों किए?

☞ बिहियाँ राज की शान ''डोला-छेंकाई'' प्रथा को और सख्ती से लागू करना।

तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि-''जाके मतिभ्रम हुए खगेसा, सो की पश्चिम उगे दिनेसा''। ●

कमल कुमार चौबे

जिलाधिकारी की औचक निरीक्षण की हकीकत

● बिन्ध्याचल सिंह

अगस्त-27, 28, 29 और 01/09/2026 में जिलाधिकारी बक्सर श्रीमति साहिला के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो व विद्यालय का औचक निरिक्षण किया गया जो ''काबिले तारीफ'' है। जिसकी जानकारी आई पी आर डी ग्रुप से केवल सच प्रतिनिधि को हुई। सच्चाई क्या है? ये तो जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी बक्सर ही बता सकते है। जानकारी के लिये बताते चले कि जिलाधिकारी बक्सर दिनांक 08 मई 2026 को केवल सच प्रतिनिधि से मिलने से साफ इंनकार कर चुकी है जिसकी जानकारी जिलाधिकारी के आदेशपाल ने प्रतिनिधि की पर्ची लौटाते समय बोले। सच्चाई क्या है? आदेशपाल ही जानें। केवल सच प्रतिनिधि को जिलाधिकारी बक्सर से मिलने का मुख्य कारण था कि पीएमएफएमई योजना धरातल पर संचालित हो रही या केवल कागज पर। क्योकि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त जानकारी के आलोक में प्रतिनिधि ने जिले का दौरा किये थे कि प्राप्त जानकारी कितनी कागज

पर है और कितनी धरातल पर। वितिय वर्ष 2024-2025 में स्थापित यूनिट न जाने जिले के किस स्थान पर छुप गई थी कि प्रतिनिधि को केवल सोनवर्षा में ही दिखी। जिसकी राशि यूको बैंक सोनवर्षा से प्राप्त हुई थी। अधिकतर यूनिट पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त राशि की ही यूनिट संदेह के घेरे में आज भी है। जिसकी जानकारी कोई भी पदाधिकारी नही दे सके, जिसमे उद्योग विस्तार पदाधिकारी, महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र बक्सर, महाप्रबंधक, जिला अग्रणी बैक और पंजाब नैशनल बैक आरा के मुख्य शाखा प्रबंधक शामिल है। एक अनुमान के अनुसार पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत केवल वित्तीय वर्ष-2024-2025 तीन करोड की घोटाले सामने आ सकती है। जिलाधिकारी की औचक निरिक्षण के संदर्भ में बक्सर शहर के चाय दुकान, चौक-चौराहे, स्टेशन इत्यादि जगहो पर चर्चा कि जिलाधिकारी के द्वारा की जाने वाली निरिक्षण एक औनपचारिक कर्तब्यनिष्ठता है न कि जिले के विकास व स्वच्छता के लिये। आम लोगो की मानें तो जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न प्रखण्डो की औचक निरिक्षण कर रही है और नगर परिषद् बक्सर नरक परिषद् बना हुआ है। पुरा शहर नरक बना हुआ है ये दृश्य न तो जिलाधिकारी श्रीमति साहिला को दिखता न ही माननीय सदर विद्यायक बक्सर को दिखाई देता है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद्, बक्सर में प्रत्येक माह विकास व सफाई के नाम पर करोडो रू0 खर्च किये जाते है, फिर भी नगर परिषद्, नरक परिषद् बना हुआ है। ये सवाल नगरवासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर नगरवासियों के सवाल का जबाव कौन देगा? जिला प्रशासन बक्सर या सदर विद्यायक बक्सर।●

वर्दी में छुपा साहित्यकार

● रवि रंजन मिश्र

एक हाथ में कानून की कमान और दूसरे हाथ में शब्दों की जादूगरी, यह अनूठी पहचान है भारतीय पुलिस सेवा के तेजतर्रार अधिकारी कांतेश कुमार मिश्र की। जहां अपराधियों के भीतर उनके नाम का खौफ साफ दिखता है, वहीं साहित्य और संस्कृति के पटल पर उनकी संवेदनशील लेखनी दिल जीत लेती है। प्रशासनिक व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के साथ ही वे हिंदी साहित्य जगत में एक प्रखर लेखक, कवि और विचारशील रचनाकार के रूप में अपनी मजबूत छाप छोड़ चुके हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा का आगाज वर्ष 2020 में प्रकाशित पुस्तक 'पाटलिपुत्र के छांव से' के साथ हुआ, जिसने साहित्य प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद वर्ष 2023 में आई 'इंद्रप्रस्थ के काश पुष्प' ने उनकी गहरी काव्यात्मक दृष्टि और चिंतन को नए शिखर पर पहुंचाया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटती कृति 'मगध सामान' ने उनके शोधपरक लेखन को साबित

किया। गंभीर लेखन के साथ बाल मन को छूने वाली रचनाओं में उनकी अद्भुत पकड़ श्याशी धोनी के खेल कूद और नटखट पिनाकीश में साफ दिखाई देती है, जो बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के मार्गदर्शन हेतु उनकी रचना 'यूपीएससी मेन्स सॉल्व्ड पेपर' आज भी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

अपराध नियंत्रण की कठोर ड्यूटी के बीच शब्दों की यह साधना दर्शाती है कि प्रशासनिक व्यस्तताएं भी उनके भीतर के संवेदनशील रचनाकार को थाम पाने में पूरी तरह असमर्थ साबित हुई हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में छात्रों के बीच हिंदी भाषा के उत्थान, पुलिस दीदी अभियान और साइबर सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित करने वाले कांतेश कुमार मिश्रा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सशक्त प्रेरणा पुंज बन चुके हैं। कानून के रखवाले के साथ शब्द शिल्पी के रूप में उनका यह रूप पुलिस प्रशासन के मानवीय और बौद्धिक चेहरे को बुलंदी से रोशन कर रहा है।●

योजनाओं में लाएं तेजी और विकास कार्यों को दें प्राथमिकता : जिलाधिकारी

● **रवि रंजन मिश्र**

जिला पदाधिकारी, श्री तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, जीविका द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को प्रारंभ करते हुए निदेशक पुरुषोत्तम त्रिवेदी द्वारा सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया एवं वीबी जी राम जी की योजनाओं की समीक्षा प्रारंभ की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पंचायत में मानव दिवस सृजन में तेजी लाएं ताकि रोजगार की व्यवस्था कायम की जा सके। वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की दिशा में अपेक्षित प्रगति न होने पर बगहा 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी की कड़ी फटकार लगाई गई। मंझौलिया, नौतन, लोरिया के कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने के कारण फटकार लगाई गई। इन सभी को निर्देश दिया गया की 15 दिन के अंदर सभी लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

आवास योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आवास योजना के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाए। जिनका द्वितीय एवं तृतीय किस्त लंबित है उन्हें घर बनाने के लिए प्रेरित करें एवं किस्त का भुगतान करें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयकों को निर्देश दिया गया कि शौचालय विहीन परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन हर घर से कचरा उठाव करने का प्रबंध किया जाए। WPU में कचरा सुप्रवस्थित ढंग से रखने एवं निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसका पुन: प्रांक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि बरसात बाद कार्य किया जा सके। पंचायती राज के विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच करें एवं प्रतिवेदन करें। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए भवन निर्माण विभाग एवं स्थानीय क्षेत्र संगठन के कार्यपालक अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं को गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। अंत में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारी को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, श्री काजले वैभव नितिन, निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, श्री सौरभ आलोक, एनईपी, श्री पुरुषोत्तम त्रिवेदी, जल संसाधन विभाग के सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।●

चीनी मिल में कांटों की पूजा के साथ पेराई की तैयारी

● **रवि रंजन मिश्र**

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर को न्यू स्वदेशी शुगर मिल परिसर में तौल कांटों और मशीनों की पूजा के साथ आगामी पेराई सत्र की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूजा में मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शामिल होकर चीनी मिल के सुचारु संचालन की कामना की।

☞ **कांटों की हुई विधिवत पूजा :-** चीनी मिल परिसर में स्थापित गन्ना तौल कांटों की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। मिल के कार्यपालक अध्यक्ष रविन्द्र कुमार तिवारी, कार्यपालक उपाध्यक्ष राजीव कुमार त्यागी और गन्ना महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ढाका ने पूजा-अर्चना कर पेराई

सत्र की तैयारियों का शुभारंभ किया। इस दौरान विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई गई।

☞ **सफल पेराई सत्र की कामना :-** विश्वकर्मा पूजा के दौरान मिल अधिकारियों और कर्मियों ने आगामी पेराई सत्र के सफल संचालन की कामना की। अधिकारियों ने कहा कि चीनी मिल की मशीनें और तौल कांटे पेराई सत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनकी पूजा के साथ नए सत्र के लिए तैयारियों को गति देने की परंपरा रही है।

☞ **अधिकारियों व कर्मियों की रही मौजूदगी :-** पूजा कार्यक्रम में चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य मिलकर्मी मौजूद रहे। पूजा-अर्चना के बाद आगामी पेराई सत्र को लेकर मिल परिसर में तैयारियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। मशीनों, तौल व्यवस्था समेत पेराई से जुड़े अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।●

बेतिया की सड़कों पर सज रहा मौत का बाजार

● रवि रंजन मिश्र

बेतिया में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सरकारी नुमाइंदों का मिजाज देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो व्यवस्था प्रजातंत्र से नहीं, बल्कि किसी निरंकुश राजतंत्र के फरमानों से संचालित हो रही हो। जब सत्ता और पद का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगे, तो जनसरोकार महज कागजी फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं। इस प्रशासनिक संवेदनहीनता और एकछत्र हुकूमत की सबसे बदरंग बानगी जिले के परिवहन विभाग में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां शहर की छाती पर बेखौफ दौड़ती ओवरलोड गाड़ियां प्रशासन की कार्यशैली का खुला उपहास उड़ा रही हैं। शहर का हृदय स्थल कही जाने वाली ऐतिहासिक बेतिया राज ड्योढ़ी आज किसी पहचान की नहीं, बल्कि 'सड़क पर सजने वाले मौत के बाजार' की गवाह बन चुकी है। यह कोई एक दिन, एक महीने या एक साल का फसाना नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहा एक ऐसा संगठित सिलसिला है जिसकी धड़कनें बेकसूर राहगीरों की सांसें रोक देने पर आमादा हैं। चिमनियों से बेतहाशा ओवरलोड होकर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और गाड़ियां शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों को रौंदते हुए सीधे राज ड्योढ़ी पहुंचती हैं। यहां बाकायदा इन ओवरलोड गाड़ियों की सरेआम मंडी लगती है, सौदेबाजी होती है और फिर यही भारी-भरकम वाहन उसी तंग भीड़भाड़ वाले रास्तों से ग्राहकों के ठिकाने तक पहुंचा दिए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इस पूरे सफर के दौरान दर्जनों थानों की सीमाएं पार होती हैं, परिवहन विभाग की चौकियां और गश्ती दल गुजरते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी वर्दी या ओहदेदार का डंडा इन बेलगाम गाड़ियों की रफ्तार थाम सके। सूत्रों और दबे जुबान उठती आवाजों की मानें तो यह पूरा नेटवर्क महज संयोग नहीं, बल्कि मिलीभगत और 'प्रबंध तंत्र' की गहरी नींव पर टिका हुआ है। कहा तो यहां तक जाता है कि सब कुछ बड़े साहब के कथित इशारे और विभागीय 'मैनेजमेंट' के दम पर बदस्तूर जारी है। जब व्यवस्था का पहिया ही साठगांठ की धुरी पर घूम रहा हो, तो फिर कानून की लगाम की उम्मीद किससे की जाए?

सवाल तब और गहरा जाता है जब खुद महकमे के आला हुक्मरान यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें शहर में दौड़ती इन ओवरलोड गाड़ियों की पूरी जानकारी है। अगर विभाग को सब कुछ मालूम है, तो फिर यह खामोशी किस बात की है? बार-बार खबरें प्रकाशित होने, लगातार ध्यानाकर्षण कराए जाने और साहब द्वारा रटे-रटाए आश्वासनों की चादर ओढ़ा दिए जाने के बावजूद अगर हकीकत जस की तस बनी रहे, तो क्या जनता का यह सोचना गलत है कि साहब की इस रहस्यमयी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? पचासों बार आवाज उठाने के बाद भी जब सिस्टम के कान पर जूं तक न रेंगे, तो परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह का दायरा गहराना स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है।●

जीवनरक्षक दवाओं के नाम पर खुला फर्जीवाड़ा

● रवि रंजन मिश्र

नरकटियागंज की धरती पर आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। इंसान की सांसों की डोर से जुड़ी जीवनरक्षक दवाएं आज नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए बेची जा रही हैं। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और पूरे शहर में दवा कारोबार पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। कानून कहता है कि हर मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य है, चौबीस घंटे चलने वाले प्रतिष्ठानों में तीन-तीन फार्मासिस्ट की तैनाती होनी चाहिए, मगर हकीकत यह है कि दुकानों की कुर्सियों से योग्य फार्मासिस्ट पूरी तरह गायब हैं। बिना किसी तकनीकी जानकारी के अप्रशिक्षित हाथों से बेची जा रही यह दवाएं जहर बनकर मरीजों के हलक में उतारी जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि आखिर नरकटियागंज के ड्रग्स इंस्पेक्टर किस मजबूरी में अपनी आंखें, कान और मुंह बंद करके बैठे हैं?

मानकों की बात करें तो दुकानों में पर्याप्त जगह का घोर अभाव है, चौबीस घंटे चालू रहने वाले फ्रिज बंद पड़े हैं और एयर कंडीशनर की व्यवस्था गायब है। जो दवाएं नियंत्रित तापमान के अभाव में अपना असर खोकर घातक बन जाती हैं, उन्हें खुलेआम सड़ाकर मरीजों को थमाया जा रहा है। ग्राहकों को कानूनी अधिकार वाला पक्का बिल देने से सीधे इंकार किया जा रहा है और थोक कारोबार की आड़ में खुदरा बिक्री का काला धंधा बेखौफ चलाया जा रहा है। क्या कानून के रखवाले साहब को यह खुली लूट नजर आ रही है? क्या मानकों को कुचलने की यह खुली छूट ड्रग्स इंस्पेक्टर की सीधी शह और संरक्षण का परिणाम है?

शहर के हर चौराहे और दवा बाजार के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि साहब की इस आपराधिक खामोशी की वजह हर महीने मेडिकल संचालकों से होने वाली मोटी अवैध वसूली है? सूत्र खुलेआम दावा कर रहे हैं कि नियमित नजराना तय होने के कारण ही जांच का डंडा पूरी तरह गायब कर दिया गया है? क्या ड्रग्स इंस्पेक्टर का काम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करना है या फिर अवैध धंधेबाजों के सामने मूकदर्शक बनकर अपनी जेबें भरना? स्वास्थ्य विभाग के आला हुक्मरानों को फौरन नींद से जागना होगा और नरकटियागंज में चल रहे इस संगठित खेल पर धावा बोलकर ड्रग्स इंस्पेक्टर की संदिग्ध भूमिका की उच्चस्तरीय जांच बैठानी होगी, ताकि जिंदगी के सौदागरों और उनके आकाओं का असली चेहरा बेनकाब हो सके।●

● **भारती मिश्रा**

परिसीमन के सवाल पर मोरहाबादी में जुटे आदिवासी संगठनों ने प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार और जल-जंगल-जमीन की बहस को एक मंच पर ला दिया। गैर-दलीय आयोजन के बावजूद इसके भीतर झारखंड की आदिवासी राजनीति के बदलते समीकरणों की आहट साफ सुनाई दी। 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ आदिवासी एकता महाजुटान पहली नजर में परिसीमन के विरोध का बड़ा सामाजिक जमावड़ा था। लेकिन मंच से उठे सवालों और इसमें शामिल संगठनों की सक्रियता को देखें तो इसकी कहानी केवल चुनावी परिसीमन तक सीमित नहीं रहती। इसके केंद्र में आदिवासी प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार, पहचान और आने वाले वर्षों की राजनीतिक दिशा का सवाल भी दिखाई देता है। परिसीमन का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2003 के 84वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थगित किया गया था। अब इस संभावित बदलाव को लेकर झारखंड के आदिवासी संगठनों में चिंता बढ़ रही है। आशंका यह है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले भविष्य के पुनर्सतुलन का असर आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है।

☞ **परिसीमन : सीटों से कहीं बड़ा सवाल :-** महाजुटान में परिसीमन को केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की तकनीकी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा गया। आदिवासी संगठनों का तर्क है कि झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर किया गया कोई भी पुनर्सतुलन राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि परिसीमन की बहस के साथ पांचवीं अनुसूची, आदिवासी क्षेत्रों की संवैधानिक सुरक्षा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम जैसे मुद्दे भी जुड़े। जल-जंगल-जमीन और खनिज संसाधनों पर अधिकार की पुरानी लड़ाई भी इस विमर्श का हिस्सा बनी रही। अर्थात सवाल सिर्फ यह नहीं कि कितनी सीटें रहेंगी, बल्कि यह भी है कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आदिवासी समाज की आवाज कितनी प्रभावी रहेगी।

☞ **साझा मुद्दे ने बनाया साझा मंच :-** महाजुटान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसे किसी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम के रूप में पेश नहीं किया गया। अलग-अलग आदिवासी सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने परिसीमन के मुद्दे पर साझा मंच तैयार किया। यह विविधता महाजुटान को सामाजिक आंदोलन का रूप देती है। लेकिन इसी के साथ एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है, क्या ऐसा मंच लंबे समय तक दलगत राजनीति से दूरी बनाए रख पाएगा? इस महाजुटान की तैयारी और जनसंपर्क अभियान में बंधु तिर्की सबसे प्रमुख चेहरों में रहे। बंधु तिर्की इस आयोजन के प्रमुख चेहरों में रहे। लेकिन भी आयोजन की सफलता किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती है उनके साथ और लोगों की भी सक्रियता, सहभागिता और मेहनत जुड़ी होती है इस कार्यक्रम उनके साथ रमा खलखो, ग्लैडसन डुंगडुंग, अजय तिर्की, लक्ष्मीनारायण मुंडा, शिवा कच्छप, शशि पन्ना और ज्योत्सना केरकेट्टा सहित कई नाम सक्रिय रहे।

☞ **गैर-दलीय मंच, कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्पेस :-** महाजुटान को किसी दल विशेष का मंच कहना सही नहीं होगा। फिर भी राजनीति के स्तर पर इसके संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंधु तिर्की की प्रमुख भूमिका ने यह संकेत जरूर दिया कि कांग्रेस झारखंड के आदिवासी समाज में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए आदिवासी मुद्दों के साथ अधिक सक्रियता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यहां फर्क समझना जरूरी है। महाजुटान को कांग्रेस का कार्यक्रम कहना एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसे सामाजिक मंच राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का अवसर जरूर बन सकते हैं। यदि परिसीमन, आदिवासी अधिकार और पहचान जैसे मुद्दे आगे भी बड़े आंदोलन का रूप लेते हैं, तो इनके जरिए कांग्रेस अपने लिए नया राजनीतिक स्पेस तलाश सकती है। यानी मंच गैर-दलीय हो सकता है, लेकिन उससे निकलने वाले राजनीतिक अवसर दलीय राजनीति से अलग नहीं होते।

☞ **हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति का संकेत :-** मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाजुटान में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे स्वयं शामिल नहीं हुए। उनकी ओर से झामुमो विधायक विकास मुंडा की मौजूदगी रही। इस अनुपस्थिति को सीधे महाजुटान के विरोध के रूप में देखना उचित नहीं होगा। फिर भी, झारखंड की आदिवासी राजनीति में हेमंत सोरेन की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए उनका मंच पर न होना चर्चा का विषय बना। इसे एक राजनीतिक दूरी के संकेत के रूप में जरूर पढ़ा जा सकता है। मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन मंच की राजनीतिक प्रकृति को लेकर सावधानी बरती गई। इससे एक और सवाल निकलता है: यदि परिसीमन आने वाले वर्षों में बड़ा राजनीतिक

मुद्दा बनता है, तो इसकी अगुवाई सामाजिक संगठन करेंगे या मौजूदा आदिवासी राजनीतिक नेतृत्व इसे अपने हाथ में लेगा?

☞ **धर्मांतरण और डीलिस्टिंग की बहस :-** महाजुटान के आसपास एक दूसरा विवाद भी सामने आया। कुछ आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि आयोजन में चर्च से जुड़े लोगों का समर्थन या धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों की लामबंदी है। इन आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं। इसके साथ डीलिस्टिंग का मुद्दा भी जुड़ता है। कुछ संगठन चाहते हैं कि धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले कुछ संवैधानिक लाभों के संदर्भ में अलग व्यवस्था पर विचार किया जाए। दूसरी ओर, विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति की आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। यह बहस बेहद संवेदनशील है और आदिवासी समाज के भीतर मतभेद पैदा करने की क्षमता रखती है। यहीं 'आदिवासी एकता' की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। परिसीमन ऐसा मुद्दा है जो अलग-अलग समूहों को एक साथ ला सकता है, लेकिन धर्म और पहचान की राजनीति वही एकता कमजोर भी कर सकती है।

☞ **एकता की राह आसान नहीं :-** झारखंड का आदिवासी समाज एकरूप नहीं है। सरना, ईसाई और अन्य आदिवासी समुदायों के बीच धार्मिक और सामाजिक पहचान के सवालों पर मतभेद हैं। इसके बावजूद जमीन, संसाधन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा जैसे कई मुद्दे उन्हें साझा मंच पर ला सकते हैं। महाजुटान की सफलता इसी संतुलन पर निर्भर करेगी। यदि साझा मुद्दों को प्राथमिकता मिलती है तो व्यापक सामाजिक आंदोलन बन सकता है। लेकिन यदि आंदोलन धार्मिक पहचान और दलगत राजनीति के विवादों में उलझ गया, तो इसकी व्यापकता सीमित हो सकती है।

☞ **भाजपा और दूसरे दलों के लिए भी खुलता मैदान :-** आदिवासी पहचान, धर्मांतरण, डीलिस्टिंग और आरक्षण जैसे मुद्दे केवल सामाजिक बहस नहीं हैं। इनका राजनीतिक प्रभाव भी गहरा है। भाजपा सहित दूसरे राजनीतिक दल भी इन मुद्दों को अपने-अपने तरीके से उठाते रहे हैं। ऐसे में आदिवासी समाज के भीतर राजनीतिक स्पेस के लिए मुकाबला आने वाले समय में और तेज हो सकता है। एक तरफ झामुमो की स्थापित आदिवासी राजनीतिक पकड़ है, दूसरी ओर कांग्रेस अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा और अन्य संगठन पहचान से जुड़े सवालों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में मोरहाबादी का महाजुटान एक महत्वपूर्ण संकेत बनकर उभरता है।

☞ **भीड़ से आगे आंदोलन की चुनौती :-** बड़ी संख्या में लोगों का जुटना किसी भी आंदोलन के लिए उत्साह पैदा करता है, लेकिन उससे आंदोलन की स्थायी सफलता तय नहीं होती। अब असली सवाल यह है कि महाजुटान के बाद क्या रणनीति बनती है। क्या परिसीमन के मुद्दे पर राज्यभर में अभियान चलाया जाएगा? क्या अलग-अलग आदिवासी संगठन एक साझा कार्यक्रम पर टिक पाएंगे? क्या यह आंदोलन पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक राजनीतिक दबाव बना पाएगा? यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक रहे, तो मोरहाबादी की सभा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत साबित हो सकती है। अगर नहीं, तो यह भीड़ एक प्रभावशाली लेकिन सीमित राजनीतिक घटना बनकर रह सकती है।

☞ **असली लड़ाई प्रतिनिधित्व की :-** मोरहाबादी का संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां परिसीमन को एक व्यापक राजनीतिक प्रश्न में बदलने की कोशिश दिखाई दी। सीटों की सीमाओं से शुरू हुई बहस प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार, पहचान और नेतृत्व तक पहुंच गई। गैर-दलीय मंच ने अलग-अलग समूहों को साथ आने का अवसर दिया, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव से दलों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के लिए यह आदिवासी समाज में अपनी राजनीतिक जगह मजबूत करने का अवसर है, जबकि झामुमो के सामने अपने पारंपरिक आदिवासी राजनीतिक आधार को और मजबूती से साधने की चुनौती है। भाजपा और दूसरे संगठनों के लिए भी पहचान से जुड़े मुद्दों के जरिए जगह बनाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मोरहाबादी का महाजुटान केवल परिसीमन के खिलाफ उठी आवाज नहीं है। यह उस बड़े सवाल का संकेत है कि आने वाले समय में झारखंड की आदिवासी राजनीति की दिशा कौन तय करेगा-सामाजिक आंदोलन, स्थापित राजनीतिक दल या कोई नया नेतृत्व। परिसीमन की बहस अभी पूरी तरह सामने भी नहीं आई है, लेकिन उसके राजनीतिक असर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मोरहाबादी ने कम-से-कम इतना साफ कर दिया है कि आदिवासी प्रतिनिधित्व का सवाल आने वाले झारखंड की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

● **भारती मिश्रा**

वायरल ऑडियो से शुरू हुआ विवाद अब विधायक बनाम पुलिस संगठनों के टकराव में बदलता दिख रहा है। एक तरफ जयराम महतो इसे दबाव और पुलिस की भूमिका से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एसोसिएशन इसे पुलिसकर्मियों की गरिमा और संस्थागत अनुशासन का सवाल बता रहा है। इस टकराव में कौन किसके साथ खड़ा है और इसके पीछे झारखंड की राजनीति के लिए क्या संकेत छिपे हैं? झारखंड की राजनीति में कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो किसी एक घटना से शुरू होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उस घटना की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच मौजूदा विवाद भी अब उसी मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ विधायक जयराम महतो की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। बातचीत को लेकर पुलिस की ओर से आपत्तिजनक और धमकी भरे व्यवहार के आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ जयराम महतो ने ऑडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे एडिटेड और तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का दावा किया। इसके बाद मामला प्राथमिकी, पुलिस संगठनों की नाराजगी, माफी की मांग और विधायक की गिरफ्तारी की मांग तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस एसोसिएशन के समर्थन में अलग-अलग पुलिस संगठनों की आवाजें सामने आने लगीं, तो जयराम महतो के समर्थन में भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। यहीं से यह सवाल पैदा हुआ, आखिर इस विवाद में कौन जयराम महतो के साथ है और कौन पुलिस एसोसिएशन के साथ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक वायरल ऑडियो का विवाद है या झारखंड की बदलती राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत? पहले समझिए पूरा घटनाक्रम :-

❖ **21 अगस्तः विवाद की पृष्ठभूमि :-** बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार और जयराम महतो के बीच कथित फोन बातचीत सामने आई। बाद में बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑडियो की स्वतंत्र फोरेंसिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इसलिए इसमें मौजूद कथित बातचीत को अंतिम प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से विधायक पर कथित रूप से अमर्यादित भाषा और धमकी देने के आरोप लगाए गए। जयराम महतो ने आरोपों को खारिज करते हुए बातचीत के संदर्भ और ऑडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए।

❖ **FIR और पुलिस संगठनों की सक्रियता :-** मामला प्राथमिकी तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस संगठनों ने सामूहिक रूप से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू की। पहले माफी की मांग उठी और बाद में गिरफ्तारी की मांग भी सामने आई।

❖ **अगला चरण : आंदोलन की घोषणा :-** पुलिस संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया। इसमें पुलिसकर्मियों की सेवा-संबंधी मांगों के साथ जनप्रतिनिधियों के कथित हस्तक्षेप को लेकर भी सवाल उठाए गए।

❖ **8 सितंबर : प्रस्तावित आंदोलन स्थगित :-** पुलिस एसोसिएशन की ओर से 8 सितंबर से प्रस्तावित आंदोलन को झारखंड के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के कारण स्थगित किए जाने की जानकारी सामने आई। इसलिए मौजूदा स्थिति को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि घोषित आंदोलन स्थगित हो चुका है।

❖ **जयराम महतो का पक्ष : "दबाव में नहीं झुकेंगे" :-** जयराम महतो ने इस पूरे विवाद में अपने बचाव के साथ-साथ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वायरल ऑडियो को सही संदर्भ से अलग करके पेश किया गया है। उन्होंने ऑडियो में एडिटिंग और एआई के इस्तेमाल की आशंका तक जताई है। महतो की राजनीति में यह रुख नया नहीं है। वह खुद को व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने वाले नेता के रूप में पेश करते रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ टकराव को भी उनके समर्थक उसी राजनीतिक संघर्ष के विस्तार के रूप में देख रहे हैं। उनकी ओर से पुलिस एसोसिएशन से यह सवाल भी किया गया कि यदि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत हो, तो क्या पुलिस संगठन उसी तरह सामूहिक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? यानी महतो ने विवाद को सिर्फ "एक पुलिस अधिकारी से बातचीत" तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पुलिस की जवाबदेही और जनप्रतिनिधि की भूमिका के बड़े सवाल से जोड़ दिया है।

❖ **पुलिस एसोसिएशन का पक्ष : "मामला पुलिस के सम्मान का है" :-** दूसरी ओर पुलिस संगठनों का कहना है कि मामला किसी व्यक्तिगत अधिकारी की प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक यदि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के साथ कथित रूप से अमर्यादित व्यवहार या धमकी दी जाती है, तो इससे पुलिस बल के मनोबल पर असर पड़ सकता है। इसीलिए पुलिस एसोसिएशन ने माफी की मांग से आगे बढ़ते हुए विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस संगठनों के रुख का मूल तर्क है, कानून

सभी के लिए समान होना चाहिए और जनप्रतिनिधि होने का अर्थ कानून से ऊपर होना नहीं है।

❖ **जयराम महतो के साथ कौन? :-** विवाद बढ़ने के साथ जयराम महतो को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने उनके समर्थन में खुलकर बयान दिया और जरूरत पड़ने पर झारखंड के उनके समर्थन में खड़े होने की बात कही। जेएलकेएम समर्थकों और कुछ सामाजिक-क्षेत्रीय समूहों की ओर से भी पुलिस एसोसिएशन के रुख पर सवाल उठाए गए। यह समर्थन सिर्फ व्यक्ति के समर्थन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे झारखंड की क्षेत्रीय राजनीति और व्यवस्था के प्रति असंतोष की वह भावना भी दिखाई देती है, जिसे जयराम महतो अपनी राजनीति का हिस्सा बनाते रहे हैं। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, किसी नेता या संगठन का समर्थन किसी आरोप को सही या गलत साबित नहीं करता। यह केवल राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

❖ **पुलिस एसोसिएशन के साथ कौन? :-** पुलिस एसोसिएशन को सबसे मजबूत समर्थन पुलिस संगठनों के भीतर से मिला। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के साथ पुलिस मेंस एसोसिएशन की विभिन्न जिला इकाइयों ने भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग का समर्थन किया। इसके बाद झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन की ओर से भी पुलिस संगठनों के रुख को समर्थन मिलने की खबर सामने आई। यानी पुलिस महकमे से जुड़े कई संगठन इस मुद्दे पर एक साझा स्थिति की ओर बढ़ते दिखाई दिए। यही बात इस विवाद को राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक थाना प्रभारी और विधायक का नहीं रहा। यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाम पुलिस संगठनों का टकराव बन गया है।

❖ **विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा: वायरल ऑडियो :-** इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी वायरल ऑडियो है। लेकिन यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ऑडियो सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से सामने आया है, लेकिन उसकी स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। जयराम महतो का दावा है कि ऑडियो को एडिट किया गया है और बातचीत को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। पुलिस पक्ष इस दावे को स्वीकार नहीं करता और कथित बातचीत के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जांच में यह स्पष्ट हो :-

☞ मूल ऑडियो क्या है?
☞ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है या नहीं?
☞ वायरल क्लिप और मूल रिकॉर्डिंग में कोई अंतर है या नहीं?
☞ क्या एडिटिंग हुई है?
☞ बातचीत का पूरा संदर्भ क्या था?
☞ कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य क्या कहते हैं?

इन सवालों के जवाब ही इस विवाद की वास्तविक तस्वीर तय कर सकते हैं।

❖ **सिर्फ ऑडियो नहीं, पूरी पृष्ठभूमि भी देखनी होगी :-** इस विवाद को समझने के लिए बरवाअड्डा थाना परिसर से जुड़े पहले के घटनाक्रम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्टों के मुताबिक थाना परिसर में विधायक जयराम महतो और एक मुखिया के समर्थकों से जुड़ा विवाद भी सामने आया था और दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी आई थी। इसलिए मौजूदा विवाद को सिर्फ वायरल ऑडियो के आधार पर देखना अधूरा होगा। जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि फोन बातचीत से पहले क्या हुआ था? और फोन बातचीत के बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा?

❖ **असली टकराव : राजनीतिक जवाबदेही बनाम संस्थागत गरिमा :-** इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक निर्वाचित विधायक से यह अपेक्षा होती है कि वह प्रशासन और पुलिस से सवाल करे, लेकिन साथ ही संस्थागत मर्यादा भी बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस से अपेक्षा होती है कि वह कानून लागू करे, लेकिन उसके काम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बनी रहे। यहीं दोनों संस्थाओं की सीमाएं एक-दूसरे से टकराती हैं। अगर जनप्रतिनिधि पुलिस पर सवाल उठाता है तो यह लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी के साथ कथित रूप से धमकी या अभद्रता की जाती है, तो उसकी जांच भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए इस विवाद का समाधान किसी एक संस्था के पक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि कानून और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए।

❖ **जयराम महतो के लिए राजनीतिक अर्थ :-** जयराम महतो के लिए यह विवाद जोखिम और अवसर, दोनों लेकर आया है। अवसर इसलिए, क्योंकि उनके समर्थक इसे व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के रूप में पेश कर सकते हैं। पुलिस जैसी मजबूत संस्थागत व्यवस्था से टकराव उनके समर्थक वर्ग के बीच उनकी "बेबाक नेता" वाली छवि को मजबूत कर सकता है। जोखिम इसलिए, अगर जांच में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप पुष्ट होते हैं, तो उनके राजनीतिक आचरण पर सवाल उठेंगे। वहीं अगर ऑडियो की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल सामने आते हैं, तो पुलिस संगठनों की मौजूदा रणनीति पर भी राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। अर्थात् अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा।

❖ **पुलिस संगठनों के लिए भी परीक्षा :-** पुलिस एसोसिएशन के सामने भी कम चुनौती नहीं है। पुलिसकर्मियों के सम्मान और मनोबल के सवाल पर संगठन का एकजुट होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस संगठनों की भूमिका और राजनीतिक विवादों के बीच दूरी भी महत्वपूर्ण है। यदि मामला कानूनी प्रक्रिया में है, तो जांच को अपना काम करने देना ही संस्थागत विश्वसनीयता के लिए सबसे मजबूत रास्ता होगा। किसी भी संगठन की शक्ति तभी विश्वसनीय मानी जाती है जब वह कानून और प्रक्रिया के भीतर अपनी मांग रखे।

❖ **पांच बड़े सवाल :-**

☞ **वायरल ऑडियो की असलियत क्या है?**

इसका निर्णायक जवाब तकनीकी और स्वतंत्र जांच से ही मिल सकता है।

☞ **बातचीत का पूरा संदर्भ क्या था?**

वायरल क्लिप और पूरी बातचीत में अंतर हो सकता है।

☞ **क्या दोनों पक्षों की भूमिका की जांच होगी?**

सिर्फ विधायक या सिर्फ पुलिस अधिकारी के दावे की जांच पर्याप्त नहीं होगी।

☞ **पुलिस संगठनों का आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा?**

आंदोलन फिलहाल स्थगित है। आगे इसकी रणनीति क्या होगी, यह महत्वपूर्ण होगा।

☞ **क्या विवाद का राजनीतिक असर पड़ेगा?**

जयराम महतो के लिए यह मुद्दा उनके समर्थक आधार को सक्रिय कर सकता है, लेकिन कानूनी जांच का परिणाम उनकी राजनीतिक स्थिति पर निर्णायक असर डाल सकता है।

❖ **आगे की राह क्या? :-** अब इस मामले की दिशा मुख्यतः तीन चीजें तय करेंगी, जांच, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया। अगर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ती है तो विवाद को राजनीतिक बयानबाजी से बाहर निकालकर तथ्य के आधार पर देखा जा सकेगा। लेकिन यदि मामला लंबे समय तक आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में फंसा रहा, तो इसका असर जयराम महतो और पुलिस संगठनों से आगे जाकर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

❖ **निष्कर्ष :-** बरवाअड्डा से शुरू हुआ यह विवाद अब झारखंड के लिए एक बड़े लोकतांत्रिक सवाल का रूप ले चुका है। एक तरफ जयराम महतो एक युवा क्षेत्रीय नेता हैं, जो अपने आक्रामक राजनीतिक तेवर और व्यवस्था पर सवाल उठाने की शैली के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस संगठन हैं, जो अपने अधिकारी के सम्मान और पूरे पुलिस बल के मनोबल को मुद्दा बना रहे हैं। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला न राजनीतिक भीड़ कर सकती है, न किसी संगठन की ताकत। फैसला होना चाहिए, साक्ष्यों से, जांच से और कानून से। इस विवाद में फिलहाल सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि "जयराम के साथ कौन है?" या "पुलिस के साथ कौन है?" बल्कि यह है, "जांच के बाद सच क्या सामने आता है?" क्योंकि अगर संस्थाएं अपनी-अपनी ताकत के आधार पर सही और गलत तय करने लगें, तो विवाद सिर्फ जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच नहीं रहेगा, वह सवाल बन जाएगा। झारखंड में राजनीतिक जवाबदेही और संस्थागत मर्यादा की सीमा आखिर तय कौन करेगा?●

राज्य में शुरू होगा महिला किसान खुशहाली योजना

● **गुड्डी साव**

रांची के नेपाल हाउस स्थित सभागार में 10 सितंबर को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी महिला किसान खुशहाली योजना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ विभाग के सचिव, विशेष सचिव एवं सभी निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में योजना के स्वरूप लाभार्थियों के चयन समेकित खेती के मॉडल सरकारी सहायता लाभुक अंशदान तथा योजना को आगामी दिनों में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि महिला किसान खुशहाली योजना राज्य की महिला किसानों के लिए एक फ्लैगशिप योजना बनने जा रही है। कुछ दिनों पूर्व राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाओं विशेषज्ञों एवं महिला किसानों के साथ बैठक कर उनके सुझाव और अनुभव लिए गए थे। उन्हीं सुझावों के आधार पर समेकित खेती को केंद्र में रखते हुए इस योजना को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक इसी प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। विभागीय स्तर पर योजना के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य में समेकित खेती को बढ़ावा दिया जाए और किसानों की आय एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। महिला किसानों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी जैसी गतिविधियों से जोड़ना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। महिला किसान खुशहाली योजना के तहत फिलहाल एक एकड़ भूमि को आधार बनाकर

समेकित कृषि प्रणाली Integrated Farming System विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बकरी पालन, सूकर पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, मछली पालन तथा हॉर्टिकल्चर जैसे विभिन्न घटकों को एक ही मॉडल में शामिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के साथ ऐसा मॉडल विकसित करने की तैयारी है, जिसमें एक एकड़ भूमि पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य संबद्ध गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो। इससे महिला किसान को एक ही इकाई से वर्षभर आय के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। विभाग द्वारा फिलहाल तीन-चार अलग-अलग प्रकार के आईएफएस मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक मॉडल में सरकार की ओर से कितनी सहायता दी जाएगी और लाभुक महिला किसान का अंशदान कितना होगा। उन्होंने कहा कि योजना में महिला किसानों की स्वामित्व भावना और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाभुक का सीमित अंशदान रखा जाएगा। मंत्री ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में व्यक्तिगत महिला किसानों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव है। वर्तमान में एक लाभुक के लिए एक एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि महिला किसान केवल खेती करने वाली नहीं बल्कि अपने खेत की पूरी आर्थिक इकाई की संचालक बनें। एक एकड़ भूमि पर समेकित खेती के माध्यम से उन्हें कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी से जोड़कर आय के कई स्रोत उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभाग इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। महिला किसान खुशहाली योजना' को राज्य की महिला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं को अंतिम रूप देने के बाद इसे जल्द ही मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।●

पर्यटन परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कर्नाटक मॉडल का अध्ययन

● गुड्डी साव

पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में झारखंड के अध्ययन दल ने किया कर्नाटक का भ्रमण JLR को नॉलेज पार्टनर बनाने, संभावित MOU एवं मानव-हाथी संघर्ष के समाधान पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। झारखंड में पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में एक अध्ययन दल ने कर्नाटक का भ्रमण किया। अध्ययन भ्रमण के दौरान कर्नाटक में पर्यटन एवं वन क्षेत्रों से जुड़ी परिसंपत्तियों के संचालन और प्रबंधन के सफल मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस क्रम में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार एवं झारखंड सरकार के अध्ययन दल ने कर्नाटक सरकार के वन मंत्री ईश्वर खांड्रे तथा पर्यटन मंत्री के. जे. जॉर्ज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कर्नाटक सरकार के पर्यटन सचिव, Jungle Lodges & Resorts (JLR) के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक तथा कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अध्ययन दल द्वारा कर्नाटक सरकार की संस्था Jungle Lodges & Resorts (JLR) की कार्यप्रणाली का विशेष रूप से अध्ययन किया गया। JLR द्वारा वन क्षेत्रों एवं अन्य पर्यटन स्थलों पर स्थित पर्यटन परिसंपत्तियों, लॉज एवं रिसॉर्ट्स के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की व्यवस्था को समझा गया। इस दौरान JLR द्वारा पर्यटन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए तैयार की जाने वाली कार्ययोजना, संस्थागत प्रबंधन व्यवस्था, मानव संसाधन प्रबंधन, विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया, सेवा गुणवत्ता तथा वन एवं पर्यटन विभाग के बीच समन्वय की व्यवस्था का भी विस्तृत अध्ययन किया गया।

बैठक के दौरान झारखंड के पर्यटन स्थलों पर अवस्थित पर्यटन परिसंपत्तियों एवं रिसॉर्ट्स के बेहतर संचालन और पेशेवर प्रबंधन के लिए Jungle Lodges&Resorts dks Knowledge Partner के रूप में जोड़ने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में JLR के अनुभव एवं विशेषज्ञता का उपयोग झारखंड में किस प्रकार किया जा सकता है तथा दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन MOU की रूपरेखा क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। दोनों राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर इस दिशा में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में अपनाए गए सफल मॉडलों का अध्ययन कर झारखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका उपयोग किया जा सकता है। राज्य में उपलब्ध पर्यटन परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अध्ययन भ्रमण के दौरान कर्नाटक सरकार के वन मंत्री ईश्वर खांड्रे के साथ झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष की चुनौती पर भी विशेष चर्चा की गई। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष के कारण होने वाली जान-माल की क्षति को कम करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में कर्नाटक सरकार से 6 प्रशिक्षित कुमकी हाथी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया था। बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।

कर्नाटक सरकार की ओर से इस विषय पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई है। कर्नाटक का यह अध्ययन भ्रमण झारखंड में पर्यटन परिसंपत्तियों के संचालन एवं प्रबंधन को और अधिक पेशेवर, प्रभावी तथा टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कर्नाटक में विकसित सफल व्यवस्थाओं और अनुभवों का अध्ययन कर झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों, प्राकृतिक संपदा एवं पर्यटन संभावनाओं के अनुरूप मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं विकसित हों, उपलब्ध परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो तथा पर्यटकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर अनुभव प्राप्त हो।●

सीसीएल ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बढ़ाया कदम

● **गुड्डी साव**

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों को बेहतर पारदर्शी एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 सितंबर को सीसीएल मुख्यालय रांची स्थित मंथन सभागार में CPRMSE/NE 2.0 Portal एवं Online Dependent Employment Portal का शुभारंभ किया। दोनों पोर्टलों का विधिवत शुभारंभ सीसीएल, सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर निदेशक मानव संसाधन हर्ष नाथ मिश्र निदेशक योजना एवं परियोजना अनुप हंजुरा मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार तथा सीसीएल के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। CPRMSE/NE 2.0 Portal के माध्यम से पूर्व कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम एवं रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया को पारंपरिक कागजी एवं फाइल-आधारित व्यवस्था से डिजिटल वर्कफ्लो में परिवर्तित किया गया है। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त कोल कर्मी अपने घर से ही मेडिकल क्लेम एवं संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, अपने क्लेम की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे तथा किसी भी ऑब्जर्वेशन अथवा आपत्ति का डिजिटल माध्यम से जवाब दे सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से PRB CMS/Medical एवं Finance विभागों के बीच क्लेम का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, कार्य आवंटन, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडिट ट्रेल तथा SMS/मोबाइल अलर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ने के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है वहीं, Online Dependent Employment Portal का उद्देश्य सेवा अवधि के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों दावेदारों के लिए रोजगार अथवा NCWA के अंतर्गत आर्थिक मुआवजे से संबंधित प्रस्तावों की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाना है। पोर्टल के

माध्यम से आश्रित ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के साथ-साथ उसके विभिन्न चरणों में स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कमियों, लंबित कार्यों तथा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के संबंध में ैडै एवं ई-मेल के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के लिए केंद्रीकृत मॉनिटरिंग एवं डैशबोर्ड की सुविधा मामलों की प्रभावी निगरानी में सहायक होगी। इन दोनों डिजिटल पहलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि CPRMSE/NE 2.0 एवं Dependent Employment Portal को सीसीएल के प्रणाली विभाग द्वारा अपनी इन-हाऊस टेक्निकल टीम के माध्यम से विकसित किया गया है। यह उपलब्धि सीसीएल की तकनीकी दक्षता, नवाचार क्षमता एवं संस्थान के भीतर उपलब्ध मानव संसाधनों के प्रभावी उपयोग को भी रेखांकित करती है। इस अवसर पर सीएमडी सीसीएल निलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि दोनों पोर्टलों का इन-हाउस विकास सीसीएल की तकनीकी क्षमता और नवाचार की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना कंपनी की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों एवं प्रणाली विभाग की टीम को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के डिजिटल समाधान सेवा वितरण को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। CPRMSE/NE 2.0 एवं Online Dependent Employment Portal के माध्यम से सीसीएल Centrally Monitored Digital Service Delivery की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। दोनों पोर्टल प्रक्रियाओं को अधिक पेपरलेस, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के साथ-साथ लाभार्थियों की सुविधा, जवाबदेही और कार्यप्रणाली की दक्षता को मजबूत करने में सहायक होंगे। विशेष रूप से, ये पहल सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों तक कल्याणकारी सेवाओं की बेहतर एवं अधिक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।●

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा

● गुड्डी साव

मु यजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य में पेयजल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निदेश दिया की योजनाओं की प्रगति में तेजी लायें तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने में गंभीरता से लें । राज्य स्तर से एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर सभी योजनाओं का स्थलीय अवलोकन एवं विस्तृत समीक्षा कराई जाए तथा जिन योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनमें 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले संबंधित पदाधिकारियों की भी जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री 11 सितंबर को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कान्फ्रेस हॉल में समीक्षा बैठक कर रहे थे । जिसमें धनबाद अंचल अंतर्गत तेनुघाट बहु-ग्रामीण जलापूर्ति एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र भ्रमण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन

करें तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है, इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान विशेष रूप से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की विस्तृत चर्चा की गई। योजनाओं की भौतिक प्रगति, भुगतान स्थिति, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से योजनाओं का सत्यापन तथा ग्रामीणों से संवाद, साथ ही क्रियाशील घरेलू नल संयोजन की स्थिति को प्रमुख आधार बनाया गया। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में घरेलू नल संयोजन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। गोमिया में कुल 52689 घरों में से 35191 घरों में नल जल से युक्त है, वहीं कसमार में 18574 में से 7499 घरों में ,पेटरवा में 32687 में से 21799, नावाडिह में 26625 में से 14437 और चन्द्रपुरा में 11162 में से 9834 घरों में नल से जल युक्त हो गए हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, पीएमयू, मुख्य अभियंता सी.डी.ओ., धनबाद के अधीक्षण अभियंता सहित चास एवं तेनुघाट प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उपस्थित रहे।●

डॉ. आशा लकड़ा ने की सीएमपीडीआई में समीक्षा बैठक

● गुड्डी साव

रा ष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ0 आशा लकड़ा ने सीएमपीडीआई मुख्यालय रांची का दौरा किया तथा संस्थान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर उच्च प्रबंधन के साथ एक समीक्षा बैठक की। मौके पर संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक चौधरी शिवराज सिंह, निदेशक तकनीकी पीएंडडी अजय कुमार, निदेशक तकनीकी सीआरडी नृपेन्द्र नाथ, महाप्रबंधक मानव संसाधन संजय कडम्बार, लाइजन ऑफिसर अनुसूचित जनजाति ममता टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी इस समीक्षा बैठक में भाग लिया। डा0 लकड़ा ने सीएमपीडीआई प्रबंधन के साथ अनुसूचित

जनजाति वर्ग से संबंधित पदोन्नति, भर्ती, प्रशिक्षण, आरक्षण, सीएसआर एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी कॉ-ऑडिनेशन काउंसिल एवं कोल इंडिया एससी-एसटी इम्प्लाइज एसोसियेशन सिस्टा के सदस्यों प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों एवं मांगों को सुना तथा संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके अलावा डॉ0 लकड़ा ने सीएमपीडीआई मुख्यालय स्थित भू-गर्भ संग्रहालय का भ्रमण कर अवलोकन किया तथा संस्थान की गतिविधियों, कार्यकलापों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।●

दीपिका पांडेय सिंह ने किया पलाश दीदी कैफे का उद्घाटन

● गुड्डी साव

झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय परिसर में 11 सितंबर को पलाश दीदी कैफे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पलाश दीदी कैफे केवल झारखंड के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के श्रम, हुनर, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को पहले उनके हुनर के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया, फिर उन्हें ऋण एवं वित्तीय सहायता का लाभ उपलब्ध कराया गया और अब उनके उत्पादों तथा सेवाओं को बाजार से जोड़ते हुए स्वरोजगार के स्थायी अवसर तैयार किए जा रहे हैं। पलाश के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें बेहतर पहचान और उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकारी आयोजनों एवं विभिन्न संस्थानों में 'पलाश' से जुड़ी दीदियों द्वारा तैयार उत्पादों और खाद्य सामग्री को प्राथमिकता के साथ स्थान मिले, इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी श्रेस्टै के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पूरे राज्य में पलाश दीदी कैफे का विस्तार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि पलाश दीदी कैफे इस अभियान के विस्तार की एक और मजबूत कड़ी है। इस नए केंद्र के माध्यम से लोगों को झारखंड के पारंपरिक स्वाद से जुड़ने का अवसर मिलेगा, वहीं ग्रामीण महिलाओं के हुनर और उत्पादों को नए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच भी प्राप्त होगा। पलाश के विस्तार के अगले चरण में पलाश मार्ट की शुरुआत की जाएगी। रांची में राज्य के पहले 'पलाश मार्ट' का उद्घाटन अगले छह महीनों के भीतर किए जाने का लक्ष्य है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अगला पलाश दीदी कैफे जल्द शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा तैयार विभिन्न स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक और संगठित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख केंद्रों पर पलाश के ऐसे केंद्रों का विस्तार ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे और स्थानीय से वैश्विक की परिकल्पना को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल, आईएएस अधिकारी अंजलि यादव सहित जेएसएलपीएस के अधिकारियों की उपस्थिति रही। ●

बर्न में स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था को समझने का अवसर : रवींद्रनाथ महतो

झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न स्थित फेडरल पैलेस संसद भवन का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड की विशिष्ट संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को नजदीक से जाना और समझा। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की संघीय संरचना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और कैंटनों की व्यापक स्वायत्तता उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहां सात सदस्यीय संघीय परिषद सामूहिक रूप से कार्यपालिका का संचालन करती है। अध्यक्ष ने स्विट्जरलैंड की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और जनभागीदारी की व्यवस्था को महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक अनुभव बताया। **रिपोर्ट :- गुड्डी साव**

● गुड्डी साव

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गिरिडीह के हरसिंहरायडीह स्थित स्वर्गीय मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोक-संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन स्वर्गीय सुदिव्य कुमार की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा देकर श्मशान घाट तक पहुंचाया तथा दाह संस्कार में सम्मिलित होकर दिवंगत मंत्री को अंतिम विदाई दी। स्वर्गीय सुदिव्य कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि देर रात हृदयाघात के कारण स्वर्गीय सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन हो गया। यह सरकार और पूरे राज्य के लिए अत्यंत दुखद घड़ी है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुदिव्य कुमार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय रहे और परिपक्वता एवं गंभीरता के साथ उन्होंने अनेक विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका असमय निधन अत्यंत पीड़ादायक है और विश्वास करना कठिन है कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनकी अंतिम यात्रा में सरकार और मंत्रिमंडल के सभी लोग उपस्थित होकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से शोक-संतप्त परिवार को इस कठिन समय में दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दु:ख की घड़ी में स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और आगे भी परिवार के प्रति सरकार का सहयोग एवं संबल बना रहेगा । हेमन्त सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि, समर्पित मंत्री और युवा नेतृत्व को खो दिया है। उनके योगदान को राज्य सदैव स्मरण करता रहेगा। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक-संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की तथा ईश्वर से इस कठिन समय में परिवार को दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। स्वर्गीय सुदिव्य कुमार की अंतिम यात्रा में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विधायकगण, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी, गिरिडीह जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक तथा बड़ी संख्या में उनके समर्थक एवं चाहने वाले शामिल हुए। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और नम आंखों से अपने प्रिय जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई दी।●

रांची पुलिस ने किया आठ शातीर चोरो को गिरफ्तार

● **ओम प्रकाश**

राजधानी राँची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी चोरी की गुत्थी को सुलझा कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दर्ज मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को दबोचा है। उनकी निशानदेही पर 11.38 लाख रुपए नकद, 169 पीस सेना मेडल और धातु के भारी बंडल समेत काफी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है।

❖ **पत्रकार के यहां चोरी करना चोरों को महंगा पड़ गया, ऐसे हुआ खुलासा :-** इस चोर गिरोह के पीछे कहानी बड़ी रोचक है। 19 अगस्त को दिन में 2.50 बजे अरगोड़ा थाना के ठीक पीछे रहने वाले एक अखबार में काम करने वाले वरीय पत्रकार के घर के ठीक सामने रखा उनका लोहे का ग्रिल व गेट एक कबाड़ी वाले ने तीन अन्य लोगो के साथ मिलकर चोरी कर टुकटुक से ले गया। दिन के 3.30 बजे जब पत्रकार अपने घर के पास पहुंचे तो वहां ग्रिल व गेट नहीं मिला। वहां काम कर रहे एक लेबर ने बताया कि चार लोग आए थे और जबरन उसे उठा कर ले गए। इसके बाद उक्त पत्रकार ने वहां आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। काफी मेहनत करने के बाद सीसीटीवी में उक्त कबाड़ वाला ग्रिल व गेट ले जाते दिख गया। पत्रकार ने काफी मशक्कत कर उस टुकटुक पर लिखे एक मोबाइल नंबर को निकाला। उक्त मोबाइल नंबर को वेरीफाइ कराया। फिर कुछ अपने शुभचिंतको की मदद ली। उसका लोकेशन ट्रेस करवाया। जब कंफर्म हो गया कि उक्त नंबर उसी टुकटुक वाले का है तब उसे तुरंत अरगोड़ा थाना प्रभारी सतीश गोराई को फावर्ड किया। उन्हें पूरी जानकारी दी। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम भूमिका राँची एसएसपी राकेश रंजन की रही। उनको जैसे ही इसकी सूचना मिली उन्होंने तुरंत अरगोड़ा थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रात में 10 बजे अरगोड़ा थाना प्रभारी अपने टीम के साथ उक्त नंबर वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले। तकनीकी सहयोग से वे उस व्यक्ति तक देर रात पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने चोरी किए गए ग्रिल व गेट के लिए खोजबीन शुरू की तो उन्हें चोर के साथ साथ चोर का पूरा गिरोह हाथ लग गया। पता चला कि इन लोगो ने और भी कई बड़े चोरी के कांड को अंजाम दिया है और ये एक बड़ा गिरोह है। इस तरह इस बड़े चोर गिरोह का रांची पुलिस ने खुलासा किया और एक साथ दो कांड का उद्भेदन हुआ।

❖ **गुप्त ठिकाने पर छापेमारी, पूछताछ से मिला सुराग :-** गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान पुलिस को चोरी के माल को छिपाने के मुख्य ठिकाने की जानकारी मिली।आरोपियों ने बताया कि अरगोड़ा के अलावा अन्य इलाकों से चुराया गया सामान राँची के रिंग रोड स्थित ग्राम पारचुंड के एक मकान में डंप किया गया है। प्राप्त स्चना के सत्यापन के क्रम में दिनांक 21.0826 को ग्राम पारचुटु, थाना सदर (सेसरा रिथत केलाश ठाकुर के घर से चोरी गयी कल 11,38,500 /-र0 नगद, लाहा का सेना मेडल-169 पीस, चांदी जैसा मेटल का पायल-05 पीस आदि बरामद किया गया। गिरफ्तार आठ आरोपियों में बिहार के सीतामढ़ी और राँची के स्थानीय क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इनमें त्रिवेणी कुमार साह, सरोज कुमार साह, रामविनय साह, देवनारायण साह, रंजन कुमार, गुरुदेव कुमार, विजय कुमार साह, अमरेश साह, आरोपियों के तार सीतामढ़ी (बिहार) के साथ-साथ राँची के सिरसिया बाजार, लक्ष्मीपुर और पारचुंड इलाके से जुड़े हैं।

पुलिस अब बरामद 11.38 लाख रुपये नकद, 169 पीस सेना मेडल और धातु के स्रोत का मिलान अन्य थानों में दर्ज चोरी के मामलों से कर रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में गिरोह के अन्य सहयोगियों और खरीदारों के नाम सामने आने पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां व बरामदगी संभव हैं।

❖ **बरामद सामान का ब्योरा :-**

☞ नकदी : 11,38,500 नकद।

☞ विशिष्ट वस्तुएं : लोहे का सेना मेडल (169 पीस)।

☞ एल्युमिनियम का घोड़ा (वजन 1 कि.ग्रा)

☞ पीतल की थाली।

☞ चांदी जैसी धातु की पायल (5 पीस)।

☞ सैमसंग मॉनिटर (1 पीस)।

☞ की-बोर्ड (1 पीस)।

☞ मिक्सी मशीन (1 पीस)।

☞ एल्युमिनियम केबल (2 बंडल, 50 कि. ग्रा.)।

☞ गलाया हुआ एल्युमिनियम तार (3 बंडल, 50 कि.ग्रा.)।

☞ खाली गैस सिलेंडर (2 पीस)।

☞ दो मोटरसाइकिलें ।

❖ **उद्भेदन टीम के सदस्य :-** यह पूरी कार्रवाई अरगोड़ा थाना कांड संख्या 221/26 (दिनांक 20 अगस्त 2026) के तहत की गई। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अंतर्गत दर्ज है। इस सफल उद्भेदन टीम में हटिया DSP नीरज कुमार, अरगोड़ा थाना प्रभारी सतीश कुमार गोरेई, पुलिस पदाधिकारी पिंटू कुमार, चंदन कुमार गुप्ता के अलावा अरगोड़ा/बीआईटी मेसरा पुलिस टीम तथा धुर्वा/विधानसभा थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे।●

अचानक रात में सड़कों पर उतरे एसएसपी

● **ओम प्रकाश**

राजधानी रांची में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 15 सितंबर की रात अचानक पूरी रांची की पुलिस सड़क पर उतर आई। एसएसपी राकेश रंजन ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी पूरी टीम के साथ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई चिन्हित क्राइम हॉटस्पॉट्स का औचक निरीक्षण किया। पुलिस के इस अचानक नाइट ऑपरेशन से उन इलाकों में हड़कंप मच गया, जहां देर रात तक अड्डेबाजी और संदिग्ध गतिविधियां चलती रहती हैं। इस दौरान एसएसपी राकेश रंजन के साथ ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, कोतवाली एएसपी निखिल राय समेत कई डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ पुलिस की मौजूदगी और गश्ती व्यवस्था को भी परखा। पुलिस टीम ने तिलता चौक, कटहल मोड़, ओटीसी ग्राउंड, बड़ा तालाब परिसर, अरगोड़ा चौक, बरियातू, समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। इन स्थानों पर अक्सर असामाजिक तत्वों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों से इलाके की स्थिति, पेट्रोलिंग और अपराध नियंत्रण को लेकर जानकारी ली। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया।

☞ **अड्डेबाजों एवं नशाखोरों को खदेड़ा गया :-** रात के निरीक्षण के दौरान जहां लोग बेवजह समूह बनाकर बैठे मिले या खुले में शराब का सेवन करते नजर आए, वहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा। एसएसपी ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, अड्डेबाजी और संदिग्ध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे स्थानों को लगातार निगरानी में रखा जाए और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए।

☞ **असामाजिक तत्वों में हड़कंप :-** एसएसपी के नेतृत्व में देर रात चले इस औचक निरीक्षण से राजधानी के कई इलाकों में असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप की स्थिति रही। पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर अब केवल थानों में बैठकर कार्रवाई नहीं, बल्कि अधिकारी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। पुलिस प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसे सरप्राइज नाइट इंस्पेक्शन और एंटी क्राइम अभियान जारी रहेंगे, ताकि राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

☞ **यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश :-** क्षेत्र भ्रमण के दौरान यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। ऐसे डिवाइडर कटिंग को चिन्हित किया गया, जिनके कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के साथ विचार-विमर्श कर ऐसे चिन्हित कटिंग को स्लाइडिंग बैरियर के माध्यम से तत्काल बंद कराने का निर्णय लिया गया, ताकि यातायात का बेहतर एवं सुचारू रूप से नियमन किया जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े होने वाले ऑटो एवं अन्य वाहनों के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कल से विशेष अभियान चलाकर नो-पार्किंग एवं अनधिकृत पार्किंग वाले स्थानों पर जुर्माना एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

☞ **एसएसपी ने दिया निर्देश :-** एसएसपी राकेश रंजन ने संबंधित डीएसपी और थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दी कि चिन्हित क्राइम हॉटस्पॉट पर लगातार नजर रखें। उन्होंने एंटी क्राइम चेकिंग, वाहन जांच और नियमित पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गतिविधियां संचालित करने का मौका ही न मिले। किसी इलाके में लगातार अड्डेबाजी या संदिग्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो संबंधित पुलिस पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ●

आपका राशिफल

पंडित तरुण झा
ज्योतिषचार्य
(ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ)
संस्थापक एवं अध्यक्ष
ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान एवं फाउंडेशन
ज्योतिषीजी पथ, डॉ. रहमान चौक, हनुमान मंदिर से सटे पश्चिम वाली गली मे, सहरसा-852201, (बिहार)
मो० :- 9470480168

मेष राशि :- इस महीने आपको करियर आर्थिक और स्वास्थ्य जीवन में जहाँ उतार-चढ़ाव से दो-चार होना पड़ सकता है तो वहीं प्रेम वैवाहिक जीवन के साथ-साथ छात्रों के लिए ये माह अच्छा साबित होगा, मेष राशि के जातकों को इस पूरे ही माह करियर के लिहाज से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी, इस माह आपको धन से जुड़े कुछ मामलों में सोच-विचार कर चलना होगा!

वृषभ राशि :- इस माह कार्यक्षेत्र में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, व्यापारी वर्ग के लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि आप किसी सरकारी पचड़े में फँस सकते हैं,इस माह आपको अपना धन संचय करने की जरूरत होगी,छात्रों को इस माह अपनी पढ़ाई-लिखाई पर पहले से अधिक ध्यान देना होगा,प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है,उन्हें एक लम्बे समय के बाद परिवार वालों की रजामंदी मिल सकती है।

मिथुन राशि :- इस माह में मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ सकता है, इस माह कार्य से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना है,अगर व्यापारी जातकों की बात करें, तो उन्हें इस माह नए अवसर मिल सकते हैं, जिनसे उन्हें लाभ अर्जित करने का मौका भी मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य से अच्छा रहने की उम्मीद है, क्यूंकि इस माह आपको भाग्य का साथ मिलेगा!

कर्क राशि :- इस महीने काम के सिलसिले में की गयी यात्राओं से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है,यह महीने कर्क राशि वाले लोगों के लिए पैसों के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है,आपका अपने भाई-बहनों से रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है,इस समय प्रेम में पड़े जातकों को अपने प्रेम जीवन में नई खुशहाली और ताजगी का एहसास होगा, साथ ही प्रियतम से आपको इस समय कोई अच्छा सा उपहार भी मिल सकता है।

सिंह राशि :- सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ आने की संभावना है, करियर के लिहाज से यह माह आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है, हो सकता है कि पेशेवर जीवन में आपके पद-पोजीशन में कमी आए,पैसों की बात करें तो उसके लिहाज से ये माह आपको कई उतार-चढ़ाव देने वाला है,आपको इस माह पारिवारिक जीवन में कुछ उदासी महसूस हो सकती है, छात्रों के लिए यह महीना सामान्य ही रहने की उम्मीद है, इस माह आपका प्रियतम आपको आर्थिक सहयोग कर सकता है।

कन्या राशि :- कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये महीना सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस माह ग्रह-नक्षत्रों की बदली हुई चाल आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं, इस माह आपके भाई-बहन आपसे किसी सहयोग की उम्मीद रख सकते है, इस समय व्यापारियों की पांचों उँगलियाँ घी में रहेंगी, क्योंकि ये समय आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है, नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत के दम पर ऑफिस में अपने अधिकारियों को खुश करने में सफल रहेंगे ये महीना प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस समय प्रेम को पाने के लिए आपको परिवार का साथ मिलेगा!

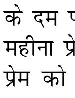

तुला राशि :- तुला राशि वालों को इस माह में कार्यक्षेत्र पर बेहद सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके विरोधी और शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे, इस समय बिजनेस करने वाले लोग भी अच्छा करेंगे, घर-परिवार में इस माह किसी कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना है,छात्रों की बात करें तो ये समय उनके लिए अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना होगा क्यूंकि कान, नाक या गले से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है,छात्रों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी मेहनत के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर पायेंगे!

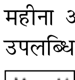

वृश्चिक राशि :-वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिये संभावना है कि इस माह किसी काम के सिलसिले में आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़े। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी गैर कानूनी लेन-देन को न करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। आपके अपने भाई-बहनों से इस महीने संबंध बेहतर होंगे और उनके साथ आप अच्छा समय बिताते नजर आएँगे। वृश्चिक राशि के छात्रों का इस समय किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें, तो इस माह प्रेम में पड़े जातकों को अपने प्रियतम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

धनु राशि :- इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी,यह माह आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है, क्योंकि संभावना है कि आपको कहीं से धन लाभ हो, आपके अपने भाई-बहनों से संबंध पहले से बेहतर होंगे और बड़े भाई-बहन की सलाह से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकेंगी,यदि शिक्षा से संबंधित आपका कोई लोन चल रहा था, तो वो इस माह में खत्म हो सकता है, शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवनसाथी की नई नौकरी लग सकती है।

मकर राशि :- इस महीने में मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके काम करने की गति को रफ्तार भी मिल पाएगी। व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होगा, जिससे आप अपने कई पुराने कर्जे चुका पाएंगे। इस माह में आपको पैसों की बचत की ओर अधिक काम करने की जरूरत होगी, आप अपने रिश्तेदारों या करीबियों के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर कोई कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं,इस माह छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में पहले से अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि :- कुम्भ राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर अन्य लोगों के साथ व्यवहार सही रखने की जरूरत होगी, नहीं तो परेशानी हो सकती है,व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए समय ठीक रहेगा,कुम्भ राशि के जातकों को इस माह किसी भी लेन-देन को करते समय विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है, पारिवारिक जीवन के लिए समय थोड़ा सोच-विचार करने वाला रहेगा,इस समय छात्रों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को सफलता मिल सकती है।

मीन राशि :-करियर के लिहाज से मीन राशि वालों का समय अच्छा रहेगा, इस माह अपने जीवनसाथी के सहयोग से आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, व्यापारियों को अपने स्वास्थ्य में अच्छे परिवर्तन लाने की जरूरत होगी, क्योंकि सेहत के चलते आपका कारोबार प्रभावित हो सकता है,आपका आर्थिक जीवन थोड़ा ऊपर- नीचे हो सकता है, इस माह मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में कुछ कलह संभव है, इस माह छात्रों को अपनी पढ़ाई-लिखाई की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्यूंकि आपका भाग्य उतना साथ नहीं देगा। इस महीने सप्तम भाव सक्रिय रहने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

☆ पुलिस की जांच में कमी पकड़ने के के बाद Cross & Examination में पुलिस अधिकारी से पूछने वाले महत्वपूर्ण सवाल FIR और सूचना से जुड़े सवाल क्या हैं?

☞ आपको घटना की सूचना किस समय प्राप्त हुई थी?

☞ सूचना प्राप्त होते ही कोई GD/DD रोजनामचा लिखा है?

☞ आपने घटनास्थल के लिए रवाना होने का समय रिकॉर्ड किया है?

☞ FIR दर्ज होने के पहले आपको घटना के बारे में कौन सी सूचना मिली थी?

☞ क्या FIR करने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद था?

☞ FIR में बताई गई घटना और आपकी जांच में साम्य कोई घटना में अंतर है?

☞ FIR में किस आधार पर नाम दर्ज किया गया था?

☞ FIR में बटना का समय और आपकी जांच में सामय समय एक है?

☞ FIR में दी गई पूरी जानकारी क्या आपके जांच में दर्ज किया?

❖ **घटनास्थल से जुड़े सवाल :-**

☞ आप घटनास्थल पर किस समय पहुंचे?

☞ घटनास्थल पर पहुंचने में कोई देरी का कारण था?

☞ आपने घटनास्थल का निरीक्षण किसके सामने किया?

☞ क्या घटनास्थल की फोटोग्राफी/बीडियोग्राफी करवाई गई?

☞ क्या आपने घटनास्थल का नक्शा मौके पर बनाया तैयार किया?

☞ नक्शे में सभी महत्वपूर्ण स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है?

☞ घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट या अन्य वैज्ञानिक सबूत मिला?

☞ घटनास्थल से मिले सामान को किसने कब्जे में लिया?

☞ क्या उस समान की सील और मुहर का सही रिकॉर्ड है?

☞ क्या आपने घटनास्थल की सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था की थी?

❖ **महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत :-** पुलिस के सामने किया गया ब्वदमिपवद स्वत: अदालत में उपयोग के लिए, ADMISSIBLE नहीं होता। हाँ, अगर घटना से कोई नया तथ्य/सबूत बरामद हो, तो सूचना का वह हिस्सा ADMISSIBLE हो सकता है!

❖ **गवाहों के बयान से जुड़े सवाल :-**

☞ आपने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कब दर्ज किए?

☞ क्या सभी गवाहों के बयान एक ही दिन दर्ज किए गए?

☞ किसी गवाह ने घटना के संबंध में पहले क्या आपको बताया था?

☞ क्या गवाह के बयान में कोई नई महत्वपूर्ण बात सामने आई?

☞ क्या आपने गवाह के पूर्व बयान और न्यायालय में दिए गाए बयान की पुष्टि की?

☞ क्या किसी गवाह ने पुलिस को ऐसे तथ्य बताए जो आपकी केस डायरी में दर्ज नहीं हैं?

❖ **FIR दर्ज करने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर :-**

☞ क्या आपने किसी स्वतंत्र व्यक्ति का बयान दर्ज किया?

☞ क्या किसी गवाह ने आपको घटना स्थल से दूर पुलिस के हस्तरित पर कोई बात बताई?

☞ क्या आपने गवाहों के आपसी संबंध और संभावित पक्षपात की जांच की?

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

7004408851

E-mail :-shivanandgiri5@gmail.com

❖ **आरोपी और कथित Confession :-**

☞ आरोपी की पुलिस ने कब और कहाँ गिरफ्तारी की? 30. गिरफ्तारी के समय उसके परिजनों को सूचित किया गया?

☞ क्या गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई?

☞ क्या आरोपी ने पुलिस के सामने कोई कथित कबूलनामा किया?

☞ क्या उस कचित confession की स्वतंत्र पुष्टि करवाई गई?

☞ क्या confession के आधार पर कोई नया तथ्य या सबूत बरामद हुए?

☞ बरामदगी से पहले पुलिस को उस सबूत के बारे में जानकारी थी?

☞ काचित disclosure/recovery memo में आरोपी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान दर्ज है?

☞ क्या बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद था?

❖ **हथियार बरामदगी से जुड़े सवाल :-**

☞ हथियार/वक्तु कहाँ और किस स्थिति में बरामद हुई?

☞ बरामदगी के समय कितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे?

☞ क्या हथियार या वस्तु का अन्वषण/जांच रिकॉर्ड है?

☞ उस हथियार की FSL भेजा गया था?

☞ FSL रिपोर्ट में हथियार और सबूत के बीच कोई बैज्ञानिक संबंध स्थापित हुआ?

☞ हथियार को किस किसने सील किया?

☞ सील किसके पास सुरक्षित रही?

☞ जांच डायरी में बरामदगी से जुड़ा सही जिक्र है?

☞ बरामदगी में FSL तक भेजे जाने के दौरान उसकी chain of custody पूरी रिकॉर्ड है?

❖ **मेडिकल और वैज्ञानिक जांच :-**

☞ क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए चोट और समय की पुष्टि की?

☞ क्या डॉक्टर ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु का कारण और कधित हथियार आपस में compatible है?

☞ क्या आपने CCTV, CDR, location lata, fingerprints, DNA या अन्य वैज्ञानिक सबूतों की जांच की?

☞ क्या आपकी केस डायरी में जांच के दौरान सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और निपर्वों का स्पष्ट है?

27 सितंबर
(रविवार)
पितृ पक्ष
(श्राद्ध) प्रारंभ
जल अर्पण कर प्रेम सहित,
करो स्मरण सदा निर्मल चित्त!
जिनके आशीर्वाद और संस्कारों से
हमारा जीवन संवरता है, उन समस्त
पितरों को शत-शत नमन!
आइए इस पितृ पक्ष में
अपने पितरों का स्मरण करें
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें!
श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं,
बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान
और कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव है!
आइए इस पितृ पक्ष में अपने पितरों
का स्मरण करें और उनका
आशीर्वाद प्राप्त करें!
शुभ पितृ पक्ष!
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका
KEWAL SACH
SAMAJIK SANSTHAN
KEWAL SACH
TIMES
A National Magazine
कम्युनिकेशन
ट्रस्ट
-: निवेदक :-
श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट
K
Kewalsach news

Quality Medicines... for a Healthier Tomorrow

Trusted • Reliable • Since 1990

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving Nation Since 1990)

Our Product Range

- WESTOCITRON
- WESTOCLAV
- WESTOFERON
- WESTOPLEX
- QNEMIC

Safe Effective Affordable

Quality Medicines for Better Life

Our Other Products

- AOJ
- AZIWEST
- DAULER
- MUCULENT
- AOJ-D
- BESTARYL-M
- GAS-40
- MUCULENT-D

Powder & Liquid Manufacturing

Clean & Hygienic Environment

Our Dedicated Team

Syrup Manufacturing

API & Liquid Section

Quality Control Laboratory

Speciality Products

- SEVIPROT
- WESTOMOL
- WESTO ENZYME
- ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. · WD · Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201

Dist. Patna, Bihar

E-mail: westerlindrugsprivatelimited@gmail.com

Phone No.: 0162-3500233/2950008

Own Manufacturing Unit | GMP Compliant | Third Party Manufacturing | Partner in Health